खण्ड-120, अंक-6
बुधवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(11 मार्च, 1953 ई0)

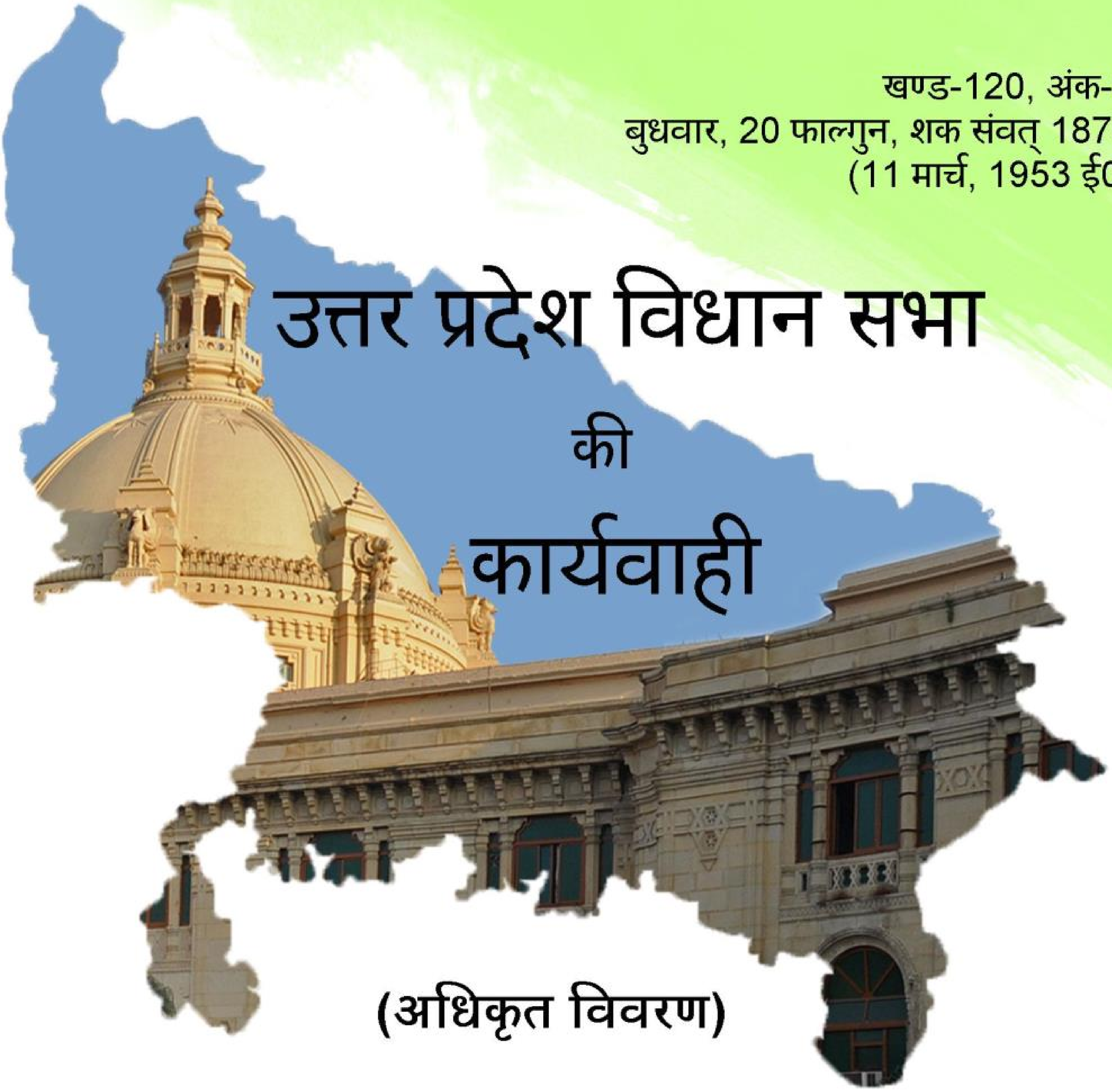

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 120 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्वरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रस्तोगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दूबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तवा, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रमाशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री

रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र शर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्या विनोदिनी परीक्षा को हाई स्कूल के समान मान्यता

*१—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या यह सच है कि सन् १९४७ में सेक्रेटरी इन्टरमीडियेट बोर्ड, यू० पी० ने महिला विद्या पीठ प्रयाग के रजिस्ट्रार को लिखित आज्ञा प्रदान कर दी थी कि "विद्या विनोदिनी की द्वितीय परीक्षा" जो नवम्बर में होती है, उसमें उत्तीर्ण छात्रायें सन् १९४९ की मार्च की इण्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकती हैं ?

*२—क्या यह सच है कि तब से अब तक ऐसा ही कार्यक्रम चला आ रहा है कि छात्रायें नवम्बर की परीक्षा दे कर एक वर्ष छोड़ कर अगले वर्ष की इण्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो जाती हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां, लेकिन किन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ इसकी सूचना इतने अल्प समय में प्राप्त नहीं हो सकी और जांच की जा रही है।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्या विनोदिनी की परीक्षा को हाई स्कूल के समान मान्यता देते हैं या नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—जी हां, मान्यता तो देते हैं लेकिन प्रश्न यह हो जाता है कि इंटरमीजियेट में वही एपीयर हो सकता है जो हाई स्कूल परीक्षा पास करने के दो साल बाद इंटरमीजियेट की परीक्षा में बैठे, क्योंकि विद्या विनोदिनी का एक इम्तिहान होता है और दो साल नहीं होते हैं, इसलिये कानूनी दिक्कत पैदा होती है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कुछ ऐसे कैंडीडेट्स हैं कि जिनको दो साल तो एलाऊ किया गया लेकिन इस साल नहीं किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, ऐसे कोई कैंडीटेड्स नहीं हैं। सब के साथ एक सा बर्ताव किया गया है।

*३—श्री नवलकिशोर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान सेक्रेटरी यू० पी० इंटर बोर्ड ने इसके विरुद्ध इस वर्ष इसी माह में फार्म आदि भर जाने के बाद ऐसी छात्राओं को इण्टर की होने वाली परीक्षा में बैठने से रोक दिया है ? यदि हां, तो उसका विशेष कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—यह नियम विरुद्ध था। इस कारण ही ऐसा हुआ लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से ऐसी छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी है।

*४—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ३९७ पर]

तारांकित प्रश्न

क़स्बा पिनाहट, ज़िला आगरा में चिकित्सालय का अभाव

*१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (ज़िला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि क़स्बा पिनाहट (ज़िला आगरा) के १२ मील के भीतर कोई अस्पताल नहीं है? क्या सरकार इस अभाव की पूर्ति करने का विचार रखती है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—जी हां, यदि वहां कोई उपयुक्त भवन चिकित्सालय और कर्मचारियों के लिये मिल सके तो वहां एक अंग्रेजी या देशी चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—यह भवन सरकार किराये पर लेना चाहती है या मुफ्त में ही लेना चाहती है?

श्री बनारसीदास—ज्यादा अच्छा तो यही है कि मुफ्त में मिल जाय और जहां मकान मुफ्त मिल जाते हैं प्रायः वहां इस प्रकार के औषधालय क़ायम करने में प्राथमिकता दी जाती है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—वहां पर टूटे हुये किले बहुत से पड़े हुये हैं। यदि सरकार उनकी मरम्मत करा सके तो बहुत सी जगह मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। आपकी सूचना सरकार को मिल गयी।

कैलाशनगर (हाथरस) निर्माण-हेतु समाज-सेवा संघ को कोयला तथा सीमेंट

*२—श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैलाशनगर (हाथरस) निर्माण-हेतु ज़िलाधीश ने समाज-सेवा संघ नामक संस्था को कितनी गाड़ी कोयला एवं कितनी बोरी सीमेंट दिया या D.S.O. से दिलवाया?

श्री बनारसी दास—ज़िलाधीश अलीगढ़ ने समाज-सेवा संघ रमनपुर, हाथरस को २० टन कोयला दिलवाया। समाज-सेवा संघ ने सीमेंट की प्राप्ति के लिये न कोई प्रार्थना-पत्र दिया और न कोई संघ को सीमेंट दिया गया।

*३—श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि ज़िलाशीश के पास इस आशय की शिकायतें गयी थीं कि वे सीमेंट तथा कोयला ब्लैक में बेचा जा रहा है? यदि हां, तो ज़िलाधीश महोदय ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की थी?

श्री बनारसीदास—जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जितना कोयला दिया गया था वह काम में लाये जाने के बाद ब्लैक में बेचा गया है?

श्री बनारसीदास—इसका उत्तर दिया जा चुका है कि कोई शिकायत सरकार को इस प्रकार की प्राप्त नहीं हुई।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस विषय में कोई जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसीदास—यदि कोई इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई तो अवश्य जांच की जायगी।

गाजीपुर जिले के गोरखपुर ग्राम में महावीर राष्ट्रीय औषधालय को सरकारी सहायता

*४—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि गाजीपुर जिले के गोरखपुर ग्राम में सन् १९२८ ई० से महावीर राष्ट्रीय औषधालय की स्थापना है? यदि उत्तर हां में है, तो क्या इस औषधालय को सरकार कोई वार्षिक सहायता देती है?

श्री बनारसीदास—

(अ) जी हां।

(ब) जी नहीं, प्रश्न विचाराधीन है।

श्री यमुनासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा?

श्री बनारसी दास—इस संबंध में जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है वह उपसंचालक के पास आवश्यक रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया है। जब रिपोर्ट आ जायगी सरकार उसका निर्णय कर देगी।

जौनपुर जिले के बरसठी और गोपालपुर बाजार में औषधालय खोलने की योजना

*५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत बरसठी बाजार और गोपालपुर बाजार में औषधालय खोलने की योजना है?

श्री बनारसीदास—दोनों स्थानों पर औषधालय खोलन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलान की कृपा करेंगे कि कितने दिनों के अन्दर निर्णय कर लिया जायगा?

श्री बनारसीदास—इस संबंध में निश्चित रूप से कहना तो कठिन है इस साल के बजट के अन्दर १५ बेसिक चिकित्सालय और १० एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने का विचार है। बहुत संभव है कि परामर्शदात्री समिति की कोई रिपोर्ट आये तो दोनों में से एक स्थान में अस्पताल खोलना जल्दी संभव हो सके।

प्रान्त में नेत्र चिकित्सालयों की संख्या और उन पर व्यय

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कितने नेत्र चिकित्सालय हैं और वे किन-किन जिलों में हैं?

श्री बनारसीदास—इस प्रान्त में १९ नेत्र चिकित्सालय हैं। इलाहाबाद में एक सरकारी नेत्र चिकित्सालय "मनोहरदास नेत्र चिकित्सालय" है जिसमें २४ शय्यायें हैं। आगरा मेडिकल कालेज अस्पताल, गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ तथा बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में भी आंख के इलाज के लिये बड़े-बड़े वार्ड हैं और विशेषज्ञ नियुक्त हैं। अन्य जिला अस्पतालों में भी आंख के इलाज का समुचित प्रबंध है। इसके अतिरिक्त सीतापुर और अलीगढ़ में दो बड़े-बड़े नेत्र चिकित्सालय हैं जो स्थानीय ट्रस्ट द्वारा चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त फैजाबाद, पीलीभीत, गोंडा, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, बरेली, कानपुर, फ़र्रुखाबाद, नैनीताल हल्द्वानी, रानीखेत, पौड़ी (गढ़वाल), इलाहाबाद, बस्ती तथा बलिया में भी नेत्र चिकित्सालय हैं जो क्षेत्र योजना (Zonal Scheme) में सीतापुर के आंख के अस्पताल तथा जिला नेत्र चिकित्सा समितियों (District eye Relief Societies) द्वारा खोले गये हैं और जिनमें भी अच्छा काम हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा कर सकते हैं कि प्रान्त के समस्त जिलों में सरकार का नेत्र चिकित्सालय खोलने का विचार है ?

श्री बनारसी दास—उत्तर में यह कहा गया है कि इसके लिये सरकार ने एक जोनल योजना बनाई है और उसके मातहत सभी जिले आ जाते हैं और उस योजना के अन्तर्गत जिन जिलों में अस्पताल खोले गये हैं उनका जिक्र किया गया है और प्रायः सभी जिले उस जोनल योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं।

*७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेत्र चिकित्सालयों पर वार्षिक कितना व्यय होता है ?

श्री बनारसी दास—सरकार इलाहाबाद के मनोहरदास नेत्र चिकित्सालय पर ४९,९०० रुपया वार्षिक व्यय करती है। अन्य नेत्र चिकित्सालय के व्यय के विषय में पूर्ण सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकती है और प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची में जो औषधालय हैं केवल इलाहाबाद के मनोहरदास औषधालय के अलावा सभी अस्पतालों को सरकारी अनुदान नहीं दी जाती है ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये उत्तर में बताया गया है कि सीतापुर और अलीगढ़ को छोड़कर ५० हजार की रकम डाइरेक्टर साहब को दी जाती है और इस साल उस रकम को बढ़ाकर ७५ हजार कर दिया गया है और डाइरेक्टर के द्वारा वह अनुदान भिन्न-भिन्न अस्पतालों को दी जाती है। पूरी सूचना आने पर दी जा सकेगी।

*८—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ में कोई नेत्र चिकित्सालय हैं ? यदि हां, तो उसे इस वर्ष १९५२-५३ के बजट में कितना रुपया दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—हां, आजमगढ़ में एक नेत्र चिकित्सालय है उसे सन् १९५२-५३ के बजट में कोई अनुदान (Grant) नहीं दी गई है। सन् १९५३-५४ में कुछ सहायता देने का प्रयत्न किया जायगा।

*९-११—**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)—[१८ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

महानगर हाउसिंग कालोनी, लखनऊ की योजना

*१२—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महानगर हाउसिंग कालोनी, लखनऊ की स्कीम किस सोपान (स्टेज) पर है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—महानगर योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये उसे लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के प्रशासक के सुपुर्द कर दिया गया है और प्रशासक ने इस संबंध में समुचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन कब अक्वायर की गयी थी और ऐडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द कब की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी पूरे तौर से अक्वायर नहीं हुई है और पूरी जमीन ऐडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द नहीं हुई है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पारसाल जो पत्रकारों, लेखकों एवं कवियों को एक विश्वास दिलाया था कि उनकी एक हाउसिंग कालोनी बनायेंगे तो महानगर कालोनी को उनके लिये बनाने का सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस महानगर स्कीम में २० फीसदी जमीन पत्रकारों, डाक्टरों, वकीलों इत्यादि के लिये सुरक्षित रखी गयी है।

श्री भगवान सहाय—इस महानगर कालोनी में जो बाकी जमीन है वह किसके लिये रखी गयी है?

श्री मोहनलाल गौतम—६० फीसदी सरकारी मुलाजिमों के लिये, २० फीसदी पब्लिक मैन के लिये और २० फीसदी जैसा मैंने कहा जनरलिस्ट, वकील, डाक्टरों इन लोगों के लिये है।

❀ ❀ ❀

दारुलशफा के विधायक निवास में बढ़ती हुई चोरियां

*४—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान दारुलशफा के विधायक निवास में बढ़ती हुई चोरियों की ओर गया है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—सरकार को मालूम है कि दारुलशफा विधायक निवास में चोरी के कुछ वारदात हुये हैं। इन वारदातों को रोकने के लिये सरकार ने विधायक निवास के भूखंड के कमरों के पिछले बरामदों को बन्द करने व उन पर जाली लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। दो दरवाजों पर लोहे के खींचकर बन्द किये जाने वाले दरवाजे भी लगाये जा रहे हैं। विधायक निवास के चारों ओर एक चहारदीवारी बनाने की योजना पर भी सरकार गौर कर रही है।

विधायक-निवास की निगरानी करने के लिये चौकीदार भी नियुक्त हैं।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष—अनुदानों के संबंध में उनके लिये समय के बारे में किसी को सुझाव देना है?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं समझता हूं कि अनुदान संख्या ५—वन के लिये आज १ बजे तक ले लिया जाय और १५ मिनट में अनुदान संख्या ३७—प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन आज दोपहर सवा २ बजे से ५ बजे तक ले लिये जायं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या ५—वन, १ घंटा, अनुदान संख्या १२, २ घंटे, अनुदान संख्या १३, डेढ़ घंटा, अनुदान संख्या ३७, १५ मिनट। इस तरह से आज का दिन रखा जाय और कल के दिन केवल अनुदान संख्या ४३ रखी जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तीन दिन का है।

श्री केशव गुप्त—इसी लिये मैंने एक दिन में चार अनुदान और कल पूरा दिन अनुदान संख्या ४३ के लिये रखा है और बाकी जितने अनुदान हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित हैं वे तीसरे रोज के लिये रखे जायं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या १२ और १३ एक साथ लिये जायं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—मैं जगन्नाथ मल्ल जी के सुझाव का समर्थन करना चाहता हूं। खाली उसमें एक परिवर्तन करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या १२ और १३ को अगर आप आवश्यक समझें तो इकट्ठा ले लिया जाय। मेरा सुझाव है कि सवा ११ से १ बजे तक वन, १ से सवा बजे तक अनुदान संख्या ३७, सवा दो बजे से ५ बजे तक और कल प्रश्नों के बाद जितना समय मिले तब से सवा बजे तक अनुदान संख्या १२ और १३ इकट्ठे ले लिये जायं और कल फिर सवा दो बजे से ५ बजे तक योजना और एकीकरण और १३ तारीख को चिकित्सा संबंधी अनुदान लिये जायं।

श्री भूपालसिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—मैं श्री बालेन्दुशाह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मुझे एक आपत्ति है कि इकट्ठे न लिये जायं, एक आज ले लिया जाय और एक कल सवेरे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें आपत्ति है, इसलिये मैं उस आपत्ति को स्वीकार करके इस प्रकार से समय का विभाजन करता हूं—

आज के लिये,—

अनुदान संख्या ५	...	१ बजे तक
" " ३७	...	१५ मिनट
" " १२	...	सवा दो बजे से ५ बजे तक

कल के लिये—

अनुदान संख्या १३	...	सवेरे से सवा बजे तक
" " ४३	...	सवा दो बजे से शाम तक

परसों दिनांक १३-३-५३ को—

स्वास्थ्य की मांगें ली जायेंगी।

समय के लिये मैंने यह रखा है कि अनुदान संख्या ३७ को छोड़कर जिसके लिये केवल १५ मिनट रक्खे गये हैं बड़ी मदों में कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले को १५ मिनट और बाकी लोगों को १० मिनट का समय दिया जायगा।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत १,२६,८४,७०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष, इस वर्ष यानी १९५३-५४ के व्यय में करीब १ करोड़ २७ लाख रखा गया है और गत वर्ष इसी मद में १ करोड़ २१ लाख के करीब था। इस बढ़ोत्तरी का कारण एक तो वृक्षारोपण की योजना है जिसमें विशेष तौर से औद्योगिक महत्व Industrial importance के पेड़ लगाये जायेंगे। गत वर्ष केवल २ लाख रुपया इसके लिये रखा गया था, लेकिन इस वर्ष इसको बढ़ाकर ४ लाख रुपया कर दिया गया है। दूसरे शहतूत और एश के पेड़ लगाये जायेंगे जो कि खेल का सामान बनाने के काम में आते हैं जिनके लिये १९५२-५३ में ७७ हजार रुपया रखा गया था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर लगभग डेढ़ लाख कर दिया गया है।

इसी प्रकार जमींदारी जंगल जो अब गवर्नमेंट के पास आ गये हैं उनका वर्किंग प्लान बनाने के लिये टेहरी में एक नया सर्किल बना दिया गया है उसके बंदोबस्त (Forest Settelment) के लिये इस साल ११४ लाख रुपया के करीब रखा गया है जब कि गत वर्ष केवल ३५ हजार रखा गया था। इसी प्रकार मैनेंजमेंट आफ प्राइवेट फारेस्ट्स के लिये गतवर्ष ८ महीनों का खर्चा १० लाख ४ हजार के करीब रखा गया था, लेकिन चूंकि इस वर्ष वह पूरे १ साल का है इसलिये १५ लाख रुपया उसके लिये रखा गया है। इस वर्ष बहुत सी चीजों में बचत की गई है और इन बचतों से ही यह बढ़ोत्तरी की गई है। अर्थात् इस बढ़ोत्तरी का बहुत बड़ा भाग बचतों से ही पूरा किया गया है। इस साल गत वर्ष की अपेक्षा कुछ आमदनी भी कम आंकी गयी है। १९५२–५३ में जबकि ३ करोड़ २५ लाख के लगभग थी वह आज ३ करोड़ ११ लाख के करीब ही आंकी गयी है क्योंकि इस साल भाव कुछ मुलामियत (Slump) के आ गये हैं। दूसरी बात यह है कि वैस्टर्न सर्किल में बांस बहुत ज्यादा होता है, वह फूल सा गया है और नीलाम होने के काबिल नहीं रहा है। इसलिये इस साल इससे भी आमदनी कुछ घटी हुई है। आपको भली प्रकार मालूम है कि वन विभाग पर अब तक बहुत वर्षों से एक प्रकार से विपत्ति ही रही और जैसा कि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि युद्ध काल में ये जंगल बड़ी बेरहमी से काट दिये गये क्योंकि विदेशियों को लड़ाई जीतनी थी और वे समझते थे कि जहां पर उनके लड़के या बच्चे युद्ध के मैदान में कट रहे हैं, तो वे इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की उतनी कीमत नहीं समझते थे जितनी कि अपने बच्चों की। इसलिये उन्होंने जंगलों को बड़ी बुरी तरह से कटाया। साथ ही साथ जमींदारी की समाप्ति पर हमारे जमींदारों ने भी उसको राष्ट्रीय सम्पत्ति न समझ कर अपनी ही सम्पत्ति समझी और उन्होंने भी पैसे बनाने की नीयत से काफी मात्रा में काट डाला। हमारे पास जो उस वक्त पहले केवल ६,००० वर्ग मील के करीब वन भूमि थी वह आज बढ़कर लगभग १३ हजार वर्ग-मील हो गयी है परन्तु यह बढ़ोत्तरी केवल नाममात्र की कही जा सकती है। थोड़ा बहुत टेहरी सर्किल का अच्छा बन मिला और उसमें थोड़ा बहुत नुकसान मैंने सड़कों के किनारे तो पाया अन्यथा और कहीं कोई नुकसान नहीं है। परन्तु जमींदारों ने अपने जंगलों को एक प्रकार से बिलकुल ही नष्ट कर दिया था। तो अब हमारे सम्मुख सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि इन जंगलों को पुनः हरा भरा किया जाय और उसके लिये मैंने अभी जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये हैं उससे आपको विदित हो गया होगा कि प्लांटेशन में, इस समय हम स्पेशल स्कीम के मातहत काफी चीजें करने जा रहे हैं। वैसे साधारण तौर पर जो वन विभाग करता आया है वह तो रुटीन के तौर पर हर साल होता ही रहेगा परन्तु मैंने प्रारम्भ में जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये हैं उससे आपको विदित हो गया होगा कि हम किस तरह की चीजें करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वाअल कंजरवेशन की दृष्टि से तथा जमीन के कटाव व बहाव को रोकने के हेतु राजस्थान और आगरा के निकट जो रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा है उसको रोकने के लिये नहर की पटरियों पर और रोड्स के किनारे पेड़ लगाये जायेंगे। तथा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी इन स्थानों में बहुत कुछ काम होने जा रहा है जिसमें शीशम, सेमल, तून, आम इत्यादि कई किस्म के पेड़ लगाये जायेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पेड़ों को लगाने की आवश्यकता बहुत अधिक है और हमें जंगलों को हरा भरा करना इसलिये नहीं है कि केवल हमारी गवर्नमेंट की आय ही बढ़े बल्कि अपनी कृषि तथा खेती के काम को जो कि हमारा प्रदेश एक तरह से कृषि प्रधान देश है उसको इससे सहायता मिले। क्योंकि मुझे तो विश्वास है कि जिस देश के अन्दर जंगलों और कृषि भूमि का ठीक अनुपात नहीं होता वहां वर्षा की कमी होती है, मोयस्चर (नमी) की कमी होती है और खाद की भी कमी हो जाती है। इसलिये हम कृषि की जितनी तरक्की करना चाहते हैं उतनी नहीं हो सकती। इसके लिये आवश्यक है कि दोनों चीजों का सही अनुपात रहे। यह भी नहीं कि केवल जंगल ही बनते जायं और हमारा देश जो एक कृषि प्रधान देश है उसकी कृषि में विस्तार तथा उन्नति न हो।

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

मैं आपको कुछ देर में ये आंकड़े भी बतलाऊंगा कि कृषि के लिये हमारे यहां डिसफारेस्टेशन भी हुआ है और काफी मात्रा में कई हजार एकड़ डिसफारेस्टेशन हुआ है। भवन में आप कई बार इस बात को सुन चुके हैं कि कृषि के लिये बहुत कुछ कार्य हुआ है, कितनी जमीनें तोड़ी गयीं हैं। इस पर लोगों को सन्देह होता है और मुझे भी इस सदन के बहुत से सदस्यों से यह सुनने का अवसर मिला और वे कहते हैं कि टूटा या नहीं टूटा इसका क्या प्रमाण है? चूंकि मैंने भी स्वयं उन चीजों को नहीं देखा था लेकिन अब की बार मैंने रुद्रपुर, किच्छा, हस्तिनापुर जाकर इन चीजों को देखा है। इस सदन के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जितने पेड़ सड़कों के किनारे लगाये गये थे उनमें कितने जीवित हैं?

यह प्रश्न यहां पर पूछा गया। मैं आपको इतमिनान दिलाता हूं कि मुझे वहां देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं सीधे हलद्वानी से रुद्रपुर, किच्छा, रामपुर होते हुये गया। मैंने कहीं पर भी एक परसेंट या दो परसेंट से ज्यादा किसी पेड़ों की मृत्यु नहीं पाई है वहां पर सबके सब वृक्ष लहरा रहे थे। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी और मेरठ के भाई इस बात को जानते हैं कि वहां पर १५ हजार एकड़ भूमि पर जो वन खड़ा है उसको देख कर दिल में उमंग पैदा होती है और हमको उस समय की याद आने लगती है जब कि वहां पर ऋषि मुनि उन जंगलों में विचरा करते थे। मैं किसी भावावेश से यह नहीं कह रहा हूं। बल्कि वास्तव में और सचमुच में वह एक मनमोहक चीज है। जहां पर शेर और भालू रहा करते थे और मुझसे एक मित्र ने कहा था रुद्रपुर में कोई आदमी सहीसलामत दिन में नहीं जा सकता था। रुद्रपुर में देखा कि खेती का कार्य भी उन्नति पर है। कृषि और वन परस्पर किसी प्रकार से विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां पहले वन के हम उगाने की कोशिश करते हैं वहां अपने देश में कृषि उत्पादन में भी हम सहयोग देते हैं। इसी प्रकार से जहां कृषि की उन्नति होती है वहां पर वनों के महत्व का भी अनुभव किया जाता है। इसलिये आपके सम्मुख मैं इस बात को कह रहा था कि मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जितना वन हमको बढ़ाना चाहिये उतना नहीं बढ़ा है इसका कारण आर्थिक संकट है जो कि आपके सामने है और आप सब भली भांति जानते हैं। पर फिर भी इस तंगी में हमने जो यह प्लाण्टेशन किया है और करने जा रहे हैं यह कोई कम बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि ३० वर्ष के बाद सन् १९२० के पश्चात् से अभी कोई सही तरीके से प्लाण्टेशन का काम नहीं किया गया। मैं इस बात को बतलाना चाहता हूं कि प्रारम्भ में अंग्रेजों की जरूरत यह नीति रही कि कहीं न कहीं पर जंगलों को रखा जाय। मगर १८५७ के गदर के बाद जब उनको यह पता लगा कि लोग ऐसे मौकों पर जंगलों में आसरा लेते हैं तबसे उन्होंने जंगलों को बचाने की कोशिश नहीं की। मगर आज के दिन वह नीति बदल गई है और हमारी सरकार प्रयत्नशील है कि जितना भी हम अपने वन को बढ़ा सकें उतना बढ़ाने की कोशिश की जाय। मैं मानता हूं कि आमदनी को बढ़ाने के लिये यह आवश्यकीय है कि इनको बढ़ाया जाय और मुझे इस बात की आशा है कि आगे आने वाले वर्षों में इस ओर ध्यान दिया जायगा और इस बात की चेष्टा की जायगी कि अधिक से अधिक जंगल लगें। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि वनों का क्षेत्रफल जमींदारी विनाश तथा रियासतों के मिलने के बाद लगभग दुगुना हो गया है जमींदारी विनाश के बाद चार नये वन डिवीजन बिजनौर, बलरामपुर, सोन और बांदा बनाये गये हैं। वहां पर वैज्ञानिक ढंग पर वनों के विकास की बड़ी आवश्यकता है। इन जंगलों के उत्थान करने की लिये विशेषरूप से माननीय सदस्यों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। यों तो अगर हम उसी पुरानी जमींदारी वाली नीति पर चलें तो कभी भी वन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिये उसके लिये आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप उसमें सहयोग प्रदान करें तो उसमें कुछ नये सिरे से पेड़ लगाये जायं और जो जानवर किसी तरह के वहां पर छूटे रहते हैं उनसे भी बचाया जा सकता है अगर उनसे नहीं बचाया जायगा तो जंगल नहीं लगाये जा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी नहीं होना चाहिये कि कृषक कोई ज्यादती महसूस करें और जमींदारी समाप्त होने के बाद सरकार के पास इन जंगलों के पहुंचने से किसानों को कोई तकलीफ हो। इसके लिये सरकार ने पिछले साल अपनी तरफ से एक

सरकुलर भेजा कि सहानुभूति से किसानों के साथ बरताव किया जाय। और जहां पर स्पष्ट रूप से वाजिबुल अर्ज और दस्तूरदेही में जो चीजें दर्ज हैं वह भी हम ने कृषकों को दी हैं और कृषि संबंधी आवश्यकता के अनुसार हल, सूखी लकड़ी, कांटे, झाड़ी वगैरा चाहे वह वाजिबुल अर्ज में हों या न हों वह उनको दी जायं और इस के लिये हमारी स्थायी कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें यह सुझाव था और यह कोशिश हो रही है कि आगे आने वाले साल में किस तरह से गांव समाज या गांव सभाओं द्वारा यह चीजें बांटी जायं, जिससे जनता को कष्ट न हो। इसी प्रकार बागों का प्रश्न है और लोग समझते हैं कि सरकार से अनुमति लेने में बड़ी कठिनाई होती है और बहुत सी जगहों से यह भी शिकायत है कि बागात बुरे तरीके से कट रहे हैं और सरकार की ओर से कोई रोक-थाम नहीं हो रही है। यह दो परस्पर विरोधी धारायें माननीय सदस्यों के बीच में हैं और सरकार वही काम करना चाहती है जिससे किसान आगे बढ़ सकें और उनको किसी तरह का कष्ट न हो और साथ ही जंगल भी पनपें और किसान भाइयों को कृषि के काम में कोई बाधा या कष्ट न हो। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सहयोग से तमाम कठिनाइयां तुरन्त दूर हो जायंगी। इस तरह की बहुत सी पुरानी बातें हैं जिनके बारे में मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता।

इस वक्त हमारे प्रदेश में न्यूज प्रिन्ट की कोई इंडस्ट्री नहीं है और किसी भी उद्योग की उन्नति के लिये, उसके लिये रा मेटीरियल का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर रा मेटीरियल ही न हो तो कोई इंडस्ट्री ठीक से डेवलप नहीं कर सकती। हमने वैज्ञानिक तरीके से कत्था बनाने के लिये कोआपरेटिव संस्था को पेड़ दिये हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कत्था नये ढंग से बनाया जाय जिसमें वेस्ट न हो और शुद्ध माल (प्योर चीज) तैयार हो। हमारे यहां का रेजिन और कलक्टरबकगंज, बरेली की टरपेनटाइन सारी दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है और जो लीसा हमारे वनों से आता है और थोड़ी मात्रा में शोमेश्वर की कुटीर उद्योगशाला को दिया जाता है। यह बिलकुल एक ग्रामीण इंडस्ट्री है और यह जो टरपेनटाइन तैयार करता है वह भी अच्छा माना जाता है यह बिलकुल एक ग्रामीण इंडस्ट्री है, जो रेजिन मिलता है उसकी टरपेनटाइन बेस्ट समझी जाती है। अगर हम इस ओर ध्यान देंगे तो हमारे यह उद्योग धंधे काफी उन्नति कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ मेडिसनल प्लान्ट्स भी ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने एक बार बताया भी था कि कुछ मेडिसनल प्लाण्ट्स हमारे नीतिमानी और जौहर की घाटी में होते हैं और जो अब चकरौते में भी लगाई गई है उनसे जो मेडिसन निकलती है वह ४००, ५००, और ८०० रुपये पौंड तक बाहर बिकती है। कई और बहुमूल्य चीजें जैसे फ़र जिनसे हमारी इंडस्ट्री पनप सकती है। लीसे के बारे में ही मैं बताऊं कि पहले हम केवल ९० हजार मन टेप करते थे और अब वह बढ़कर २ लाख २० हजार यानी ढाई लाख मन के करीब हो गया है। हम अभी इसको ज्यादा यों नहीं बढ़ा सके कि अब तक जो ठेकेदार होते थे वे पेड़ों में जो चीरा देते थे वह बहुत ज्यादा दे देते थे और बहुत डीप शिगाफ बेदर्दी से किया करते थे क्योंकि उन का इण्टरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना ही था और इससे पेड़ खराब हो जाता था। इसलिए उसको डिपार्टमेंट की तरफ से वैज्ञानिक तरीके से लीसा निकालने का काम विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया, इसलिये अब तक इतनी ही प्रगति हुई है। दुर्गम स्थानों से पेड़ काट निकालने के लिये जो तरीका होता है (logging) उसकी शिक्षा के लिये हमने एक अफसर श्री चतुर्वेदी को कनाडा भेजा था। वहां से वह सब देखकर आये हैं। इन्हीं दुर्गम स्थानों में सिल्वर फर नाम का एक पेड़ होता है जिससे न्यूज प्रिंट और सिगरेट के ऊपर वाला कागज बनता है, इसके लिये डाल्मिया वगैरह बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें सिल्वर फर दे दिया जाय, लेकिन वह तो दूसरी बात है और इसमें यहां कोई संबंध नहीं। हम चाहते हैं कि न्यूज प्रिंट भी अपने देश में तैयार किया जाय।

वन उपज को सस्ते तथा सरल तरीके से बाहर निकालने में सड़कों का बड़ा महत्व है और यही कारण है कि लड़ाई में अंग्रेजों ने करीब-करीब सब जंगल कटवाकर उनका माल बाहर

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

निकाल दिया सिर्फ कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन रह गया था जहां कोई सड़क नहीं थी अब ढाई तीन लाख रुपये खर्च करके मार्ग बनाकर यहां की लकड़ी को बाहर निकाला जा रहा है।

जहां तक डिस्फारेस्टेशन का संबंध है हमने सहारनपुर में २ हजार पांच सौ एकड़ डिस्फारेस्ट किया। यह पथरी फारेस्ट में किया और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के पास जो बाढ़ पीड़ित गांव वहां के किसानों को दिया जाने वाला है। दूसरे ७ हजार ६ सौ एकड़ तराई और भावर में किया विस्थापितों और लैंडलेस को देने के लिये। शिल्पकारों के लिये बहुत काफी जमीन खाली की गयी है। अल्मोड़ा में ६७२.३ एकड़ हमने डिस्फारेस्ट किया जिसमें ६४१ एकड़ पर बस चुके हैं और ३१.५ अभी बचा हुआ है। गढ़वाल में १ हजार १३५ एकड़ डिस्फारेस्ट किया और जिसमें से ३११ एकड़ में शिल्पकार बस चुके हैं। और ८२४ एकड़ अभी बचा हुआ है जिसमें वह बसने को हैं। नैनीताल में १ हजार ७९२ एकड़ डिस्फारेस्ट किया उसमें ९४४ एकड़ पर बस चुके हैं और ८५२.५ एकड़ अभी बचा हुआ है। उसके बाद फिर भी इस सदन के माननीय सदस्य श्री खुशीराम जी ने कहा कि इस पर पुनः विचार किया जाय कि शायद अच्छी जमीन बची ही नहीं है। तो उनके लिये वह हमारे चीफ कंजरवेटर या किसी दूसरे फारेस्ट आफिसर के साथ तीनों जिलों में घूमकर स्वयं निरीक्षण करेंगे कि आबाद करने के लायक जमीन है या नहीं। रिपोर्ट देने पर उस पर विचार किया जायगा कि और जमीन डिस्फारेस्ट की जाय या नहीं। तो इस प्रकार वन विभाग कृषि के काम में भी अपने तरफ से बराबर मदद करता रहा है और करता रहेगा।

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है हमारे वन विभाग में गत वर्षों में कोई ऐसी विशेष बात नहीं हुई है। थोड़ी बहुत कुछ सबार्डिनेट स्टाफ में हुई हो। लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं हुई फिर भी हमारे विभाग की ओर से सर्कुलर्स गये हैं भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिये और उसके अनुसार हमारे वन अधिकारी कार्य भी कर रहे हैं। शायद हमारे विरोधी भाई समझते हों कि जैसे कि पुलिस के विरुद्ध जुर्म रिपोर्ट को दर्ज नहीं करने की शिकायत रहती है वैसे ही ओवरलुक वन विभाग में होता है, यह बात नहीं है। बल्कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसी कोई बात नहीं हुई है और यह बड़ी खुशी की बात है और मैं तो यह समझता हूं कि इस परम्परा को इस ट्रैडीशन को हमारा फारेस्ट डिपार्टमेंट के उच्च से उच्च अधिकारी से लेकर निम्नकोटि तक के कर्मचारी निभायेंगे और हम लोगों को आपके सामने इस बात को कहने में गर्व होगा कि भविष्य में आपको कोई कठिनाइयां भी नहीं रहेंगी। इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े।

मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन मैं जानता हूं कि समय कम है और आप साहबान चाहेंगे कि आप अपने विचारों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करें। स्पीकर साहब की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। मैं उनका आभारी हूं कि मुझे इतना समय दिया। अब मैं आपके सम्मुख सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकता कि आपके सहयोग के बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती। यह तो एक बहुत ही इन्नोसेंट डिपार्टमेंट है और इसमें कोई मतभेद का भी प्रश्न नहीं है। इसका परसेंटेज भी मैं आपको बताऊं कि अन्य देशों में कुल भूमि का ३३ परसेंट फारेस्ट के लिये रखते हैं। और हमारे प्रदेश के दोआब में केवल २ परसेंट भूमि पर वन हैं। और पेड़ों पर कुल भूमि २० प्रतिशत वन है। हमें इन वनों को बढ़ाना है और इसमें तो सहयोग की आशा है और मुझे आशा है कि आपका पूर्ण सहयोग इसमें प्राप्त होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से समस्त अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, यह मेरा दुर्भाग्य है कि समय समय पर मैं सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के द्वारा इस बात की चेष्टा करता हूं कि इस राज्य को और इस सदन को विभागों की

आमदनी और खर्चे के बारे में सही सूचना मिल सके और मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि वन विभाग में भी अगर वह इस स्पष्टता को लाते तो बड़ा ही उपयोगी होता। जब मैं एक तरफ उत्तर प्रदेश 'थ्रू फिगर्स १९४५–५२' वाली पुस्तक देखता हूं जोकि हमें एक पिछले साल भी बांटी गयी और एक इस साल बांटी गयी और दूसरी तरह अप्रोप्रिएशन आफ एकाउन्ट्स की आडिट रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है तो दोनों में बड़ा फर्क पाता हूं। 'फिगर्स' वाली रिपोर्ट में फारेस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन की 'ऐनुअल' रिपोर्ट को 'सोर्स' बतलाया गया है। तो पहली रिपोर्ट के अनुसार सन् ४५–४६ में रेवेन्यू २ करोड़ १२ लाख बतलायी गयी और जो सन् १९५०–५१ की एप्रोप्रियेशन आफ ऐकाउन्ट्स की आडिट रिपोर्ट है उसके अनुसार सन् ४५–४६ में एक करोड़ ९८ लाख की आमदनी थी। पहली रिपोर्ट में जो फिगर्स वाली है उसमें दूसरी संख्या सन् ४६–४७ की आमदनी की है, वह है १ करोड़ ९९ लाख और एप्रोप्रिएशन एकान्ट्स रिपोर्ट में १ करोड़ ८२ लाख आमदनी दिखलाई गयी है। ४७–४८ में उसमें २ करोड़ आमदनी है और एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट में १ करोड़ ८३ लाख आमदनी है। ४८–४९ में उसमें २ करोड़ ३७ लाख आमदनी और एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में २ करोड़ २२ लाख है। सन् ४९–५० में ३ करोड़ ४ लाख आमदनी और एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में २ करोड़ ७५ लाख। एक आध लाख का फर्क होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन २९ लाख का फर्क एक साथ है।

अब वन विभाग में खर्चा तुलना में कितना हुआ। सन् ४५–४६ में ८३ लाख हुआ और इस एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ८२ लाख। ४९–५० में उसमें लिखा है १ करोड़ ३ लाख और ८९ लाख एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ४८–४९ में उसमें लिखा है ८१ लाख और एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में ७९ लाख।

तो लगातार हर साल जब हम फर्क देखते हैं और दोनों रिपोर्टें बड़ी जिम्मेदारी के साथ दी गयी हैं तो हमें खर्च और आमदनी ठीक लगाने और जानने में बड़ी दिक्कत होती है।

इसके बाद टरपेंटाइन फैक्टरी का जिक्र किया गया। उसकी ओर नजर डालता हूं तो मालूम होता है कि ४८–४९, ४९–५० और ५०–५१ की आडिट रिपोर्टस् और एकाउन्ट्स हमारे सामने अभी तक नहीं आई है जिसकी कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में मांग की गई थी। केवल ४५–४६, ४६–४७ की आडिट रिपोर्ट ही अब तक पेश की गई है। सन् ४७ से लेकर आज १९५३ हो गया। कोई आडिट और एकाउण्ट रिपोर्ट टर्पेंटाइन फैक्टरी की तैयार नहीं है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने तलब भी किया और तब भी तैयार नहीं हुई। तो यह तो टर्पेंटाइन फैक्टरी का हाल है और खर्चे का हाल यह है कि जब बजट के अनुदानों को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि रेजिन के जरिये जब कि आमदनी में १ लाख की वृद्धि हुई है तो उस अनुपात के हिसाब से खर्चे में २ लाख ७५ हजार रुपये की। यह लीसे की आमदनी और खर्चे का हाल है। और दूसरे आमदनी के जरियों को जब हम देखते हैं तो इसी साल की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि सीतापुर की प्लाईवुड फैक्टरी और कुछ दूसरी औद्योगिक संस्थाओं को समझौते के आधार पर लकड़ी बेंची गयी। तो इस समझौते का आधार क्या है? नीलाम क्यों नहीं होता? जब कि वन विभाग एक आमदनी का विभाग है समझौते के जरिये किसी फैक्टरी को या किसी औद्योगिक संस्था को लकड़ी सप्लाई करना यह कहां तक उचित है। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि सरकार के खैर की लकड़ी को समझौते से बेंचने के कारण ५२ लाख रुपये का नुकसान ५ साल के अन्दर हुआ। यह पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है। तो यह ५२ लाख रुपये का नुक़सान एक बार खाने के बाद फिर सरकार समझौता क्यों करती है यह बात समझ में नहीं आती। दूसरी तरफ शुगर फैक्टरीज को वन विभाग रियायती दामों पर ईंधन देता है। यह क्यों? रियायती दाम क्या माने रखते हैं और तारीफ तो यह है कि कि ये रियायती दाम वन विभाग नहीं तय करता है सिविल सप्लाइज विभाग, गुप्ता जी का जो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

डिपार्टमेंट है वह तय करता है कि लकड़ी का दाम क्या हो और वन विभाग सप्लाई करता है। पिछले साल पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी में एकाउण्टेंट जनरल साहब ने और सारे कमेटी के मेम्बरान ने कहा कि वन विभाग अपनी सारी प्रोडक्ट्स का दाम खुद तय करे। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो कैसे आमदनी बढ़े। वह तो घट गई।

अब जरा लैन्ड मैनेजमेंट सर्किल की तरफ हम देखें तो पिछले तीन चार सालों की रिपोर्टों से मालूम पड़ता है कि इनका काम उतने नये पेड़ लगाना नहीं है जितने पुराने पेड़ जो सूख गये हैं उनके गड्ढे को फिर पेड़ों से भरना है। इस साल रिपोर्ट के देखने से मालूम होता है कि ८३ मील लम्बे, नहर के किनारे नये पेड़ लगाये गये और पिछले साल लगाये हुये सवा ८८ मील पेड़ फिर से लगाये गये। तो जहां पेड़ पहले लगाये गये थे वहीं फिर लगाये गये क्योंकि पहले लगाये गये पेड़ सूख गये। पिछले साल की रिपोर्ट से मालूम होता है कि जो पेड़ पुराने हैं उनको सूखने से बचाने का इन्तजाम हो रहा है तो यह बात समझ में नहीं आती कि लैन्ड मैनेजमेंट सर्किल का काम कैसे हल होगा। लैंड मैनेजमेंट सर्किल का एक उद्देश्य स्वायल इरोजन को रोकना भी है तो उसके लिये वह क्या प्रयत्न कर रहा है। तो यह आम सुझाव की बातें हैं जो कि अर्थ व्यवस्था और विभागीय व्यवस्था से संबंधित हैं।

इसके बाद माननीय नेगी जी ने बताया कि सोमेश्वर में जो टरपेंटाइन बनता है वह बेस्ट क्वालिटी का होता है। अभी कुछ ही दिन पहले जब माननीय उपाध्याय जी ने पूंछा था तो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि पहाड़ में इसलिये काटेज इंडस्ट्रीज नहीं सफल होते हैं कि वहां पर टरपेंटाइन घटिया वाली होगी और बरेली की फैक्टरी में बेस्ट क्वालिटी की होती है इसलिये हम पहाड़ की काटेज इंडस्ट्री इस प्रकार की नहीं बना सकते हैं। अब मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन समाचार के जानने के बाद पहाड़ पर काटेज इण्डस्ट्री खुलवाने पर विचार करेंगे।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं इसको करेक्ट कर दूं। मैंने यह कहा था कि वर्ल्ड मार्केट में बरेली की टरपेंटाइन फैक्टरी का जो टरपेंटाइन है उसका बड़ा नाम है मगर काटेज इंडस्ट्री जो सोमेश्वर में है उसके बारे में लोगों से सुनने के बाद यह मालूम हुआ कि वह भी बहुत अच्छा काम कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय नेगी जी ने वर्ल्ड टरपेंटाइन इंडस्ट्री व मार्केट का कहीं नाम ही नहीं लिया था। यह तो अब कह रहे हैं। अगर मैंने न सुना हो तो वह बात दूसरी है। यह तो आपने कहा कि सोमेश्वर की फैक्टरी का जो टरपेंटाइन है वह बेस्ट क्वालिटी का है तो इसलिये खैर जो आपने कहा उसकी ही बात कह रहा हूं कि इंडियन मार्केट में भी अगर सोमेश्वर टरपेंटाइन बेस्ट क्वालिटी की मानी जा सकती है तो फिर मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे इस निवेदन पर विचार करेंगे कि टेहरी में और भुवाली में जो टरपेंटाइन फैक्टरी खोलने का सुझाव है उस पर विचार किया जा सकता है। तो इसके बाद जो मुझे इस संबंध में सुझाव देना है वह फारेस्ट पंचायत ऐक्ट बनाने के बारे में है। सारे कुमायूं डिवीजन के जंगलों की रक्षा के लिये फारेस्ट पंचायत का कानून बना हुआ है। कई साल से 'फारेस्ट पंचायत बिल' बना हुआ है लेकिन अभी तक वह ऐक्ट नहीं बना। दूसरी बात यह है कि गांवों में जमींदारी अबालीशन के बाद 'प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट' भी अब अधिक कारगर नहीं है। हमारे देहातों में आमतौर पर शिकायत रहती है कि अगर हम यहां पर हैं तो हमें हक हकूक की लकड़ी ११ मील की दूरी पर मिलती है। अगर किसी का गांव भुवाली में है तो उसको हक हकूक की लकड़ी लोहाली के जंगल से मिलती है। इस पर कई छोटी कमेटियां बनी, मिली भी हैं और उन्होंने कहा कि ५ मील के अन्दर हकूक मिलना चाहिये। दूसरा चराई का प्रश्न है। जंगलात विभाग के अधिकारी, जिनके अनकरप्ट होने का दावा नेगी जी कर रहे हैं कि बहुत हद तक कम हो गया है, सारे कुमायूं डिवीजन में जो गांवों के लोग पहाड़ से भावर या तराई जानवर चुगाने के लिये आते हैं उन के ऊपर आतंक

ढाते रहते हैं। हां, अगर रोज दही की ठेकी लेकर या दूध की बाल्टी लेकर रेंजर साहब के पास पहुंच गये तो कुछ नहीं होता है नहीं तो चराना दूभर हो जाता है। यह शिकायत सुनने को मिलती है कि लंधौर रेंज में, चौरगली में अगर दूध दही की ठेकी अफसरों तक नहीं पहुंची तो जंगलों में चरने नहीं देते हैं। जहां लकड़ी का यह हाल है वहां यह करप्शन भी है। इसलिये मैं माननीय नेगी जी व माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना थोड़ा सा समय निकाल कर जो कन्जरवेटर या डी० एफ० ओ० हैं जो कि अपने को आसमान पर चढ़ा समझते हैं उससे उतार कर जरा जन सम्पर्क में लाने की कोशिश करें। अन्यथा जंगल विभाग का जो स्तर है वह बहुत बदनाम हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री अवश्य इस ओर ध्यान देंगे और मुझे आशा है कि वन विभाग में जहां तक लकड़ी और चराई की व्यवस्था है वह अगले साल ठीक हो जायगी।

भूमिहीनों के बारे में भी नेगी जी ने कुछ कहा है जो उन्होंने आंकड़े दिये हैं उन आंकड़ों से मैं कह सकता हूं कि वे गलत हैं और जो ८२५ एकड़ जमीन बतलायी गई कि कब्जे में नहीं ली गई है वह ८२५ एकड़ जमीन कहां है वह माननीय नेगी जी बतलायें। नैनीताल में ८२५ एकड़ जमीन जरूर बतलाई गई है जो कि भूमिहीन आबाद नहीं करते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वह ऐसी पथरीली और चट्टानी जमीनें होंगी जिसमें सब से अच्छा किसान भी आ जाय तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। चौगढ़, विस्जूला आदि पट्टियों और तराई में ऐसी कई भूमि पड़ी हुई हैं जिन पर एक भी पेड़ नहीं हैं। सन् १९११ से लेकर आजतक वहां उदाहरणतः चौवान चक, निलोटी चक, कालीगाड चक आदि में एक जंगल विभाग का पेड़ नहीं है। तो वहां पर डिस्फारेस्ट करने का सवाल नहीं है। वहां पर तो आप भूमिहीनों को जमीन दे सकते हैं लेकिन उसकी योजना होनी चाहिये। मैं माननीय नेगी जी से प्रार्थना करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से आदेश की प्रार्थना करूंगा कि ऐसी जमीन जहां पर पेड़ नहीं हैं उसको भूमिहीन काश्तकारों को देना चाहिये। मैं मानता हूं कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुये आज पहाड़ों के जंगलों की रक्षा अति आवश्यक है लेकिन वहां पर भूमिहीनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माननीय नेगी जी जानते हैं कि वहां हमारे कुमायूं डिवीजन में कितनी जमीन की भूख है हजारों भूमिहीन जमीन के हेतु आन्दोलन कर रहे हैं तो इस तरह से यह जमीन की भूख पूरी नहीं हो सकती। यदि वहां जमीन की कमी है तो कम से कम जितनी जमीन वहां उपलब्ध है उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिये। तो मैं माननीय नेगी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अवश्य ध्यान दें। कल भी मैंने एक बात कही थी कि ग्रान्ट्स इन एड कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि जंगलों की आमदनी का एक चौथाई हिस्सा कुमायूं, गढ़वाल के किसानों को बोर्डों द्वारा दिया जाये। मैं श्रीमान् आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय नेगी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कमेटी के इस सुझाव को मान लेंगे और फारेस्ट डिपार्टमेंट उसके इस सुझाव का अवश्य समर्थन करेगा। सन् १२ से किसानों से यह कहा जा रहा है कि जंगलों की आमदनी का जो सरप्लस है वह कुमाऊं को मिलेगा जो सरप्लस पहले २ लाख था अब वह सरप्लस ५० लाख से कहीं ज्यादा हो गया है। तो अगर उसका एक चौथाई हिस्सा जो कि वहां के जंगलों की आमदनी है, उन लोगों को मिल जायेगी, तो इससे वहां के वनों की रक्षा हो सकेगी और उनका हौसला वनों की रक्षा करने में बढ़ेगा। वे यह समझेंगे कि इस आमदनी से उनको भी कुछ मिल रहा है, तो इस तरह से वे वनों की रक्षा कर सकेंगे। सब जानते हैं कि वनों का महत्व क्या है। वनों का वर्षा में भी असर पड़ता है और पानी मिलने में भी वृद्धि होती है, और इन सब बातों की रक्षा वहां की जनता को ही करनी है। इसलिये कुमायूं के जिले में रहने वाले किसानों को जंगल विभाग द्वारा उसकी आमदनी का एक चौथाई हिस्सा कमेटी के सिफारिश के अनुसार अवश्य दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करें।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अब एक प्रश्न यह है कि जंगलों की जड़ी-बूटी का प्रबन्ध ठीक होना चाहिये। जंगलों में शहद, पीपल और लाख आदि सामान निकलता है, लेकिन उसका इन्तजाम सम्बद्ध नहीं है। पिछले साल एक रिसर्च सेंटर रानीखेत में खुला है, तो सरकार ने यह काम उस सेंटर को दिया था कि वह उसको बाहर भेजे। मगर उस सेंटर ने कोई भी बाहर भेजने का इन्तजाम नहीं किया। इस तरह से लाखों रुपये जिन जंगलों से पैदा हो सकते हैं, उसका प्रयोग और बाहर भेजने का प्रबन्ध गवर्नमेंट को ठीक तरह से करना चाहिये। इससे जो दवाइयां हैं उनका उपयोग हो सकेगा। इस तरह से इन चीजों का सुन्दर इन्तजाम हो सकता है जो प्रदेश की दवाइयों के काम में आ सकता है, सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया है। अब चूंकि इसमें बहुत लोग बोलना चाहते हैं, इसलिये मैं ७ मिनट का समय इस अनुदान पर विवाद करने वालों के लिये रखना चाहता हूं।

श्री भूपालसिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। पिछले कुछ वर्षों में जो शासन ने वनों के विकास के लिये योजनायें प्रसारित की हैं उनका समर्थन सर्वथा इस प्रदेश में हुआ है। यदि उन योजनाओं को सुचारु रूप से आगे चलाया गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ वर्षों में हम अपने देश के सामने बहुत कुछ उपस्थित कर सकेंगे। सब से बड़ी बात वनों की रक्षा और प्रसार के सम्बन्ध में जो मैं सरकार के सामने उपस्थित करना चाहता हूं, वह यह है कि वनों का विभाग कोई आमदनी का विभाग न समझा जाये। बल्कि यह एक निर्माण का विभाग समझा जाये। पिछले कुछ वर्षों में वन विभाग की आमदनी बढ़ी है। इस वर्ष भी मैं देखता हूं कि जो कुछ आमदनी यहां आंकी गई है, और जो अनुदान इस विभाग को चलाने के लिये मांगा जा रहा है, उसमें लगभग १ करोड़ ८४ लाख की आमदनी है और मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग की सारी आमदनी में से जो सरप्लस है उसको वनों के विकास में यदि खर्चा किया जाय, तो इससे इस प्रदेश का अवश्य कल्याण होगा। अभी अभी हम लोगों को अनुभव हो गया है और सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे जीवन में वनों का कितना महत्व है और इसके सम्पन्न न होने से इस प्रदेश को जो कुछ नुकसान होता है, उस ओर भी संकेत अभी किया गया। पिछले वर्ष हमें अपने सारे प्रदेश में इस किस्म की घटना मिली कि ३०, ४० फीट गहरे कुओं में भी पानी नहीं मिला और मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही है कि पिछले वर्षों से अभी तक जो विनाश वनों का हुआ है, वही पानी न मिलने का कारण है और इसी से आज हमारा सारा प्रदेश और देश सूखता चला जा रहा है। आज भी शायद सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। खास कर कुमायूं के लिये मैं कहता हूं कि गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा का क्षेत्रफल करीब १५ हजार वर्गमील है। उसमें से केवल २ हजार वर्गमील में सरकारी जंगलात हैं। बाकी ३ हजार वर्गमील भूमि ऐसी है जो खेती के काम आती है और बाकी सिविल बेनाप जंगल हैं जो सरकारी जंगल माने जाते हैं लेकिन उनको गांव के लोगों को इस्तेमाल के लिये दे दिया गया है। गांव के लोगों का उन जंगलों पर पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भूमि की कमी के कारण लोगों ने उनको इस बुरी तरह से बरबाद किया है कि आप किसी गांव में चले जाइये, आप यह देखेंगे कि सब सिविल बेनाप जंगल बरबाद हो चुके हैं और उनमें अब पेड़ नहीं हैं। वहां के लोग यह चाहते हैं कि या तो वे नयाबाद कानून से भूमि प्राप्त कर लें या बिना किसी इजाजत के कानून को हाथ में लेकर उस जमीन को खोद लें। आज सारे प्रदेश में और

खास कर कुमायूं की जनता की ओर से यह मांग है कि उनको अधिक जंगलों के अधिकार दिये जायं, अधिक जलाने की लकड़ी दी जाय, और मकान बनाने की इमारती लकड़ी भी अधिक दी जाय। मैं यह कहता हूं कि सरकार चाहे कुछ कहे लेकिन जो जंगल उसके पास हैं उनसे जनता की मांग पूरी नहीं की जा सकती यदि सिविल जंगलों की रक्षा न की गई तो इस प्रदेश की भारी आर्थिक हानि होगी। इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से आज कल सिविल बेनाप जंगलों को गांवों के लोगों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है और उनको बरबाद होने दिया गया है, अब समय ऐसा आ गया है कि केवल कुमायूं के लिये ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की भूमि रक्षा और पानी को प्राप्त कराने के लिये जल्द से जल्द सिविल बेनाप जंगलों की रक्षा की जाय और उनका विकास उसी तरह से किया जाय जिस प्रकार सरकार अपने और दूसरे जंगलों का करती है। साथ ही कुमायूं के लिए एक भूमि प्रबन्धक मंडल बनाने के लिये कुमायूं फारेस्ट कमेटी द्वारा कहा गया था। कुमायूं और गढ़वाल के ऊपरी भागों में काफी गांव बरबाद हो चले हैं। यहां तक खबरें हैं कि दानपुर, जौहर और दारमा जो तिब्बत से मिले हुये हैं वहां दस बीस गांव हर साल ऐसे होते हैं जिनका नामो निशान तक नहीं रह जाता। इसलिये मैं समझता हूं कि जब तक भूमि प्रबन्धक मंडल वहां पर स्थापित नहीं किया जाता, नदियों के किनारे बांध नहीं बनाये जाते और जंगलों को कटने से नहीं रोका जाता, तब तक जो बाढ़ आती है, जिससे सैकड़ों गांव देश में भी बरबाद हो जाते हैं और जिन पर करोड़ों रुपया हमें खर्च करना पड़ता है, उसे हम नहीं रोक सकते हैं। साथ ही जैसे माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि वहां के पंचायती जंगलों के लिये अधूरे और अस्पष्ट नियम बने हुये हैं। जब तक वहां के लिये कोई विधिवत अधिनियम नहीं बनाया जाता तब तक वहां के जंगलों की रक्षा नहीं की जा सकती है। कुमायूं पंचायती फारेस्ट रूल्स जो इस समय हैं उनसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है और उस गड़बड़ी को जल्द दूर करना चाहिये।

कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में अभी माननीय उपमंत्री महोदय ने फरमाया कि हमें इसमें कुछ सफलता मिली है। मैं यह चाहूंगा कि इस अनुभव को और आगे बढ़ाया जाय और इसकी मांग भी जनता की तरफ से बहुत ज्यादा है। जंगलात विभाग की ओर से यह कहा जाता है कि कुटीर उद्योग यदि बढ़ जायगा तो टरपेंटाइन का भाव गिर जायगा। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि जो लोग कोई रोजगार करते हैं उन्हें नफा या नुकसान उठाने के लिये तैयार होना चाहिये। यदि कोई किसी रोजगार में जाना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसको वे सुविधाएं प्रदान होनी चाहिये जो कि वह मांगता है। टनकपुर, पिथौरागढ़ सड़क बन जाने से पूर्वी अल्मोड़ा वृत खुल गया है और वहां से हम हजारों मन रेजिन इकट्ठा कर सकते हैं और उन तमाम लोगों को रेजिन दे सकते हैं जो कुटीर उद्योग के लिये उसे चाहते हैं। आज तक वन विभाग की तरफ से बड़ी अड़चनें रही हैं। केवल सोमेश्वर में एक सज्जन को कुछ लीसा दिया गया। उनके अतिरिक्त कितनी ही मांगें सरकार के पास आती रही हैं परन्तु उनको नहीं दिया गया और इस प्रकार वहां के लोगों को कुटीर उद्योग में कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सका।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने एफोरेस्टेशन के बारे में, गेम्स के बारे में और फिशरीज के बारे में, जड़ी बूटी उत्पादन के विषय में बहुत दफा कह चुका हूं। इसलिये इन विषयों को फिर से न दोहराकर आज जंगलों के एक्सप्लाएटेशन के बारे में और जंगलों की इन्डस्ट्रीज का जो विकास हो सकता है, उसके बारे में कहने की इच्छा रखूंगा, और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उन बातों को कार्यान्वित करेंगे।

एक्सप्लाएटेशन के बारे में मुझे कहना है कि जंगलों में तीन किस्म के आपरेशन्स होते हैं, एक तो दरख्तों का गिरान, दूसरा उनका चिरान और तीसरा उनका ढुलान। तो

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

उसके बारे में मुझे कहना है कि जो दरख्तों का गिरान हमारे प्रदेश में हो रहा है वह बहुत पुराने ढंग का है। इसमें दो तीन फिट ऊपर जड़ के हमारे यहां गिरान होता है। कुल्हाड़ी से दरख्त गिराये जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि काफी लकड़ी यों ही जाया हो जाती है उससे जंगलों में आग लगने का अंदेशा हो जाता है। इन जड़ों में हमेशा रेजिन रहा करता है जो आग को एकदम फैलाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मान लिया चालीस हजार दरख्त एक साल कटे और हर एक दरख्त में तीन फिट लकड़ी जो जड़ की होती है वह जाया हो जाती है तो एक लाख से ज्यादा फीट यूंही बरबाद हुई, अगर जैसे कश्मीर में गिरान किया जाता है जो कि बिल्कुल जमीन की लेविल से आरे से किया जाता है, वैसे ही किया जाय तो हम उस लकड़ी को काम में ला सकते हैं। इसके अलावा शाख त्राशी करके दरख्त के सिरे को रस्से से बांध कर उस तरफ दरख्त गिराया जाता है जिससे बाकी पौधों को कोई नुक़सान न हो, मगर हमारे यहां यह चीजें नहीं हो रही हैं। दरख्त को कुल्हाड़ी से गिराकर, जिधर वह गिरना चाहे वह गिरता है इससे बाकी पौधों को बहुत ज्यादा नुक़सान हो रहा है। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही किस्म का जो साइन्टिफिक तरीके का गिरान है वह हमारे प्रदेश में भी किया जाय।

इसके अलावा चिरान का भी तरीका कुछ ऐसा ही है जिससे ज्यादा क्युविकल कण्टेण्ट जंगल में ही रह जाता है और कम लकड़ी शहर में बिकने के लिये आ पाती है। अगर मशीनों के जरिये उसका चिरान किया जाय तो बहुत ज्यादा क्युविकल कण्टेण्ट (घनफुट लकड़ी) हमारे काम में आ सकती है। इसके अलावा ढुलान का जो तरीका है वह भी एक पुराने ढंग का है। हमारे यहां जो तरीका है उसमें एक आदमी के सिर पर एक शहतीरी रखा जाता है। तीन मील वह पैदल चलता है और नाले तक लाता है फिर तीन मील वापस जाकर दूसरी शहतीरी वह लाता है। दिन भर में वह तीन चार शहतीरी ला सकता है। अगर वायररोप्स का प्रयोग किया जाय जैसा कि कश्मीर में हो रहा है कि वायर रोप्स जंगल के सिरे में बांध दिये जाते हैं। वहां से नाले तक वह फैले रहते हैं। तो एक मिनट में एक शहतीरी आ जाती है। इससे हम बहुत सी ह्यूमन लेबर भी सेव कर सकते हैं। इनके अलावा कई एक ऐसे अपरेशन्स हैं जैसे ड्राई स्लाइड, वेट स्लाइड पथ्रू व पक्की नाली जिनको विस्तार में मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है मगर मैं चाहूंगा कि फारेस्ट विभाग इन बातों पर ध्यान दे और उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करे।

इसके अलावा जो दूसरी बात मुझे कहनी है वह यह है कि अगर फारेस्ट विभाग के जरिये से सड़कों का निर्माण हो तो मेरे खयाल में ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देहरादून ट्रेनिंग में उन लोगों को इस बात का अच्छा ज्ञान हो जाता है कि क्या ग्रेडियण्ट व आसपैक्ट में सड़कों को बनाना चाहिये। बजाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाय तो सड़कों की व्यवस्था में बहुत सुधार हो सकता है।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारे जंगलों में जो विक्रय होता है वह आक्शन के जरिये होता है। मैं चाहूंगा कि यह टेण्डर के जरिये हो तो कुछ इसमें सुधार हो सकता है। अंग्रेजी हुकूमत की डिवाइड ऐण्ड रूल की प्रथा प्रचलित थी वह ज्यादा से ज्यादा कीमत में जंगलात को बेचना चाहते थे लेकिन उसका बड़ा बुरा परिणाम हुआ। कभी ठेकेदार आपस में मिल जाते हैं और एक लाख के जंगल को ५० हजार में ही ले लेते हैं। और कभी झगड़ा हो गया तो एक लाख के जंगल को डेढ़ लाख में लेते हैं। इससे घूसखोरी का कारण पैदा हो जाता है। मेरा जो दस साल का कश्मीर के जंगलों का तजुर्बा है उसकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि टेंडर प्रथा से बुराइयां हटाई जा सकती हैं। आदमी सोच समझ कर वाजिब कीमत पर जंगल को लेगा और उसको कोई प्रोत्साहन नहीं होगा कि वह घूसखोरी के परिणाम पर जाय।

इसके अलावा मैं सोयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के लिये भी उन्नति चाहूंगा।

आज कल जंगलों का सोयल इरोजन बहुत हो रहा है और खास कर पर्वतीय इलाके में। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ओर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। हमारे यहां फायरवुड कूप्स बहुत ज्यादा हैं। मैं चाहूंगा कि उसके बजाय अगर वहां हार्टी-कल्चर गार्डन बन सकें तो अच्छा हो। इसके लिये जमीन देनी चाहिये। जो पर्वतीय चारों जिले हैं उनकी इस ओर उन्नति होने की बहुत आवश्यकता है। समय थोड़ा है, इसलिये मैं संक्षेप में थोड़ी सी बातें कहूंगा। मानइर फारेस्ट प्राडक्ट्स, जैसे बैलाडोना, कुठ धूप थैरीथ्रम लाख और गोंद वग़ैरा हैं उनको हमारी सरकार को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। ऐसे ही कत्था है और रसौत है जिसे पहाड़ी में चिलमोड़ा कहते हैं। इनकी भी काफी तरक्की हो सकती है। क्रियोसोटिंग प्लांट जैसे पंजाब में ढिलवा है इसी तरह अगर हमारे इलाके में भी लगाई जाय तो इससे बहुत कुछ बेकारी मिट सकती है और लकड़ी के व्यापार में उन्नति हो सकती है। जैसे चीड़ की लकड़ी में दीमक कीड़ा बहुत लगता है इससे यह होने से रोका जा सकता है। ज्वाइनरी मिल यदि हमारे यहां भी हो, जैसा कि कश्मीर में है, और जहां ३०० मील माल लाकर पठानकोट में बेचा जाता है, तो इससे बहुत लाभ हो सकता है। सटैंडर्ड साइज के दरवाजे और खिड़-कियां बना कर बेंची जा सकती हैं। इसी तरह सिल्क की इन्डस्ट्री के विकास के लिये मलबैरी को बढ़ा कर सिल्क पैदा करने में बहुत कुछ उन्नति होने की गुंजाइश है। और फर्नीचर, खेल का सामान, प्लास्टिक और पेपर पल्प प्लाईवुड टायज की और पैकिंग केसेज की भी बहुत उन्नति हमारे देश में हो सकती है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष, वन के सम्बन्ध में प्रत्येक साल कई सुझाव दिये जाते रहे हैं। वनों से उत्पन्न साधनों के इस्तेमाल से जो-जो गृह उद्योग धंधे चलाये जा सकते हैं उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। माननीय नेगी जी ने भी इस बात को मंजूर किया और इसके बारे में काफी चर्चा की। लेकिन खाली कह देने से काम नहीं होता। क्या यह सरकार बता सकती है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिये उसने कोई क्रियात्मक कदम उठाये हैं? अगर नहीं तो सरकार अपनी नीति में असफल रही है। अभी माननीय नेगी जी ने अपने भाषण में क़बूल किया कि इस राज्य के जंगलों में सबसे बड़े जंगल उन्हें टेहरी के प्राप्त हुये हैं। उन जंगलों का प्रबन्ध पहले से ही समुचित रुप से तत्कालीन सरकार के हाथ में था और इस सरकार को वहां का ठीक काम चलाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये थी। लेकिन विलीनीकरण के पश्चात् से जो जंगल सम्बन्धी नीति वहां बरती जा रही है वह बिलकुल उपयुक्त नहीं है। अगर यह कहा जाय कि जंगलों की सुरक्षा, जनता के हितों और रियासती युग के कर्मचारियों के लिये कोई समुचित खयाल नहीं रखा जा रहा है तो ज्यादती नहीं होगी। वहां जंगलों की व्यवस्था पहले से ही दुरुस्त थी, जैसा मैंने अभी कहा, और वहां योग्य दीक्षा प्राप्त कर्मचारी थे। लेकिन आज वहां ऐसे अनुभवी लोगों के होते हुये भी उन्हें यू० पी० सरकार के भेजे हुये कम अनुभवी लोगों के मातहत रखा जा रहा है। एबसार्बशन के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि जिस तारीख से वहां के लोग एबसार्ब किये जावेंगे उसके बाद से ही उनकी सीनियारिटी क़ायम होगी। मैं चाहता हूं कि यह बात झूठ हो और यदि यह सत्य है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी पहली सर्विसेज का भी खयाल रखे। हमारी सरकार ने वहां फारेस्ट सैटिलमेंट के लिये ८०–९० हजार रुपया खर्च किया जिससे कोई लाभ न हुआ। वहां पर लोगों की तरक्की के लिये कोई जमीन नहीं दी गई है और न इस सेटलमेंट से इस समस्या का हल निकला, जिसके सम्बन्ध में पहले भी कई आन्दोलन हुये हैं। पिछले साल जब हमने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस सदन में आकर्षित किया था तो उन्होंने अपने जवाब में बताया था कि जनता जंगलों के लिये नहीं है बल्कि जंगल जनता के लिये हैं।

[श्री सत्यसिंह राणा]

इसलिये मेरा कहना है कि सटेलमेंट के बजाय डिमार्केशन के द्वारा जंगलों में मीनारे हटाये जावें। एक बात और उन टुकड़ों के मुताल्लिक है जो जंगलात के अन्दर काफी तादाद में पड़े हुये हैं। जो आबादी के लिये आसानी से दिये जा सकते हैं। यह भी मैं कहना चाहूंगा कि भूमिहीन और हरिजनों के लिये जमीन की कोई व्यवस्था नहीं है। नेगी जी ने कहा कि राज्य के कई जिलों में इसके लिये बहुत सा जंगल डिफारेस्ट किया गया है लेकिन टेहरी में ऐसा कोई जंगल नहीं जो हरिजन और भूमिहीन लोगों के हितार्थ Deforest कर दिया गया हो।

वहां की सड़कों और पुलों को देखने से तो यह मालूम होता है कि वहां कोई सरकार ही नहीं है विलीनीकरण के बाद से सब सड़कें बिना मरम्मत के पड़ी हुई हैं और जो पुल थे वह भी बह चुके हैं। मैं माननीय नेगी जी को बताना चाहता हूं कि जब वे उत्तर काशी तशरीफ़ ले गये थे तो उनके लिये रास्ते में बड़ेथी स्थान पर रात ही रात में पुलिया बनाई गई थी। नेगी जी ने डिप्टी मिनस्टर की हैसियत से जो वहां के लोगों को आश्वासन दिये हैं उनमें से आज तक एक की भी पूर्ति नहीं हुई। उन्होंने श्रमदान से बनने वाली डांगचौरा की सड़क के मुताल्लिक यह आश्वासन दिलाया था कि जंगलात विभाग उसका चट्टानी हिस्सा बनावेगा किन्तु उस दिशा में अब तक कोई कार्य जंगलात विभाग ने नहीं किया।

श्री जगमोहन सिंह नेगी----मैंने जो कहा था उसे वहां के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने लिया है। मगर मैंने चट्टान का शब्द नहीं कहा था बल्कि औजार और एलाइनमेंट की मदद के लिये कहा था।

श्री सत्यसिंह राणा--खैर, कुछ एक्सप्लेनेशन देने की सरकार की ओर से कोशिश की गई लेकिन उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। आपने हमारे सामने कुछ नहीं कहा लेकिन जिस तरह से वहां जिलाधीश ने और कंजरवेटर ने आपके आश्वासन के मुताल्लिक एलान किया है उसके बारे में मैं कह रहा हूं। आप उन लोगों से दरियाफ्त कर सकते हैं। उत्तर काशी से धरातू के लिये सड़क का भी उन्होंने आश्वासन दिया था मगर कुछ नहीं किया गया। मैं सरकार की सेवा में निवेदन करूंगा कि जहां जंगल इतनी प्रचुर और अधिक मात्रा में हों वहां उनकी सुरक्षा के लिये कम से कम सड़कों और पुलों का होना नितान्त आवश्यक है। मुझे स्वयं जंगलों के बारे में कहना है कि वे पहले पंचायतों में हुआ करते थे लेकिन कुछ अर्से से जंगल विभाग में आ गये हैं। इससे उनकी बरबादी ही हुई है। जंगल विभाग उन जंगलों में रवन्ना देकर पेड़ कटवा रहा है और रेजिन तक Extract करवा रही है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जब पंचायतों का निर्माण हो रहा है और उनकी तरक्की और वृद्धि का सवाल चल रहा है तो वे जंगल उन्हें वापस दिये जावें। एक और बात उनके नोटिस में यह भी लाना चाहता हूं कि जो जंगलात के दफ्तर यमुना और टोंस डिवीजनों से मसूरी और चकरौता में शिफ्ट किये गये उसका मतलब हवा खोरी और वहां मोटरों और सिनेमा की सैर के लिये ही कहा जा सकता है। उनसे न कोई जनता को फायदा है और न जंगलात के सबार्डिनेट कर्मचारियों को और न जंगलों को ही सुरक्षित किया जा सकता है। दफ्तरों को हटाने से जो खर्चा वहां हुआ और होता है उसका अन्दाजा लगाइये और फिर प्रेस्टिज कम्पेलिक्स का शिकार न बन कर डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को जहां पहले था वहीं वापस करने की कृपा करें।

अब समय समाप्त हो रहा है। मैं इन सब बातों की ओर दोबारा किसी समय सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि सरकार मेरी प्रार्थना पर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करेगी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पहले गिरिराज के वनवासियों को अवसर दिया और उसके अनन्तर एक विन्ध्यक्षेत्र के वनवासी को अवसर दिया। मैं उसके बाद उपमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वन के विकास के संबंध में जो अनुदान उपस्थित किया है उसमें बड़ी आशायें हैं। अभी प्रातः ही हमारी बातें चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट से हो रही थीं। उन्होंने जो भव्य योजनाओं का चित्र हमारे सामने रखा उसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि वृन्दाबन को वे नन्दन कानन बनाने जा रहे हैं और जो राजपूताने की तरफ से रेगिस्तान बढ़ता चला आ रहा है उसे भी रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। यह सब बातें ऐसी हैं जिससे हमें सुन्दर भविष्य की आशा स्पष्ट दिखलायी पड़ती है।

लेकिन अब कुछ और बातें हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन ज्यों-ज्यों पास आता रहा त्यों-त्यों जमींदारों ने जंगलों को बड़ी निर्दयता से कटवाया है और हमारे जंगलों का बहुत बड़ा भाग बहुत तेजी से काट डाला गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि इधर पांच वर्षों में जंगलों का नाश हुआ है जो शायद पचास वर्षों में नहीं हो सकता था। इस तरह से हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति का बहुत बड़ा ह्रास किया गया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर खासतौर से आकृष्ट करना चाहता हूं।

इसके बाद में सरकार को दो एक बातें और बताना चाहता हूं। हमारे जंगलों का बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां सड़कें न होने के कारण उनका पूरा-पूरा विकास नहीं हो सकता। वहां पहुंचना ही बड़ा कठिन है तो विकास की बात क्या। इसलिये उन स्थानों पर सड़कें बनवाने का प्रबंध होना बहुत जरूरी है और उसके लिये एक मद इस वन अनुदान के अन्तर्गत रहना आवश्यक है। हमारे यहां सोनपात और चोपन से पश्चिम और दक्षिण की तरफ जोंगई, परसोई, ओबरा, बेल्दा डोमरी, सिंगरौली तक का क्षेत्र जो ५० मील लम्बा और ४० मील चौड़ा क्षेत्र है वह जंगलों से छाया हुआ है और वहां एक भी सड़क नहीं है जिसके कारण वहां कोई आदमी १०—१० और ५—५ वर्ष तक नहीं पहुंचता और इस वजह से वहां के जंगलों में जो संपदा है उसका न कोई लाभ है और न कोई विकास किया जा सकता है। यदि आपके वन के अनुदान में सड़कों के बनवाने के संबंध में भी कोई अनुदान हो, और उसमें सड़कें बनें। यह मैं नहीं कहता कि आप सब एक साथ ही बनवा दें, धीरे-धीरे करके सड़कें बनवा दी जायं तो आप देखेंगे कि आपके अहलकार, आपके कर्मचारी आसानी से पहुंच सकेंगे और जंगलों की उन्नति कर सकेंगे। तो यह बहुत ही आवश्यक सुझाव है जो मुझे देना है।

इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जंगलों से लकड़ी, बगई और बांस काटकर मल्लाह लोग दो दो सौ और डेढ़-डेढ़ सौ मील नदियों में बहाते बहाते डेहरी-आन-सोन भेजते हैं। उनको दो-दो और तीन-तीन महीने की यात्रा करनी पड़ती है। पहले वह जंगलों से लकड़ी काटकर उसका बहर बनाते हैं और उस बहर को नदियों में बहाते हुये चलते हैं तो उनको बड़ी-बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बहर को बनाने में, नदियों के किनारे खोदने में, बहर को उसमें रखने और उसको तैराने और फिर जब डूबने लगे तो बहर को खोलने में और फिर खोलकर दोबारा बहर बनाने और फिर नदियों में तैराकर चलने में उनको बड़ी-बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यदि रास्ते बन जायं तो ये दिक्कतें दूर हो जायं और जो निकट का रास्ता है यदि इन जंगलों से मिर्जापुर शहर को आने का मार्ग खोल दिया जाय तो उनको अपना सामान डेहरी-आन-सोन में मिट्टी के भाव न बेचना पड़े और शहर में उनको

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

अच्छे दाम मिल सकेंगे। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सड़कों के लिये खास तौर से प्रबंध किया जाय।

इसके अलावा मैं थोड़ी सी मुक़ामी बातों को भी बतलाना चाहता हूं। मैं मिर्जापुर जिले का जिक्र कर रहा हूं। वहां पर दो डिवीजन हैं। एक तो सोन डिवीजन है और दूसरा दूधी है। दूधी डिवीजन में दो तीन तकलीफें हैं। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां जंगल की सीमा को गांवों के निकट से हटा दिया गया है, उनमें कोई जंगल नहीं है, कोई दरख्त नहीं है और वह जमीन कृषि के काम में बड़ी आसानी से आ सकती है और लगभग एक लाख एकड़ के ऐसी जमीन पड़ी है जो खेती के लिये मिल सकती है। इसको अलग कर दिया गया है। गांव वालों को बड़ी दिक्कत है और उसकी बहुत सी शिकायतें हुआ करती हैं और कभी-कभी गांव वालों पर मुकदमे भी चल जाते हैं, जिससे बड़ी भारी परेशानी होती है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, वन विभाग से इसके संबंध में रिपोर्ट की गई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी तहकीकात करके इसको छोड़ दिया जाय, इससे गांव वालों को सुविधा होगी, खेती को तरक्की होगी और जंगलों का भी कोई विशेष नुकसान नहीं होगा।

इसके सिवाय मैं दूधी की कुछ और बातों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां की खास उपज जो है वह है बगई, घास और बांस। यह वहां पर बहुत ज्यादा उत्पन्न होती हैं। इस समय वहां पर ७५ हजार मन घास पड़ी हुई है। इसके लिये कोई बाजार नहीं है। देहरी-आन-सोन का बाजार बहुत नीचा है। इसलिये ठेकेदारों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि घास और बांस का प्रबंध किया जाय तो जैसाकि हमारे नेगी जी ने कहा कि वहां पर कागज का कारखाना खोले जाने की तजवीज है। यदि ऐसा हुआ तो मिर्जापुर अकेला इन चीजों की वजह से कई सूबों को कागज सप्लाई कर सकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय मिश्र जी ने कुछ जंगलात की सड़कों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। हमारे यहां जंगलात में जहां पहाड़ों का सवाल आता है तो सब से बड़ी जो फारेस्ट की प्रोड्यूस है जिससे सरकार को बड़ी भारी आमदनी होती है वह लीसा, लकड़ी, तथा जड़ी-बूटियों आदि के ठेके हैं। इसके निकालने में सरकार का २३ लाख रुपया खर्च होता है। इस २ लाख सात हजार मन लीसा को सरकार सड़कों तक पहुंचाने में इतना खर्चा करती है। इसका बहुत ज्यादा हिस्सा हमारे जो खच्चर और घोड़े हैं और जो आदमी अपने सिर पर लीसा लादकर सड़कों तक लाते हैं उनके किराये वगैरह में खर्चा होता है। अगर सरकार यह चाहती है कि यह लीसा और भी सस्ता पड़े और इधर-उधर के ढुलान में रुपया खर्च न हो तो सब से जरूरी यह है कि इन जंगलात से जहां रास्ता मिलता है और जहां तक सड़क है वह मोटेरेबिल रोड बनाई जाय। सरकार अगर एक साल के लीसे को ढोने वगैरह में जो दस लाख रुपया खर्च होता है, इसी रुपये को फारेस्ट डिपार्टमेंट को सड़क बनवाने के लिये दे दे तो जैसा कि हमारे माननीय नेगी जी ने कहा है कि जंगलात की सड़कें सस्ती बनाई जाती हैं और सस्ती सड़कें बन सकती हैं और उसी बहाने और चीजें भी सस्ती पहुंच सकती हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो तराई वगैरा के एरिया में मोटरेबिल रोड बनती है, उसमें रुपया कम खर्च होता है लेकिन यह पहाड़ी इलाका है इसमें सड़क बनवाने में ज्यादा रुपया खर्च होने की सम्भावना है। लेकिन यदि सड़क बनवाने के लिये रुपया दिया जायगा तो हमेशा के लिये हमारा प्राब्लम साल्व हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारी बदकिस्मती तो यह है कि हमारे मुख्य मंत्री जी पहाड़ों के रहने वाले हैं। जब भी हम कोई बात कहते हैं कि पहाड़ों पर यह होना चाहिये, वह होना

चाहिये, कोई रुपया पहाड़ों के लिये मिलता है तो लोग कह देते हैं कि पंत जी पहाड़ों के हैं, इसलिये सारा रुपया पहाड़ों को ही चला जा रहा है। तीन करोड़ की आमदनी हमारे इस प्रांत में सिर्फ फारेस्ट प्रोड्यूस से है। जैसा हमारे माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि अगर २५ फीसदी उसका हमारे इलाके में खर्च किया जाय तो ७५ लाख रुपया पहाड़ वालों को मिल जाता है। सन् १२ में यह कमेटी बैठाई गई थी और उसके बाद जब-जब कांग्रेस सरकार आई तब–तब पंत जी ही उसके मुख्य मंत्री रहे। पहले तो पंत जी कोई काम नहीं करते थे सब काम चीफ कंजरवेटर से कह, कर करा लेते थे लेकिन अब तो उपमंत्री भी पहाड़ से ही हो गये हैं। वह कह देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, यह कैसे किया जा सकता है। हमारी सरकार को यह नहीं सोचना चाहिये कि यह यहां के हैं और वह वहां के हैं। जो बातें ठीक हों उनको करना चाहिये। पंत जी के मुख्य मंत्री होने से तो हमें काफी नुकसान ह। हमारे मुख्य मंत्री होते हुये भी हम लोगों की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देते। इसलिये मुख्य मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस विभाग को छोड़ दें तो बहुत अच्छा हो और अगर नहीं छोड़ते तो हमारे साथ यह व्यवहार न किया जाय, लोगों के डर से कि वह ऐसे कहेंगे, वैसा कहेंगे, मुख्य मंत्री जी पहाड़ के होते हुये भी हम उनसे कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। हमारे यहां रेल नहीं है। पुलिस पर खर्च नहीं होता। नहर पर खर्च नहीं होता। हमारे यहां किसी चीज पर सरकार का खर्च नहीं होता। हमारे इलाके से तो आमदनी ही आमदनी है। नदी हमारे यहां से बहती है और प्लेंस की जमीन को उपजाऊ बनाती है। अगर इस जंगल विभाग पर सरकार कुछ खर्च करे तो हमारा पहाड़ी इलाका कश्मीर का मुकाबिला कर सकता है। और यह प्रांत के लिये गौरव की बात नहीं होगी बल्कि भारतवर्ष के लिये गौरव की बात होगी। उत्तराखंड में ऋषि लोग बसा करते थे। इसीलिये हमारा सौभाग्य है कि मुख्य मंत्री इस प्रांत के सबसे पहले वहीं से आये लेकिन उनके मुख्य मंत्री रहने से पहाड़ की जनता का कोई हित नहीं होता, आर्थिक हित से मेरा उद्देश्य है। खुशकिस्मती से अंग्रेज वहां चले गये थे तो बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बना गये। रानीखेत को बसाने में उन्होंने ११ करोड़ रुपये खर्च किये जिसकी तारीफ दुनिया भर के लोग करते हैं।

रेजिन फैक्ट्रीज के बारे में नेगी जी ने बताया कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने तो पहले भी मुख्य मंत्री जी से बताया था कि यह हमारे यहां की काटेज इंडस्ट्री है और इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है अभी उतना अच्छा यह नहीं बनता है। सोमेश्वर में जिस आदमी को इसका ठेका दिया गाया है १० हजार मन लीसा उसके नाम एलाट है लेकिन २ हजार मन से ज्यादा वह नहीं उठा पाता। बाकी ८ हजार मन को हम मांगते हैं तो जंगलात विभाग इंकार कर देता है। हम चाहते हैं कि यह एक इंडिविजुअल को न दिया जा कर सोसाइटीज को दिया जाया करे ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। पिछली मर्तबा मैंने फारेस्ट कमेटी का जिक्र किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वह चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसमें रक्खे जायं लकिन सदन के बाहर जब मैं गया तो मालूम हुआ कि वह कमेटी ५ साल के लिये बन चुकी है। माननीय मुख्य मंत्री जी रोज–रोज इस तरह से टालते हैं। ५ साल के बाद वह कमेटी फिर बनेगी तो हमें उससे क्या फायदा; हमारी पार्टी के तीन सदस्य पहाड़ से, नैनीताल और अल्मोड़ा से आये हैं, उसके नाते ही हमारी राय उसमें होनी चाहिये ताकि हम लोगों का कुछ हित कर सकें। वह यह सोच कर काम न करें कि वह पहाड़ के हैं बल्कि यह सोच कर काम करना चाहिये कि वह सारे प्रांत के ह।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मदनमोहन जी ने बतलाया, इन जंगलों से मेरा खास संबंध रहा और शायद इन जंगलों के बारे में मुझे

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सबसे ज्यादा आन्दोलन बहुत वर्षों तक करना पड़ा और उनकी खूबियों और कमियों को मैं कुछ-कुछ जानता हूं। और उसके बाद यहां सरकारी कार्य के सिलसिले में भी मुझे जंगलों के मामले में कुछ दिलचस्पी लेनी पड़ी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आमतौर पर लोगों को इस बात का एहसास है कि जंगलों की रक्षा करना देश की भलाई के लिये बहुत जरूरी है और आज हमारे वहां वन महोत्सव होता है और-और तरीके पर इस बात का उद्योग होता है कि जगह-जगह पेड़ लगाये जायं और जंगलों की तरक्की की जाय। जंगलों की बर्बादी से जो नुकसान पहुंचा है उससे भी हम लोग अब बहुत हद तक परिचित हो चुके हैं। आज आगरे में, गोबर्धन में और उधर के तमाम उबड़-खाबड़ रेवाइन में पेड़ों को लगाने की सब से बड़ी जरूरत हो रही है और अगर वहां जंगल होते तो वहां का रेगिस्तान हमारे यहां फैल कर हमारे प्रांत को बर्बाद कर देगा, यह अन्देशा हमें नहीं होता। इन बातों को देख कर हमें जंगलों के इंतजाम की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है उनके काम की अहमियत को समझना चाहिये और छोटी-मोटी बातें अगर कहीं पर कोई असुविधा हो तो जो बड़ी ग़रज़ और बड़ा उद्देश्य हमारा है उसे पूरा करने के लिये कुछ उदारता से उस विषय को देखना चाहिये।

हमारे प्रदेश में जंगलों की तलहटी के हिस्से में, दोआबा में और-और जगहों में बहुत कमी है और उस कमी को यथासंभव हम पूरा कर सकें तो बहुत लाभ होगा। परन्तु यह तो बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जंगल बहुत बर्बाद हो चुके और अब उनकी हिफाजत करने की हम सब को कोशिश करनी चाहिये। यह भी सही है कि पिछले चार-पांच साल में निजी जंगलों को जिनके हाथ में वे थे, उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उससे पहले जिस वक्त लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों ने अपने जमाने में जब उनको लकड़ी की जरूरत हर काम के लिये हुई तब किसी वर्किंग प्लान वगैरह का कोई लिहाज न कर के जंगलों को बेरहमी से काटा। इससे ज्यादा जरूरत इस बात की हो गई है कि हम जंगलों की तरफ एक स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखें और उनको अब एक वैज्ञानिक ढंग से काम में लाने और बढ़ाने का उद्योग करें। इस सिद्धांत के बारे में मैं आशा करता हूं कि हमारे सदन में कोई मतभेद नहीं होगा। हमारे यहां १५ अगस्त, १९४७ को जब कि हमने आजादी हासिल की थी, केवल क़रीब ६ हजार वर्ग मील जंगल जंगलात विभाग के हाथ में थे। आज उसके हाथ में क़रीब-क़रीब १३ हजार वर्ग मील जंगल हैं, पहले से दूने से ज्यादा हो चुके, इनमें बर्बाद किये हुये जंगल भी शामिल हैं। मगर इतनी उनकी जिम्मेदारी बढ़ने पर भी खर्चा उस अनुपात से नहीं, उससे बहुत ही कम बढ़ा है। कोशिश यह की गयी कि खर्च को बगैर बढ़ाये हुये भरसक इस दूने रकबे का इंतजाम किया जाय और उस कोशिश में हर तरह से जनता के सहयोग की आशा की जाती है, क्योंकि जंगलों की रक्षा और सुधार वगैर आम लोगों की मदद के पूरी तरह से नहीं हो पाता। इस बात की भी जरूरत है कि जंगलात विभाग इस तरह से अपना काम करे और जनता का सहयोग उसको मिले। आम लोग यह अपना एक फ़र्ज न समझें बल्कि हक़ समझें कि उनके जंगल अच्छी तरह से बरते जायं और कायम रहें। आज मामूली वक्त में हमारे यहां जंगलों से करोड़ों मन लकड़ी आ रही है और शहरों को तेजी के जमाने में भी कम कीमत में लकड़ी देकर ग़रीबों को खाने-पीने का मौका दिया गया। जो कीमतें उस वक्त थींअगर वही लोगों को देनी पड़तीं तो हर खानदान को कम से कम दो चार रुपया महीना ज्यादा खर्च करना पड़ता। इस तरह से आंखों से ओझल रह कर भी शहरों की सहायता इन जंगलों ने की है। देहातों में लकड़ी की जरूरियात के अलावा वहां की पत्ती की खाद भी काम में लाई जाती है। इसके अलावा जब कभी सूखा पड़ जाता है, पानी की स्कैअरसिटी होती है तो जानवरों की रक्षा भी जंगलों से होती है और पशु-धन को कायम रखने की सबसे बड़ी हमारे देश की जरूरत भी इन्हीं जंगलों से पूरी होती है।

इधर इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि जंगलों से जो फायदा हो रहा है उससे और भी ज्यादा फायदा हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिये जिस लकड़ी की जरूरत होती है उसकी पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। हमारे यहां की स्पोर्ट इंडस्ट्री जब से हमारे प्रवासी भाई यहां पंजाब वगैरह से आये हैं बहुत बढ़ गयी है, और उसके लिये जिस लकड़ी की जरूरत होती है उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिये मलबरी और ऐश वगैरह के पेड़ लगाये जा रहे हैं। इसके अलावा मैचवुड के लिये जिस तरह की लकड़ी की आवश्यकता होती है उसको भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जंगलों में आम, महुआ, अखरोट वगैरह के पेड़ लगाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें फल भी होते हैं और उनकी लकड़ी भी काम में लाई जाती है ताकि हमारे प्रदेश में जंगलात की लकड़ी से फायदा उठाया जा सके और उसके फल भी आम जनता को मिल सकें।

इसके अतिरिक्त हमारी पंचवर्षीय योजना में जंगलों के संबंध में विशेष ध्यान रख कर एक कार्यक्रम बनाया गया है और उसके मुताबिक काम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा की उद्योग-धंधों के लिये जिस किस्म के पेड़ों की आवश्यकता होती है उनको लगाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। न्यूज प्रिन्ट के लिये और कागज बनाने के लिये अमरीकन टैक्निकल ऐक्सपर्ट्स बुलाये गये हैं, जो इस बारे में काफ़ी छान-बीन कर रहे हैं। इस प्रकार और काम भी हो सकते हैं, उनके लिये भी उद्योग किया जायगा और जो इंडस्ट्री हो सकती हैं उन पर भी ध्यान दिया जायगा। टेहरी में टेपिंग के लिये एक कमेटी बना दी गयी है जिसके द्वारा टैपिंग कराने का इरादा है। लेकिन टेहरी के जंगलों का ठेका हमारे प्रदेश में बहुत से ठेकेदारों को पहिले से ही दे दिया गया है, इसके सबब से रुकावट पैदा हो गयी है। कुछ ठेके तो अगले वर्ष समाप्त हो जायेंगे और कुछ पांच साल तक चलेंगे। इस कारण से हमारे हाथ बंधे हुये हैं। इस बात के लिये भी यहां कहा गया कि पहाड़ी इलाकों में काटेज इंडस्ट्री के तरीके से भी रेजिन बनाने का सरकार की तरफ से मौका मिलना चाहिये। इसके साथ में हमदर्दी रखता हूं। मगर जैसा कि मैंने कहा था हम सब को इस बात को ध्यान में रखना है कि कई लाख रुपया हमारे वहां हर साल इस रेजिन व टरपेंटाइन से रेजिन देकर आता है। क्वालिटी हमारे रेजिन की जो टरपेंटाइन फैक्ट्री में बनती है वह दरअसल दुनिया में बहुत अच्छी समझी जाती है और उसकी काफी मांग है। ऐसा न हो कि कुछ थोड़ी सी चीज के लिये हम उसे बदनाम कर दें कि यहां का रेजिन व टरपेंटाइन अच्छा नहीं होता और उसकी मांग बाजार में कम न होने पावे, इसको भी हमको एहतियात करना चाहिये। अगर उसको पूरा करते हुये हम उसे घरेलू धंधे के तौर पर बढ़ा सकें तो उसके बढ़ने से सभी को खुशी होगी परन्तु हमारे यहां हजारों आदमी टेपिंग के धंधे में लगे हुये हैं। इसलिये हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि इनमें कोई छोटी-मोटी बात के लिये ऐसी गलती न कर बैठे जिससे हमको बड़ा नुकसान उठाना पड़े।

इस सिलसिले में आज रेजिन व टरपेंटाइन फैक्टरी से जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। रेजिन व टरपेंटाइन से हमको सालाना काफ़ी आमदनी होती है। इस सिलसिले में हमको यह भी देखना है कि जब कि हम किसी काम को शुरू करते हैं, तो उसे बढ़ाते जावें और बीच में कोई ऐसी बात न कर बैठें जिससे उसकी तरक्की में भारी रुकावट डाली जावे। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी इंडस्ट्री हम बना सकें उसे बनाना है और उसको आगे बढ़ाने के लिये जो भी उद्योग हो सके करना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी ने आज भी अपने हिन्दसे दिये और कहा कि इसमें गलती है और गलत इसलिये है कि मेल-जोल नहीं खाते हैं। उसके लिये मुकाबिला करने

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

के लिये बहुत सी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। लेखे का जब मुकाबिला होता है तो पहले डाटा को अच्छी तरह से चेक करने की जरूरत होती है कि उनको सही मालूम हुई या नहीं। जो एकाउन्ट कि फारेस्ट रेवेन्यू, एक्सपेंडीचर वगैरह का होता है, उसमें बहुत सी चीजें फारेस्ट ट्रेड्स आदि जो होता है वह उसमें नहीं आता है। जैसे वहां से स्लीपर्स वगैरह जो जाते हैं उसके लिये रेलवे के साथ उनका सीधा संबंध होता है और ये सब चीजें उसमें नहीं होती हैं। ऐसी और भी चीजें हैं जो उसमें शामिल नहीं की जाती हैं। अगर इस रिपोर्ट को वे पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि ऐसी खास-खास चीजें हैं कैपिटल एकाउन्ट है, रेवेन्यू एकाउन्ट है तो उनको भी अलग-अलग ध्यान में रख कर उस पर विचार करने की जरूरत होती है। जितना कि वे आंकड़ों को पढ़ते, लिखते और देखते हैं उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि वे अपनी मेहनत से गलत नतीजे निकाल कर अपनी मेहनत का फायदा औरों को न पहुंचावें और खास तौर से गलत चीजें बतलायी जायं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। उनकी बातों का फायदा हमको मिलना चाहिये और जहां कहीं वे गलत बात समझते हों, हमें बतलावें, हम उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अपनी जानकारी से उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जो गलत बात हो उसे मानें क्योंकि अगर कागज की गलती है और वाकयात गलत हैं तो उसमें कोई भी बात घबराहट की नहीं है, कोई भी आदमी उसको मान सकता है। मगर कहीं गलती न हो और उसे कयास से, कल्पना से बतलाया जाय तो उसमें कोई फायदे की बात नहीं है। इसलिये अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख कर तकरीर हो तो एकाउन्ट की बात ऐसी नहीं है जिसमें किसी को कोई भी शुबहा करने की गुंजाइश हो। उन्होंने एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट को देखा होगा। अगर हमारे बजट एकाउन्ट में दरअसल कोई गलती आडिटर जनरल देखता तो वह बहुत मोटे-मोटे हरफों में लिखा होता है। मगर उसमें कहीं पर इसका संकेत मात्र भी नहीं है कि हमारे फाइनेंस एकाउन्ट में या किसी एकाउन्ट में कहीं पर भी कोई गलती है। सिर्फ उसके क्लासिफ़िकेशन का सवाल है। अगर आपको कोई शुबहा मालूम हुई तो उसे देख कर हमको बतलाते तो उसे हम दूर करने की कोशिश करते और उस शुबहात को दूर करने के लिये हमको यहां पर इतना ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता।

कुछ यह कहा गया है कि पहाड़ों पर जो जंगल हैं उनसे नफा होता है। आखिर जरूर होती है सही बात है। पहाड़ी इलाके की आमदनी या देश के और जंगलों की आमदनी या आबपाशी की आमदनी या मालगुजारी की आमदनी इन सबको अलग अलग नहीं देखना है। हमारा एक प्रदेश है उसके अन्दर बहुत से सीगों से आमदनी होती है और बहुत सी बातों में खर्च होता है। किसी गांव से आमदनी होती है और किसी गांव से नहीं होती। जंगलों की भी आमदनी होती है और किसी गांव से नहीं होती जंगलों की भी आमदनी जंगलों पर खर्च की गई है तो कोई इसके लिये अगर कहे कि नैनीताल की आमदनी अल्मोड़ा में नहीं लगनी चाहिये। अगर इस तरह से स्थानीय सीमा के अन्दर हम बातों को देखने लगें तो इससे दिक्कत हो सकती है। असल बात यह है कि हमारा एक प्रदेश है और एक ही देश है उसमें जो जरूरत हो, उसको चाहे आप साम्यवाद कहें या और कुछ, उसमें हर एक को उसकी काबिलियत के मुताबिक और हर एक की जरूरत के मुताबिक देना है। जिसकी जितनी काबिलियत देने की है उससे उतना ही लेना है। जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना देना है और कोई उसमें फर्क नहीं करना है। किसी गांव में अगर ज्यादा दिक्कतें हैं और आमदनी कम है तो इसलिये कि वह गांव गरीब है उसको भूखा नहीं रखना है बल्कि उसकी जरूरत ज्यादा होगी तो उसके मुताबिक ही उसको देना है। जो गांव अच्छा है और जिस गांव की हालत अच्छी है उससे लेना है चूंकि वह दे सकता है। इसलिये यह तो एक परिवार की बात है उसमें जिसकी जैसी

जरूरत है वह उसकी पूरी करनी है और होनी भी चाहिये। इस व्यवहार से हमको देखना है। अब अंग्रेजों का जमाना नहीं है और उस दृष्टि से उलाहने की बात भी नहीं हो सकती है। हमको तो यह समझना है कि हम सब भारत के नागरिक हैं और वास्तव में प्रादेशिक दृष्टि से भी देखना नहीं है। आज हमारे इस भारी भारत में, इतने बड़े देश में बहुत सी इस तरह की तंगदिली की बातें होती हैं, साम्प्रदायिकता की बातें होती हैं जैसा कि आजकल एक बहुत गलत तरीके से इस तरह की बात की जा रही है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे बदतर मुल्क को नुक़सान पहुंचाने वाली नहीं हो सकती है जो कि यह जनसंघ की तरफ से जम्मू के नाम पर आन्दोलन किया जा रहा है। कहीं पर कम्युनिलिज्म की बात होती है और कहीं पर प्राविन्शियलिज्म की बात होती है जैसे आन्ध्र में किया गया यह देश के लिये बहुत हानिकारक चीजें हैं। इससे ऊंचे उठ कर सारे देश का एकीकरण करके हमको आगे बढ़ना है और जो अच्छी बातें हैं उनको लाना है।

यहां पर सन् १२ और १५ का भी जिकर किया गया। उस सन् में क्या हुआ मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। हमें तो वास्तविकता को समझना है। हमें तो इस बात की जरूरत है कि जो ठीक बात हो उसको करें। मदन मोहन उपाध्याय जी को इस बात का भरोसा रखना चाहिये कि मैं अपने दिल में इससे डरता नहीं हूं कि कोई यह कहेगा कि तरफदारी या पक्षपात करते हैं। सड़क की बात कही गयी उसको मैं समझता हूं कि वह बनना चाहिये। उनको मालूम होगा कि बिन्सर की सड़क जंगलात की तरफ से बन रही है और उसके लिये रुपया जंगलात की तरफ से खर्च किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि जंगलात के जरिये और भी सड़क जहां कहीं बन सके बननी चाहिये। मैं चाहता हूं कि अगर यह सदन अनुमति दे तो जंगलात के बजट में सड़क के लिये ज्यादा रुपया अगले साल से रखा जाय ताकि इस तरह का जो खर्चा होता है, लिसा वग़ैरा के लाने में उसमें ज्यादा फायदा हो सके। इसके अलावा जंगलात की जो सड़कें बनी हैं उनमें खर्चा कम भी होगा और फायदा भी होगा।

यहां पर कुछ जिकर टेहरी के सैटिलमेंट का किया गया कि वहां पर वह पिलर बहुत नजदीक बन रहे हैं और वह नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन इस तरह से बने कि जिससे जनता को तकलीफ हो। हमने बारबार अहलकारों को यह हिदायत दी है कि रिजर्वेशन इस तरह से होना चाहिये कि जिससे लोगों के बहुत करीब मीनारें न हों, वह इस ढंग से बनें कि जिससे जंगलात की हिफाजत के साथ जनता की हमदर्दी भी उसके साथ रहे और लोगों का काम हो सके। उसमें जहां तक सिद्धान्त की बात है उसमें कोई फायदा नहीं है। उसमें हालत को देख कर कोई बदलाव करना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि जंगल विभाग के लोग भी और सैटिलमेंट आफ़िसर भी उस पर ध्यान देंगे। मगर यह जो दिक्कतें हैं अगर कुछ हैं तो वह इस वजह से हैं कि पहले जो टेहरी की जंगलात की नीति थी उसमें जनता के लिये कहीं कुछ नहीं छोड़ा गया था और उसी से लोगों को अब फिर से सब ठीक करने की कोशिश करनी पड़ती है। इसलिये अगर कोई दिक्कत होती हैं तो यह कुछ ऐतिहासिक या तवारीखी बातों का प्रभाव भी हो सकता है लेकिन अगर कुछ ग़लती भी हो तो उसे ठीक करनी चाहिये। वहां के कन्जरवेटर के दफतर की बात भी कही गई। यह कोई हवाखोरी की बात नहीं है और न कोई हवाई बात है बल्कि यह काम की बात है और जिस ढंग से भी हो काम ठीक होना चाहिये, और वही ढंग अमल में आना चाहिये। सिर्फ टेहरी में दफ्तर बनने से यह काम अगर अच्छा हो सके तो खुशी से यह किया जा सकता है बशर्ते कि वहां साधन मौजूद हों और दफ्तर बन सकता हो। लेकिन अगर टेहरी में बने तो ज्यादा दिक्कत की बात है और जहां अब दफ्तर है वहां से

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सब बातें बहुत आसान हैं। इसलिये काम के ढंग को देख कर काम करने की जरूरत होती है कि काम भी अच्छा हो और आसानी भी हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर जंगलों का इन्तजाम करने के लिये दफ्तर दूसरी जगह ले जाकर फायदा हो सके तो उस पर भी ठीक समय पर विचार हो सकता है, अभी तो हमें वहां बहुत सी बातों को ठीक करना है इसलिये अभी छोटी छोटी बातों में फंसना ठीक नहीं है। जंगलात का इन्तजाम अच्छा हो यह जरूरी बात है और जो प्राइवेट फ़ारेस्ट हैं उनका इन्तजाम ठीक करना है और उनके लिये एक वर्किंग प्लान बनाना है ताकि आइन्दा उनका इन्तजाम अच्छा हो सके। अभी तो उनके लिये काफ़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि वह बरबाद हो चुके हैं और उनमें प्लानटेशन और पेड़ लगाने का काम करना है और इसके लिये इस सदन को बहुत उदारता के साथ रुपया मंजूर करना होगा ताकि जो हजारों मील जंगल बरबाद हो गये हैं उनको फिर से लगाकर हम हराभरा कर सकें और जो नेशनल क्षति हुई है उसको पूरा कर सकें। यह चीज हमारे सामने है और इस बात की बड़ी जरूरत है ताकि जंगलात के जरिये जो और फायदे होते हैं वह भी हमें हो सकें और उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिये। अक्सर हमारे सामने यह बातें आती हैं कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। यह कहना कठिन है कि पेड़ों की कमी हो जाने से ही बारिश कम हुई है लेकिन जानकार लोग समझते हैं कि जंगलों के कट जाने से बारिश पर असर पड़ता है और उसी वजह से सूखा पड़ता है, इसलिये यह भी हम सबको ध्यान में रखना है कि जंगलात हमारे राष्ट्र की बहुत ऊंचे किस्म की सम्पत्ति हैं और उनका उचित प्रबन्ध करना हमारे सब के लिये बहुत लाभ और हित की बात है। मैं आपको और अपनी ओर से चीफ कन्जरवेटर साहब और दूसरों को बधाई इस बात के लिये देता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की है परन्तु इसके माने यह नहीं होते कि इस विभाग में गलत काम करने वाले लोग नहीं हैं। परन्तु वह उद्योग करते हैं और उन्होंने इस बात के लिये सर्कुलर भी निकाला है कि जहां कहीं भी करप्शन मालूम हो वहां फौरन कार्रवाई की जाय। लैंडलेस लेबर के लिये भी कहा गया, उनके लिये जो भी जमीन जंगलात से बचे और जंगलात के काम की न हो और जिस काम में वह अधिक लाभ पहुंचा सके उसे उसी काम में लिया जाय। हम तो कृषि और जंगलात दोनों को ही बढ़ाना चाहते हैं और दोनों के बीच में कोई आपस का विरोध नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग सहयोग दिखला कर अपने यहां, अपने प्रदेश के जंगलों को हराभरा और सुन्दर बनाना चाहिये, ताकि सब फलें फूलें और सारे प्रदेश को बराबर लाभ पहुंचता रहे।

श्री नरायाणदत्त तिवारी—श्रीमान् मैं इस लायक तो नहीं था कि माननीय मुख्य मंत्री के स्वयं मुखारबिन्दु से कोई बधाई का पात्र बन सकूं। लेकिन वास्तव में मैंने चेष्टा की थी कि मैं कुछ आंकड़ों की तुलना कर सकूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को शायद गलतफहमी हुई है। मैंने यह कहा था कि एकाउंट्स की फीगर्स ग़लत हैं न कि एकाउंट। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी, इजाजत देते तो मैं दोनों रिपोर्टें उनके पास भेज सकता। मुझे श्रीमन्, आज ही मालूम हुआ कि फ़ारेस्ट रेवेन्यू का कैपिटल एकाउंट से सम्बन्ध है। यह वास्तव में मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि पूरी फ़ारेस्ट रेवेन्यू एकाउंट में ही शामिल होती है। इस एप्रोप्रिएशन एकाउंट की रिपोर्ट में पृष्ठ ५८ पर साफ लिखा है—

'The total revenue and expenditure of the department in recent years are given below:—'

तो जिस समय एप्रोप्रिएशन एकाउंट रिपोर्ट बनी वह पहले की बात है। 'उत्तर प्रदेश का फ़ीगर्स' नामक सूचना विभाग की पुस्तिका इसी समय बटी है, तो इसका

उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक ही एकाउंट के भिन्न-भिन्न आंकड़े दिये गये हैं। जहां तक रेलवे की आमदनी का प्रश्न है मैं माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में श्री जहीरुल हसन साहब सेक्रेटरी रेवेन्यू का स्टेटमेंट, जो उन्होंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, १९५२ में दिया है रखना चाहता हूं। जिससे मालूम होता है कि रेलवे से भी जो आमदनी होती है वह भी वन विभाग की ही आमदनी में जोड़ी जाती है।

"श्री हसन—हम केन्द्रीय सरकार को रेलवे स्लीपर सप्लाई करते हैं। वह हमको मांग पत्र (indents) भेजती है। हम ठेकेदारों के साथ वह व्यवस्था कर लेते हैं कि इतने स्लीपर रेलवे बोर्ड को सप्लाई किये जायेंगे और मूल्य हम नियत करते हैं। हानि का कारण यह है कि रेलवे बोर्ड को स्लीपर सप्लाई करने के कारण उससे परिव्यय (overhead charges) की वसूली नहीं हुई। रेलवे से ऊपरी व्यय वसूल करने की प्रथा नवम्बर, १९४८ ई० से बन्द कर दी गयी। परन्तु रेलवे बोर्ड ने स्लीपरों की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को भुगतान काफी बढ़ाई हुई दरों पर किया जिससे न केवल इस हानि की ही पूर्ति हो गयी बल्कि और भी लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त चूंकि स्लीपरों की दरें नीलाम होने से पूर्व घोषित कर दी गयी थीं, इसलिये वन विभाग को अपेक्षाकृत अधिक आमदनी हुई जो अन्यथा नहीं होती। इससे बिल्कुल साफ है कि रेलवे से भी जो आमदनी होती है, वह भी वन विभाग की आमदनी में शामिल कर देते हैं।"

नीचे श्री हसन फिर कहते हैं—

सभापति—रेलवे बोर्ड स्लीपरों को सीधे ठेकेदारों से मंगाने का प्रबन्ध क्यों नहीं करता है ?

श्री हसन—क्योंकि इसमें खतरा है कि उनमें से अधिकांश कहीं अस्वीकृत न कर दिये जायं।"

इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि रेलवे बोर्ड से जो आमदनी होती है वह भी वन विभाग की आमदनी में क्रेडिट हो जाती है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी अब भी यह समझें कि मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता है तो मैं फिर चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जा सकूं और दोनों रिपोर्टों को प्रस्तुत कर सकूं। ताकि यह चीज उनके सामने स्पष्ट हो जाय और अगर वाकई 'एकाउंट्स' की "फीगर्स" लिखने में कोई गलती हुई है तो वह सही हो जाय।

दूसरी बात इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कही है कि एकाउंट्स में जो ग़लती होती है वह एकाउंटेंट जनरल द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में लिख दी जाती है या रिपोर्ट में बतला दी जाती है। मैंने इसकी दो मिसालें भी दी थीं जो कि बड़े-बड़े अक्षरों में लिखी गयी हैं। एक तो वह है जिसमें खैर के पेड़ों के सिलसिले में ५२ लाख रुपये की हानि हुई बताई गई। तो आइन्दा ऐसे समझौते न किये जायें। लेकिन फिर भी ऐसे समझौते हो रहे हैं। इस साल की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सीतापुर की प्लाईउड फैक्टरी और कुछ और औद्योगिक संस्थाओं से समझौता किया गया। तो मैंने एक मिसाल तो यह दी थी।

दूसरी मिसाल मैंने यह दी थी कि शुगर फैक्टरीज को सस्ते दामों पर ईंधन दिया जाता है। आखिर वह कोई गरीब तो हैं नहीं। ग़रीब जनता को सस्ते दामों पर देना तो ठीक है। लेकिन शुगर फ़ैक्टरीज को सस्ते दामों पर देना और सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से दाम तय होना, यह ठीक नहीं है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यह दो मिसालें मैंने दी थीं। आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि पांच मिनट ज्यादा हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—वह दूसरे अनुदान में से कम कर दिया जायगा।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन (लेखा शीर्षक १०—वन) (के अन्तर्गत १,२६,८४,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५४—क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४—ख—भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफ़ारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—प्रादेशिक व राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते के लिये ८,१५,८०० रु० मंजूर किये जायं। इस सम्बन्ध में सिर्फ १५ मिनट दिये गये हैं, लिहाजा मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं और जो सदन के सदस्य कुछ कहेंगे तो मैं सुन लूंगा और अगर फिर दो चार मिनट मिले तो उसका उत्तर देने का यत्न करूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस अनुदान में राजाओं के बारे में जो अनुदान मांगी गई है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। जो हमारी और हमारी पार्टी की इस बारे में राय है वह सबको विदित है। इसलिये मैं उसके बारे में ज्यादा कह करके सदन का समय बर्बाद करना नहीं चाहता।

दूसरी चीज जो राजनीतिक पीड़ितों के बारे में है वह यह है कि बहुत जगह तो ऐसे लोगों को इन पेंशनों से बहुत फायदा हुआ है जो कि बहुत गरीब थे। उनको पेंशनें मिली हैं और इसके लिये यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे हमारे सिपाही हैं जिन्होंने शुरू से ही आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और कंधे से कंधा मिला कर इस देश को आज़ाद कराने में जिनका बहुत बड़ा हाथ था, आज बहुत बुरी हालत में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पारसाल यह आश्वासन दिया था कि ऐसे जो मामले होंगे उन पर विचार किया जायगा और इस किस्म के बहुत से मामले माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने मदन मोहन जी ने पेश किये हैं और और भी बहुत से लोगों ने पेश किये हैं। मेरा तो यह सुझाव है कि उन मामलों में जिनके उचित मामले हों उनकी इन्क्वारी हो और इन्क्वायरी होने के बाद दरअसल जिनको कोई दूसरी गुंजायश न हो आमदनी की, जो दूसरी तरह से अपनी जीविका न चला सकते हों, जो इस किस्म के मामले हों उन पर ख्याल किया जाय और उनको दिया जाय और जिन लोगों को पेंशनें मिलती हैं उनकी भी पूरी जांच की जाय। अगर्चे उनमें कुछ लोग ऐसे हों कि जिनकी आमदनी के जरिये हों और वह गलत तरीके पर इस धन से पाते हैं तो उनका काटा जाय। जो मेरे थोड़े से सुझाव हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे।

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—यहां पर जो अनुदान है इसमें कोई राजा महाराजाओं का रुपया नहीं है। जो इसमें रुपया है वह दो किस्म के लोगों के लिए है जिनका कि रियासतों से सम्बन्ध था। एक तो वह जो कि गरीब या अपाहिज थे या जिनके लिये कुछ पेंशनें रियासत में बंधी हुई थीं वह उसमें कायम रखी गयीं। दूसरी उनके रिश्तेदार या और डिपेंडेंट्स थे, जिनके बारे में जिस वक्त कि यह विलीनीकरण हुआ, तो जो शर्त हुई थी और जो आपस में एग्रीमेंट कहिये, उसको आप कंट्रैक्ट कहिये उस वक्त मतालबा यह हुआ था कि इन लोगों को जो मदद दी जा रही है वह मुनासिब तरीके पर जारी रखी जायगी उनके जीवन काल तक। उनको कुछ दिया जाता है। वह भी गरीब आदमी हैं, राजा महाराजा कुछ नहीं हैं। तो इस तरह की राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स की बात इसमें आती नहीं है और विशेषकर इसका सम्बन्ध राजनीतिक पीड़ितों से है।

राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसी को इस पेंशन के जरिये ऐसा रुपया नहीं मिलता जिससे उसकी पूरी गुजर हो सके। यह तो केवल प्रदेश की तरफ से, हमारी तरफ से उनके प्रति अपनी एक कृतज्ञता पेश करना है कि हम आपके आभारी हैं, आपने जो सेवाएं कीं और यह पुरस्कार नहीं बल्कि कृतज्ञता की भेंट है। इस दृष्टि से इसे देखना है कि जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की स्वतंत्रता के लिये अर्पण किया, जो मर गये, जिनके परिवार तक ध्वंस हो गये हैं और जिन्होंने हर प्रकार से त्याग किया है, उनको अगर हजारों रुपया भी दिया जाय तो कुछ भी नहीं है। हमारा जैसा मुल्क इनको कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन जिन्होंने इस प्रकार से देश सेवा की है उनका नाम देश के इतिहास में हमेशा बना रहेगा और जो परितोष के रूप में दिया जाता है वह तो केवल कर्तव्य को प्रकाश करने वाला है। इससे उनकी कोई अधिक परेशानी दूर नहीं हो सकती। पहले हमने इसकी मियाद जून, १९४९ तक रखी थी। उस वक्त यह कहा गया था कि इस तारीख तक ही दिया जायगा। परन्तु पारसाल भी दिया गया और उसको फिर भी जारी रखना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी दरख्वास्त आये जिसके लिये यह समझा जाये कि इनको देना ही चाहिए तो उनको दिया जायेगा। अभी तक करीब १ हजार आदमियों को इस तरह की पेंशनें मिली हैं जिसकी रकम ३ लाख रुपया सालाना है। सन् १९५२ में भी ५१ आदमियों को यह पेंशन दी गयी है। मैं नहीं चाहता कि लोग अपने दिल में यह समझें कि इससे मदद मिलती है। यह झूठी आशा है। यह झूठी आशा करना कि इससे हमें मदद मिलेगी उनके नैतिक का उत्थान करने वाला नहीं है। बाज वक्त जिन्होंने पहले दरख्वास्त नहीं दी और जो समझे थे कि नहीं देनी चाहिये वह भी किसी वक्त समझते हैं कि दे दें तो क्या हर्ज है? इसलिये इसको बहुत प्रोत्साहन देना ठीक नहीं है। जून, ४९ में इसे खत्म होना था अब करीब पौने चार साल हो गये हैं अब जो दरख्वास्तें आयेंगी उनको स्ट्रिक्टली देखना होगा नहीं तो यह चलता रहेगा और यह हमारे यहां एक ऐसा काम होगा जिसके लिये हर साल कुछ न कुछ खर्चा होगा और इसका नतीजा भी खराब हो जाता है, इसलिये अब इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है। परन्तु तब भी यदि कोई खास मामला हो तो उसको देखने की कोशिश की जायेगी। जो यह कहा गया कि जो लोग उपयुक्त नहीं थे उनको भी दिया गया तो अगर किसी के बारे में मुझे बतला दें कि यह ग़लत आदमी था और इसने धोखा दिया तो उसको देखने के लिये मैं तैयार रहूंगा और उसकी पूछताछ की जायेगी। परन्तु इन बातों में यह समझना चाहिए कि हमें छोटी बातों में संकीर्णता से काम नहीं लेना चाहिये। अगर कोई धोखेबाजी से ऐसा कर भी लेता है तो यह किसी प्रकार का बड़ा काम नहीं है। बल्कि एक छोटा काम है। उसने फ़रेब से रुपया लिया है इसलिये

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

ऐसा करने से उसको लाभ भी नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर इस तरह की बातें हुई हैं तो उनकी जांच करने के लिये तैयार हूं। मैं नहीं चाहता कि पैसे आदमियों को न मिलें, बल्कि देश में जिस आधार पर कोई देश से अपनी सेवा चाहता है उसमें उनके नैतिक का किसी तरह से गिरावट न हो। जैसा यह कहा गया कि लोगों ने इस तरह किया और दूसरे को अवसर नहीं मिला तो इसके लिये अगर कोई मिसाल हो तो उसको मैं देख लूंगा। इसके अलावा और कुछ लमसम ग्रांट भी दी गयी है लेकिन उनके ज्यादा ब्योरे देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि जिन्होंने देश सेवा में अपने को बलिदान किया है, उनको कुछ दें और जो कुछ उनकी सेवा कर सकें वह करें। परन्तु सेवा करते हुये जो हमारे गरीब "टैक्स पेयर्स" का धन है उस पर बोझ जितना कम पड़े उसका ध्यान साथ ही साथ रहे। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस अनुदान को सर्वसम्मति से पास करेगा।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय जगन्नाथ मल्ल जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल—जी हां।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते (लेखा शीर्षक ५४-क प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४—ख भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते) के अन्तर्गत ८,१५,८०० रुपये की मांग को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२ सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक सामान्य प्रशासन—में ३,१०,२२,८०० की मांग स्वीकार की जाय। यह अनुदान का विषय काफी महत्व का है। इसलिये मैं इस समय इसके लिये समय लेना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता कि मैं सदन का समय दो मर्तबा लूं। इसलिये मैं जो अनुदान उपस्थित करता हूं उसके लिये आखिर में मुझे काफी समय दे दिया जायेगा ताकि जो कुछ बातें हैं जिनको कि मुझे साफ़ करना है, मैं उसी समय कह लूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा यह अनुदान बहुत महत्व का है और इस पर इसी प्रकार विचार भी होना चाहिये। किसी देश की प्रजातांत्रिक सरकार का चलना और उसकी कार्य प्रणाली का कार्यरूप में आना उसकी एक्जीक्यूटिव पर अधिक निर्भर करता है। इस अनुदान में इस एक्जीक्यूटिव पर व्यय होने के लिये अधिकांश रुपया आता है। मैं जब देखता हूं कि सारे प्रदेश के जो लोग इस सरकार के अधीन चलने वाले हैं और जो सरकार के आदेश होते हैं, उन आदेश का पालन इस रूप में करने वाले हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी

कि नौकरी का आज कोई ठिकाना नहीं है। मैं चाहूंगा और मेरी यह दरख्वास्त है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जिलाधीशों, कमिश्नरों और कलेक्टरों में आज जितने लोग हैं, उनमें से कितनों की संख्या ऐसी है जो कि अनकनफर्म्ड हैं। ये जितने लोग अनकनफर्म्ड हैं, उनके लिये यह उचित बात नहीं है क्योंकि जिलों में ऐसी संख्या काफ़ी है और आज जिलों का शासन जिन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आज ऐसे कलेक्टर और जिलाधीश ज्यादा हैं जो अनकनफर्म्ड हैं, तो उनको कनफर्म्ड कर देना चाहिये। इन अधिकारीगणों के कनफर्म्ड होने से हम लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बख्शी के तालाब में संकेत किया था कि ऐसे लोग अपने मामले में यह चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार हम तरक्की पावें। इन लोगों में काफ़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने इसके लिये दूसरे तरीके अख्तियार किये हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वे उसी तरह से काम करते हैं और आज की प्रजातांत्रिक सरकार में यह सब होता रहता है कि वे लोग अपने ऊपर के अफसरों के प्रति और उनको प्रसन्न करने के लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं। यह हो सकता है कि माननीय मंत्रियों की यह प्रणाली न हो। लेकिन मैं माफी चाहूंगा इसलिये कि जिस प्रकार की प्रणाली आज वे आफीसर अख्तियार कर रहे हैं और उन माननीय मंत्रियों के आफीसरों की आज जैसी प्रणाली है, तो यह उचित नहीं है। मेरे भाग्य से आज यहां माननीय अन्न मंत्री जी भी मौजूद हैं। मैं सोचता था कि अगर वे यहां नहीं रहेंगे तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। इस समय वे मौजूद हैं। मैं देखता हूं कि जो जिले के बड़े बड़े अधिकारीगण लोग हैं वे लोग, जिस समय माननीय मंत्री दौरे पर जाते हैं, और लोग उन माननीय मंत्रियों का दौरे के सिलसिले में किस प्रकार से स्वागत का प्रबन्ध करते हैं, तो उसके लिये पैसा कहां से आता है और किस तरह से वह लोगों से इकट्ठा किया जाता है, बिल्कुल सिद्धांतहीन तरीके से उसका प्रबन्ध होता है। और ऐसी जगह पर ले जा करके लोगों के जलपान की, लोगों के ठहरने की और लोगों के भोजन की व्यवस्था वे करते हैं जिससे माननीय मंत्रियों से कोई प्रेरणा मिलने के बजाय एक दूसरी भावना उत्पन्न होती है। एक बार माननीय अन्न मंत्री जी के साथ देवरिया जिले में मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे यह गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं पड़ी कि माननीय अन्न मंत्री जी देवरिया में जहां-जहां जायं वहां मैं जाने से अपने को रोक लूं। माननीय अन्न मंत्री जी का शायद उसमें कसूर नहीं था। जिलाधीश ने उनके जाने का, ठहरने का, जलपान का और भोजन का ऐसी जगहों पर और ऐसे लोगों के यहां प्रबन्ध किया जो उस जिले में बहुत बदनाम हैं। मैंने देखा कि एक मिल मालिक के यहां हम लोगों के जलपान का प्रबन्ध किया गया। उसी मिल मालिक के खिलाफ वहां के किसानों ने शिकायत की कि यह हमारे गन्ने का दाम नहीं देता है। मैं यह नहीं कहता कि माननीय अन्नमंत्री जी के ऊपर उस अन्न का प्रभाव पड़ा होगा लेकिन हमारे देश में पहले से ऐसी परिपाटी रही है, ऐसी परम्परा रही है कि जिसका जो अन्न खाता है उसके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। द्रोणाचार्य और बड़े बड़े लोगों के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्रियों द्वारा इस प्रकार की यदि प्रेरणा हमारे सामने आती, तो यह बात अच्छी होती। मैं यह देखता हूं कि माननीय मंत्रियों से केवल इतने से नहीं कि वे दावतों में शरीक होते हैं बल्कि जो राज्य में उनके काम होते हैं उन कामों से दूसरे प्रेरणा लेंगे क्योंकि वे नेता हैं, देश में आगे चलने का उनका दावा है और वे आगे चलते हैं। मैं इस बजट में देखता हूं कि माननीय मंत्रियों का वेतन १२ सौ रुपये रखे गये हैं लेकिन उसके नीचे एक रकम ऐसी भी लिखी गयी है जो आयकर दी जायगी। माननीय मंत्रियों का वेतन १५ सौ रुपया पहले था। अच्छा होता कि १५ सौ रुपया वेतन उनका रहता और १५ सौ रुपया में जो आयकर होता वह आयकर केन्द्रीय सरकार उनसे वसूल करती। अब तनख्वाह १५ सौ रुपया न रख कर, आयकर सरकार की तरफ से दे दिया जायगा। यह बात ऐसी नहीं दिखाई देती जिसको बहुत लोग पसन्द करें। हां, एक बात यह हो सकती है कि हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हम १२ सौ रुपया तनख्वाह लेते हैं, १५ सौ रुपया नहीं लेते हैं। पढ़े लिखे लोगों के सामने यह चीज जाती है। यह छिपाने वाली बात है और मैं समझता कि हूं इस प्रकार कोई प्रेरणा देने वाली बात माननीय मंत्रियों से भी नहीं होती। फिर अगर माननीय मंत्रियों से प्रेरणा नहीं मिलती है, तो यह सोचा जाय कि

[श्री गेंदा सिंह]

उनके ऊपर और कहां से प्रेरणा मिल सकती है। मैं अपने प्रदेश में सब से ऊंचे स्थान माननीय राज्यपाल से समझता हूं कि शायद उन्हीं से कुछ प्रेरणा मिले। माननीय राज्यपाल के ऊपर जो व्यय होता है उसको मैंने देखा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय चाहूंगा कि आप की आज्ञा से थोड़े आंकड़े आप के सामने उपस्थित कर दूं। सन् १९५१–५२ में ५६,१०० रु० राज्यपाल महोदय का वेतन था। इस वर्ष जो सन् १९५३–५४ का तखमीना है वह ६६,००० रु० का है। राज्यपाल के सेक्रेट्री के कार्यालय और कर्मचारिवर्ग पर सन् १९५१–५२ में ८९,७५५ रु० खर्च हुआ और इस वर्ष १,०३,३०० रु० का तखमीना है। राज्यपाल (गवर्नर) के कर्मचारिवर्ग और गृह कर्मचारिवर्ग (प्रभृत) पर सन् १९५१–५२ में ८८,९५१ रु० खर्च हुआ और इस वर्ष ९१,९०० रु० रखे गये हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं यह कहना चाहता था कि राज्यपाल का जो इसमें अनुदान है उसके बारे में कोई कटौती नहीं हो सकती है और कटौती के प्रस्ताव का उस पर प्रभाव भी नहीं पड़ सकता है। वह तो एक नानवोटेबिल आइटम है। उसके बारे में जो बातें कहीं जा रही हैं वे उस कटौती के लिये युक्तिसंगत नहीं हैं और स्टैट्यूट के मुताबिक वह इस सदन की सीमा के बाहर है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह प्वाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—जी हां प्वाइन्ट आफ आर्डर है बिलकुल। मगर मैं गेंदा सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वे इसके बारे में कहना उचित समझें तो उनको और बताया जाय लेकिन प्वाइन्ट आफ आर्डर के नाम पर कहा जाय तो प्वाइन्ट आफ आर्डर जरूर हो सकता है कि विधान के अनुसार इस संबंध में यहां कहना उचित नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैंने उदाहरण स्वरूप रखा है। मैं इतना तो समझता हूं कि इसपर वोट नहीं होगा लेकिन उसपर वाद विवाद तो हो सकता है। इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये इसको मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं।

राज्यपाल कर्मचारिवर्ग तथा गृह कर्मचारिवर्ग (प्रभृत) पर १९५१--५२ में ८८,९५१ और इस वर्ष में ९१,९०० है। सजावट के सामान पर सन् १९५१–५२ में २७,४२९ और ५८,५०० इस वर्ष में है। राज्यपाल (गवर्नर) व्यय विषयक भत्ता (प्रभृत) पर १९,००० पहले था, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मोटरकारों के रख रखाव पर सन् ५१–५२ में ३५,४७८ और इस वर्ष ७७,००० है। दौरे पर सन् १९५१–५२ में ९७,७२१ था और इस वर्ष में १,५०,४०० है।

तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इनकी बदौलत प्रेरणा तो देश को मिल नहीं सकती, माननीय मंत्रियों की प्रेरणा नहीं हो सकती, अधिकारियों के लिये माननीय राज्यपाल की तरफ से प्रेरणा नहीं हो सकती, अधिकारियों के लिये और कर्मचारियों के लिये। फिर यह प्रश्न रह जाता है कि किस प्रकार किसकी प्रेरणा से देश का उत्थान हो ? हमारे सामने बड़ी बड़ी योजनायें हैं, अरबों रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। इन अरबों रुपयों को खर्च करने में हम किस प्रकार देश के जो दलित वर्ग हैं, जिन्हें सचमुच आज इसकी आवश्यकता है हम उनकी कैसे मदद करें और उनकी जरूरियात को रफा करें और उनके कष्टों को रफा कर दें, यह नकशा साफ नहीं है। इसीलिये आवश्यकता इस बात की है कि जो वर्तमान विषमता है, उसके लिये सब से आगे माननीय मंत्रियों को जाना चाहिये। कोई आदर्श होना चाहिये। यदि कोई आदर्श नहीं है तो फिर जो अफसरान होते हैं ऊंचे के, उनमें देशभक्ति चाहे जितनी हो, लेकिन वह उनकी मर्जी पर होती है। क्योंकि उनके मां बाप ने उनको घर से पढ़ाया लिखाया, खर्चा बरदाश्त किया और उसके बाद उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से नौकरी दी गयी।

तो उनसे हम इस बात की आशा नहीं कर सकते कि वह अपने मन से कोई देश के नाम पर ऐसी कटौती करेंगे कि जिससे जो देश का गरीब तबका है जिसे सचमुच इमदाद की जरूरत है, उसकी इमदाद हो सके। इस में शक नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी डिपार्टमेंट में कुछ जगहों पर ऐसे आदमियों को भी रखते ह जिनसे प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं रखना चाहता लेकिन कुछ ओहदे ऐसे उन्होंने मुकर्रर किये हैं, कुछ ऐसी नियुक्तियां उन्होंने की हैं जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। हम लोगों के पास भी कुछ लोग आते हैं और वह कहते हैं कि कौन अफसर किस प्रकार का आदमी है। उनकी बुराई भी मालूम होती है और उनकी भलाई भी मालूम होती है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं लेकिन केवल उनसे काम नहीं चल सकता। अगर दो चार फीसदी लोग ऐसे निकलें तो उससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिये सब से पहले रुपयों के जरिये आदमी की प्रतिष्ठा होगी, इस मान्यता को हम को दूर करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इत्तफाक नहीं करूंगा कि जिस स्कूल में उन्होंने तालीम पाई है उस स्कूल में यही पढ़ाया गया था कि रुपये के बल पर किसी एक आदमी का उत्साह और सम्मान हो सकता है। उस स्कूल का मास्टर तो यही पढ़ाता था कि रुपये के बल पर किसी की प्रतिष्ठा दुनिया में नहीं होती और मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय हाईकोर्ट में जाकर वकालत शुरू करें तो १२ सौ रुपये क्या उनको बहुत बड़ी रकम मिल सकती है।

तो दो तीन बातें मैं जल्दी-जल्दी में जिक्र कर देना चाहता हूं। एक तो बेकारी जो है उसके दूर करने की कोई चेष्टा नहीं की गई है। यह भी हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम है और उसको इस बात की चेष्टा करनी चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि ४६–४७ से लेकर ५२–५३ तक औद्योगिक मजदूरों की संख्या में कितनी कमी हुई है, कितनों की छटनी हुई है कितने निकाले गये हैं। यह जो श्रम विभाग की कार्यवाही हमें मिली है, उसको पढ़ने से मालूम होगा कि हजारों मजदूर बेकार हुये। इसके अतिरिक्त जो बेकारी आज गांवों में है उसके लिये देशमुख साहब और प्रधान मंत्री नेहरू जी भी कहते हैं कि देश की बेकारी को दूर करना है और अगर करना है तो फिर उसके लिये कोई दूसरे ही तरीके का रास्ता बनाना पड़ेगा।

सचिवालयके लिये मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर अनकनफर्म्ड लोगों की बहुत बड़ी संख्या है और इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मैं छोटी सी मिसाल उनके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे पुस्तकालय है उसमें जितने मुलाजिम हैं उनको हर तीसरे महीने टरमिनेशन आर्डर मिल जाता है और इसकी वजह से उनमें कोई प्रेरणा आगे के कार्य के लिये नहीं मिलती।

दूसरी ओर अर्थ और संख्या विभाग के विषय में इतना कहना चाहता हूं कि इस विभाग से ऐसी गलत संख्यायें और आंकड़े निकलते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। मैं जानता हूं कि आज देश में स्टैटिस्टिक्स की हालत अच्छी नहीं है। फिर भी इस विभाग में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि ठीक-ठीक स्टैटिस्क्स इकट्ठा हो सकें और अगर स्टैटिस्टिक्स ठीक से इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, तो हमारी सारी योजना के काम नहीं हो जायेंगे और इसलिये इस ओर प्रयत्न होना आवश्यक है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सबे में भूमि संबंधी इतने कानून है कि यह मालूम नहीं है कि कितने प्रकार के कानून आज भी लागू है। एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के इतने कानूनों के रहने से जमींदारी उन्मूलन और भूमि-व्यवस्था जो कानून है, उसका पूरा असर नहीं पड़ता और उसमें ऐसी गुंजाइश हो जाती है कि जो लोग वहां ३० एकड़ की खेती नहीं करते और नई जमीन नहीं प्राप्त करते वे भी उन जगहों में हजार दो हजार एकड़ प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिये भी गुंजाइश है और इस कमी को भी दूर करना चाहिये।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान को प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने तीन चार बातें

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

जो विशेषतः इस अनुदान के संबंध में कही हैं उनके लिये वह दरअसल सदन के बधाई के पात्र हैं। एक बात उन्होंने यह कही थी कि जिले के बहुत से मुहकमों का एकीकरण एक तरह से कर दिया गया है और जितने आफिसर्स और इंस्पक्टर्स थे वे प्लानिंग आफिसर के मातहत कर दिये गये हैं। यह बड़ा काम हुआ है। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग के सूचना आफिसर्स हर जिले में थे वह भी जिले के प्लानिंग आफिसर्स के मातहत कर दिये गये हैं। यह भी उत्तम कार्य हुआ है। दूसरा काम जो इस संबंध में किया गया है जिसका वर्णन स्मृतिपत्र में है कि मालगुजारी वसूलने के लिये पटवारियों से काम न ले कर अमीनों की नियुक्ति की गई यह भी बहुत ही उत्तम कार्य हुआ है। तीसरी बात जिसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं वह यह है कि कार्यालयों के निरीक्षण के लिये एक इन्सपैक्टर नियुक्त किया गया है और उसके लिये क्लर्क और चपरासी आदि जो अब तक अस्थायी थे अब स्थायी कर दिये गये हैं और उससे बजट पर कोई असर भी नहीं आया है यह भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। परन्तु दो तीन बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता समझता हूं। उसमें से सब से पहली बात जो है, जिसका असर सारे प्रान्त के बजट पर पड़ता है, वह मुहकमा माल का है। बोर्ड आफ रेवेन्यू को अब कायम रखना मैं समझता हूं कि बिल्कुल उचित नहीं है। अब जमींदारी समाप्त हो गई है, जो मुकदमे यह विभाग किया करता था, वह बहुत से मुकदमे सिविल कोर्ट्स में चले जायेंगे। ऐसी हालत में बोर्ड आफ रेवेन्यू को कायम रखना मेरी अल्प बुद्धि में उचित नहीं मालूम होता।

इस बोर्ड पर जो खर्चा है वह इस प्रकार से है। कर्मचारियों के वेतन पर १,३६,७०० रुपया, भत्ते पर ५६,७०० रुपया और कंटिन्जेंसी में १७ हजार रुपया है। इस तरह से कुल मिला कर ३,६६,५०० रुपया है, जो इस पर व्यय किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले सालों में इस विभाग पर ३,८१,९०० रुपया खर्च किया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि इस विभाग के खर्चे में और सालों से इस साल कमी तो जरूर की गई है क्योंकि यह रकम ३,८१,९०० रुपये से कम होकर अब केवल ३,६६,५०० रुपये रह गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मद में कुछ भी व्यय करना बिल्कुल उचित मालूम नहीं होता है। अगर इन आदमियों के रखने का सवाल है तो वह सचिवालय में रखे जा सकते हैं और पचासों उन्नति के काम हैं जिनमें लग सकते हैं। इसलिये बोर्ड के मेम्बरान को मुकद्दमा फैसल करने के लिये या कर्मचारियों को इस हालत में रखना मैं समझता हूं कि उचित व्यय नहीं है। इस मद का खर्चा और बहुत उन्नति के कार्य हैं, डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनमें लग सकता है।

इसके अलावा एक बात और है वह यह है जैसा कि मैंने प्रातःकाल ही अनुदान के पेश होते समय कहा था कि इसके साथ-साथ कमिश्नरों का प्रश्न भी ले लिया जाय, लेकिन उस समय यह चीज तय नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि यह रेलेवेंट होगा, अगर मैं यहां जिक्र करूं कि कमिश्नरों की पोस्ट बेकार है और इन पर हम ५ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं इसमें शक नहीं कि पहले कमिश्नर ५ रखे जाते थे और अब ३ रखे जाते हैं, इन पर जो यह ५ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है वह और जो बोर्ड आफ रेवेन्यू पर खर्च किया जा रहा है, इन दोनों को निकाल देते हैं तो ९ लाख रुपये के लगभग बचत हो जाती है। इसको डेवलपमेंट के कामों में खर्च किया जाय, ऐसा मेरा सुझाव है और मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। जब मुख्य मंत्री जी लीडर आफ दी अपोजीशन थे तो कई मर्तबा उनके भाषण हो चुके हैं कि यह पोस्ट्स बेकार हैं। हम महसूस करते हैं कि इनमें कमी कर रहे हैं लेकिन इनके बिल्कुल खत्म कर देने की जरूरत है। यह मेरा

सुझाव है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सहानुभूति पूर्वक इस पर ग़ौर किया जायगा।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि सामान्य प्रशासन का अनुदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। मेरे मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने बड़े जोरों से यह कहा है कि माननीय मंत्रीगण जब जिलों में जाते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलने के बजाय उसके विपरीत असर होता है। आखिरकार मंत्री महोदय, इस सूबे के कोने-कोने में जायेंगे और उन्हें चाहे वह किसान हो, चाहे और कोई वर्ग का हो, कहीं न कहीं सहारा लेना पड़ेगा तो प्रेरणा देने की बात गौण हो जाती है और प्रेरणा लेने की बात रह जाती है। "जाकी रही भावना जैसी, प्रभू मूरति देखी तिन तैसी।" हमें प्रेरणा लेना है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सद्भावना से प्रेरणा लेते हैं या नहीं। यह हमारे लिये सामान्य प्रशासन में किसी तरह से रोकथाम की बात नहीं है। यों जब कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ जैसा कि यहां जिक्र किया गया राज्यपाल के खर्चे में एक सजावट का भी प्रश्न आता है। हमको अपने प्रदेश को मरुस्थल नहीं बनाना है। उसके लिये हमको इस प्रदेश को सुसज्जित करना है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमें अपने देश को ऊंचे शिखर पर पहुंचाना है और दिखाना है कि हमारे कर्मचारी भिखमंगों की तरह नहीं रहते, मुफ़लिसों की तरह नहीं रहते। इसका प्रबन्ध करने के लिये हमें थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई बार इस सदन में यह जिक्र कर चुका हूं, जैसा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कमिश्नरों के स्थान अब रखने योग्य नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमिश्नरों के सिलसिले में यह कहा था कि क्रमशः हम उनकी संख्या कम करते जा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, हम अपने देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं और यहां के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो ५ लाख की रकम कोई छोटी रकम नहीं है जब कि हमारा सीधा सम्बन्ध जिलाधीश से है तो यह जो बीच का स्थान बना हुआ है उसको हमें हटा देना चाहिये।

साथ ही साथ अनकनफर्म्ड की बात कही गई। इसको हम महसूस करते हैं कि बहुत से हमारे भाई सचिवालय में और अन्य जगहों में अनकनफर्म्ड हैं, लेकिन हमको स्थिति देखनी चाहिये। हम चाहते हैं कि सब यहां पर पर्मानेंट होने चाहिये, लेकिन जब तक हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक हम इतनी भारी संख्या में कर्मचारियों को कनफर्म्ड कैसे बना सकते हैं ? इसलिये यह बात भी कटती है।

थोड़े में मुझे यह निवेदन करना है कि जितने भी मामले चलते हैं उनमें नौकरशाही की बूबास बाकी है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो अहकामात यहां से जाते हैं वह नौकरशाही के असर में पड़ जाते हैं। और उन अहकामात का पूरे तौर से पालन नहीं होता। हम इस बात का भी अनुभव करते हैं कि सेंट्रल से या यहां से जो अहकामात जारी होते हैं उन पर पूरे तौर से अमल नहीं हो पाता। तफसील में जाने के लिये मेरे पास समय नहीं है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कुछ आर्डर्स यहां से जायं उनका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिये। मिसाल के तौर पर अभी एक मंत्री जी प्रतापगढ़ जिले में गये और कहा यह जाता है कि मिल मालिकों के यहां उनके भोजन और जलपान का प्रबन्ध हुआ। लेकिन वहां कुछ ऐसी व्यवस्था हुई नहीं। न मिल मालिक नजर आये न किसान नजर आये। मुझे जहां तक पता है शायद उनको हलवाई

[श्री रामकुमार शास्त्री]

के यहां रहना पड़ा। ऐसे ऐसे अफसर हैं जिन्होंने इस नुक्ताचीनी को अपने सामने रक्खा। लेकिन क्रमशः धीरे धीरे यह सारी बातें हट जायंगी। खामख्वाह यह कहना कि इससे प्रेरणा नहीं मिलती बिल्कुल गलत और लगो बात है। जो कुछ भी कमी है वह नौकरशाही की वजह से है। मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी का बख्शी के तालाब पर जो व्याख्यान उन्होंने दिया था वह याद आता है, जिसमें उन्होंने स्पष्टतया कहा था कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स को ठीक तरह से काम करना चाहिये। जितना काम उनको करना चाहिये उतना वह नहीं करते हैं। यह कहना कि माननीय मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रीगण इन हालात से वाकिफ नहीं हैं यह ग़लत है। जरूर वे वाकिफ़कार हैं। लेकिन एक दिन में हम कोढ़ को साफ करना चाहें तो नहीं हो सकता।

गेंदा सिंह जी ने देवरिया जिले की मिसाल दी, सूबे के और स्थानों की भी वह मिसाल देते। किसानों को तकलीफ न हो इस बात के लिये अहतियात जरूर बरतना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अवश्य एहतियात बरतें। जहां तक मंत्रियों के ठहरने का सवाल है अगर वह बाहर जायेंगे तो कहीं न कहीं ठहरेंगे तो अवश्य ही। यह हमारे और आप पर मबनी है कि हम उनको ग़लत जगह पर टिका देते हैं और यह हमारा और आपका फ़र्ज है कि वह प्रेरणा अच्छी तरह से लें।

थोड़े में यह निवेदन करना है कि जो सामान्य प्रशासन का काम चल रहा है वह ठीक तरह से नहीं चल रहा है, उसमें खामी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बख्शी के तालाब पर जो आदेश दिये थे उनको ध्यान में रख कर अहकामों पर पूरी तरह से पालन नहीं होता। जनता में काफ़ी असंतोष है। इस बात के लिये काफ़ी असन्तोष है कि जो हिदायत यहां से जाती है उसका पूरे तरीक़े से पालन तहसीलदार वगैरह नहीं करते हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के तमाम अहलकारों का कोआर्डिनेशन हो गया है वह हमको आगे बढ़ाने वाला है और हमारे देश को और हमारे प्रान्त को ऊंचे शिखर पर पहुंचाने वाला साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह सामान्य प्रशासन में पहले तो हमें इस सदन ही की कार्यवाही को लेना है कि इस सदन में जो काम हम करते हैं उसका असर जनता के ऊपर क्या पड़ता है। इस सदन के जितने माननीय सदस्यगण हैं वे इस प्रान्त की जनता के भाग्य विधाता हैं और हमें देखना यह है कि उसकी जान और माल की हिफ़ाजत के लिये हम किस तरह के कानून बनाते हैं। जो हमारी प्लानिंग की स्कीम है इसमें हम किस तरह से कोशिश करें कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में काम अच्छे तरीक़े से चले और रुपया भी अच्छी तरह से लोगों के पास आ जाय। इसके लिये हमको देखना है कि किस तरह के कानून हम बनाते हैं और जनता उनसे संतुष्ट है या नहीं? मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान दो तीन बातों की ओर आकर्षित करूंगा। जैसे रेंट कंट्रोल ऐक्ट बना है उसमें सेक्शन ७ बी है जिसके अनुसार अगर किसी मकान का किराया ५ रुपये माहवार है, और मकान मालिक ने दरख्वास्त दे दी कि ५०० रुपये महीने के हिसाब से तीन महीने का किराया मिलना चाहिये। तो १५ दिन के अन्दर अगर मुंसिफ के यहां रुपया न जमा कर दिया और आब्जेक्शन न किया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिये हमारे लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच ने दो मुक़दमें भी फैसल किये कि यह कानून कुछ अच्छा नहीं है मगर कानून

जैसे मौजूदा हालत में है वह उस तरीक़े से है। तो मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर हमारे सदन के सदस्य इसका ख्याल न भी करें तो कम से कम जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको तो अवश्य ख्याल करना चाहिये। जैसे पंचायत-राज ऐक्ट के मुताल्लिक़ एक जजमेंट हुआ उसके बाद यहां कानून में तब्दीली हो गयी कि अगर तीन पंच हों तो उनका फैसला रद्द न समझा जायगा। इसी तरीक़े से और भी कानून हैं। जैसे पंचायत राज ऐक्ट की रू से मुंसिफ को अख्तियार दे दिया गया कि वह रेवीजन भी सुने। मगर प्राविंशल स्माल काज़ कोर्ट ऐक्ट की रू से जब तक चार पांच साल तक मुंसिफ काम न कर ले तब तक उसको ओरीजिनल साइड में भी अख्तियार नहीं दिये जाते।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, यह किस विषय पर भाषण हो रहा है, बिलकुल ही विषय के बाहर ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—मैं यह कहूंगा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यगण ने कमिश्नर वग़ैरह की बात कही जो कि १३वें नम्बर पर है और उसका भाषण कल होगा। और कुछ लोगों ने यहां एकीकरण जो कि ४३ नम्बर पर है उसके मुताल्लिक बातें कीं तब हमारे लायक़ आदरणीय सदस्य जी ने कोई आपत्ति नहीं की। और यहां तो सामान्य प्रशासन की बात है जिसकी पहिली चीज़ है कि किस तरीक़े से हम कानून बनायें और किस तरह से उस पर चलें। तो यह तो बिल्कुल संगत बात है, असंगत नहीं है, मालूम नहीं उन्हें क्यों ऐसा ख्याल पैदा हो गया। मैं केवल टीका टिप्पणी की ग़रज़ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। कुछ ऐसी हैं जिनका कहना मुझको निहायत ज़रूरी है और मैं समझता हूं कि ४३१वां हिस्सा इस सदन के काम में मेरी भी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं इस सदन का सदस्य हूं तो मुझे जो बात ठीक समझ में आयेगी वह मैं कहूंगा ही और मुझे कुछ कहना ही चाहिये।

मैं यह कह रहा था कि हम कैसे कानून बनाते हैं। हमारे प्रान्त में ऐसा आतंक है कि कोई भी आदमी आज प्राइवेट प्रापर्टी बनाने के लिये तैयार नहीं है। मकान वालों में यह भावना घर करती जा रही है कि मालूम नहीं कि किस दिन मकानों का राष्ट्रीयकरण हो जाय। इस तरह से हमारा जो उत्पादन है, हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत कमी हो रही है। एक तरफ तो हमारी यह कोशिश है कि लोगों की आमदनी बढ़े जिससे प्लानिंग में भी अधिक रुपया खर्च किया जा सके, कर्ज की सूरत में या और किसी सूरत में। मैं यह कह रहा हूं कि लोगों के दिलों में जो ख्यालात पैदा हो रहे हैं उसके लिये हम ऐसे कानून बनायें जिससे इस किस्म के ख्यालात पैदा न हों। लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी पर लांछन नहीं लगाता, किसी माननीय मंत्री पर लांछन नहीं लगाता, जो कि ईमानदारी और लगन के साथ काम कर रहे हैं। परन्तु आमतौर से लोग कैसा काम रहे हैं, उसके लिये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास पूरी कार्यवाही की हर रोज़ की प्रतिलिपि अभी तक नहीं पहुंची। बीसों मर्तबा सुपरिंटेंडेंट और अध्यक्ष महोदय तथा सेक्रेटरी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अभी तक कोई इन्तजाम नहीं हुआ। कई-कई प्रतिलिपि एक-एक दिन की ही पहुंच गयीं। एक मर्तबा मैंने दो प्रतिलिपि जो ज्यादा पहुंच गयी थीं उनको वापिस किया और एक मर्तबा १३ प्रतिलिपि वापिस कीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कर्मचारियों के दिलों में भी इस बात का ख्याल होना चाहिये कि हमारा क्या कर्तव्य है और यह कि हमें उस कर्तव्य का पालन करना चाहिये ताकि हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच जाय और जो कुछ हम करें वह जनता के उपकार के लिये हो।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन् मैं आपके द्वारा इस अनुदान पर कुछ ऐसे सुझाव पेश करना चाहता हूं जिनसे मेरे मित्रों को तो अचरज होगा ही सरकार को भी आश्चर्य होगा।

मेरा पहला सुझाव यह है कि इस जमाने में, इस प्रान्त में २ सदनों की आवश्यकता नहीं है। हम केवल विधान सभा से ही काम चला सकते हैं। अगर आप विधान परिषद् को समाप्त कर देते हैं तो उससे प्रान्तीय सरकार को काफ़ी बचत हो जायगी और उससे प्रान्त की कोई हानि होने की संभावना नहीं है बल्कि लाभ ही होगा।

दूसरा सुझाव मेरा माननीय सदस्यों के सामने यह है कि लाल बहादुर जी शास्त्री ने पिछले रेलवे बजट को पेश करते हुये यह बताया कि पहली अप्रैल से फ़र्स्ट क्लास उठा ली जायगी, केवल कुछ मेल गाड़ियों में रहेगी लेकिन वह भी पहली अक्टूबर, ५३ से उठा ली जायगी। शायद यही वजह है कि पंजाब के वित्त मंत्री सरदार उज्ज्वल सिंह ने पंजाब में पहली अप्रैल से मंत्रियों, विधान सभा के मेम्बरों और बड़े आफीशियल्स को बजाय फ़र्स्ट क्लास के सेकिंड क्लास का किराया देना निश्चित किया है। पंजाब का अनुकरण हमारे प्रान्त में भी हो सकता है और एक अप्रैल से बजाय डेढ़ गुना फ़र्स्ट क्लास के डेढ़ गुना सेकिंड क्लास का किराया दिया जाय। वास्तव में अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हममें से बहुत कम सदस्य ऐसे हैं जो यथार्थ में फर्स्ट क्लास का उपयोग करते हों। हमारे देश का स्तर ऐसा है, हमारे जीवन का स्तर ऐसा है, इस प्रान्त के जीवन का स्तर ऐसा है कि इसमें कोई भी आदमी फ़र्स्ट क्लास का सदा उपयोग नहीं कर सकता। जब हमारा स्तर ऐसा है कि हम उसका उपयोग कर ही नहीं सकते तो हमें स्वयं ही पहले त्याग करना चाहिये और एक ऐसा आदर्श जनता के सामने पेश करना चाहिये, ताकि वह यह समझे कि हां, विधान मंडल के सदस्य जो हैं वे स्वयं कुछ त्याग करने की इच्छा रखते हैं और उसके अनुसार कार्य करने जा रहे हैं।

तीसरी बात मुझे सरकारी नीति के सम्बन्ध में जो दारुलशफा में बरती जा रही है कहना है। दारुलशफा में सरकारी नीति के अनुसार अगर एक कमरे में एक सदस्य रहे तो उसे ४ रुपया दैनिक किराया देना चाहिये। आप देते तो हैं सदस्यों को २ सौ रुपये मासिक और ४ रु० दैनिक के हिसाब से १२० रु० काट लेते हैं। यानी इस तरह से सदस्य केवल ८० रु० पाते हैं। इसके विपरीत उसी दारुलशफा में अगर देखा जाय तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या उपमंत्री जो दो, तीन या चार कमरे लेकर रहते हैं, वे उसका किराया केवल १०० रुपया देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें क्या तुक है कि एक मेम्बर जिसका वेतन २०० रु० है वह तो ४ रु० रोज देवे और जो मंत्री, उपमंत्री या सभा सचिव जो ५००, ७५० या १,००० रु० पाते हैं वे १०० रु० दें। अगर उनको आप १०० रु० महीने पर देते हैं तो मेम्बरों से भी उसी अनुपात से किराया लेना चाहिये। खामख्वाह के लिये उनसे ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिये।

एक बात इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि देखा गया है कि दो मेम्बर अपनी तबियत के नहीं हैं और वे नहीं चाहते हैं कि एक कमरे में रहें। तो मेरा ख्याल यह है कि स्वयं मंत्रिगण जिनके वे उपमंत्री व सभासचिव हैं उनको वे अपने बंगलों में नहीं रखना चाहते तो फिर क्यों आशा की जाती है कि दो तबियत वाले सदस्य एक कमरे में जरूर रहें? मेरे ख्याल से तो कार्य भी अच्छा होगा और यह उचित होगा कि मंत्रिगण अपने सहायक उपमंत्रियों और सभा सचिवों को अपने मकान में स्थान देवें ताकि उससे कार्य में तो सुविधा है ही, और ज्यादा रुपये की बचत भी हो सकेगी। बजट में सभा सचिवों और उपमंत्रियों के लिये नये मकान बनाने के लिये भी रुपया रखा गया है। ठीक है, उनकी सुविधा के लिये मकान बनने चाहिये लेकिन अगर हमारे पास मकानों की कमी है, कमरों की कमी है और उसकी वजह से

दो-दो सदस्य एक कमरे में रहते हैं तो हम मेम्बरों के लिये भी नये मकानों की सुविधा होनी चाहिये। और अगर रुपये की कमी के कारण सदस्यों को वे सुविधायें नहीं मिलतीं हैं तो उसी रुपये की कमी के कारण यह प्रबन्ध किया जा सकता है कि उपमंत्रियों व सभासचिवों को भी मंत्रियों के बंगले में स्थान दे दिया जावे जिसमें कोई खर्च न पड़े।

एक बात मुझे इस सम्बन्ध में और कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दैनिक अखबारों में सूचना विभाग की ओर से जो विज्ञापन प्रकाशित होते हैं उसमें लिखा होता है कि सब्जी उपजाइये, खेती की तरक्की कीजिये, सड़कें बनाइये, लेकिन वे सूचनाएं आम तौर पर अंग्रेजी के दैनिक पत्रों में प्रकाशित होती हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे प्रान्त की उन्नति के लिये जो यह कार्य होता है, वह अंग्रेजी पत्रों में विज्ञापन देने से कैसे लाभ हो सकता है ? ठीक है, विज्ञापन होना चाहिये लेकिन अपने देशी भाषा के पत्रों में होना चाहिये जिससे आम जनता जो देहातों में रहती है और जिसके लिये ये विज्ञापन किये जाते हैं वह उससे लाभ उठा सके न कि अंग्रेजी पत्रों से वह लाभ उठा सकती है। वैसे भी विज्ञापन दर को देखा जाय तो देशी भाषा के पत्रों का तो कम होता है लेकिन अंग्रेजी भाषा के पत्रों का विज्ञापन दर बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार से अगर विज्ञापन पर पाबन्दी लगा दी जाय और उसकी सीमा बांध दी जाय तो इससे आसानी हो सकती है और व्यय भी काफी कम हो सकता है। ये थोड़े से सुझाव मैंने, इसलिये दिये हैं कि मैं समझता हूं कि हम लोग जो विधान मंडल के और विधायिका सभा के सदस्य हैं, पहले अपनी तरफ देखना चाहिये और चूंकि हमारी यह जिम्मेदारी है, और हम प्रान्त का साल का बजट बना रहे हैं, उसको पूरा करने के लिये और उसको व्यय करने के लिये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिये हम पहले अपनी तरफ देख लें और औरों के सामने एक आदर्श पेश करें।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि बहुत सी बातें जो उठाई गयी हैं कि बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिये और बहुत सी जो पोस्ट्स हैं उनको खतम कर देना चाहिये, मैं तो समझता हूं कि अभी उनकी आवश्यकता है और उनके जरिये हम कुछ कार्य अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें फ़िलहाल खतम करना मुनासिब नहीं है। जैसे बोर्ड आफ रेवेन्यू के लिये कहा गया है कि बोर्ड आफ़ रेवेन्यू को खतम कर दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि अगर बोर्ड आफ रेवेन्यू को खत्म कर दिया जाय तो फिर वह जो सेंकिड अपील सुनते हैं वह आखिरकार कहां जायगी। अगर वह सेंकिड अपील जो कि उनके ताल्लुक में रखी गई है वह हाई कोर्ट में भेजी जाती है तो उसका भी यह नतीजा होगा कि वहां कोई न कोई मेम्बर बेंच का बढ़ाना पड़ेगा। और जो यह किफ़ायत बतलाई गई है वह किफ़ायत नहीं हो सकेगी। इसी तरीके से कमिश्नर जो रखे गये हैं उसमें से एक एडीशनल हैं और वह फर्स्ट अपील सुनते हैं। अगर हम उनको निकाल देते हैं तो उनके बजाय कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस वास्ते उस व्यय में भी किफायत नहीं हो सकती है। जो यह तीसरे रखे गये हैं एक्जिक्यूटिव फंक्शन्स के लिये तो यह ठीक है। जो हमारे जिलाधीश हैं उनसे अब इस गवर्नमेंट का सीधे-सीधे सम्पर्क स्थापित हो गया है। लेकिन आखिर ५२,५३ जिले हैं वहां की हर एक बात का निरीक्षण करना यहां हमारे मिनिस्टरों के लिये तो इतना वक्त नहीं है कि वह सब जगह जाकर ठीक ठीक निरीक्षण कर सकें। इसके लिये यह आवश्यक है कि कुछ न कुछ कमिश्नर हों जो कि जिलों में जाकर ब्योरेवार निरीक्षण कर सकें ताकि वहां का जो काम है वह ठीक ठीक तरीके से देखा जासके और हम एक ठीक निर्णय पर पहुंच सकें कि हमारा काम ठीक रास्ते पर चल रहा है या नहीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

बधाई देता हूं इस बात पर कि उन्होंने जिला सूचना अधिकारियों को प्लानिंग डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया है। इसका नतीजा यह भी समझता हूं कि जो जिला सूचना अधिकारियों के पास कारे थीं वह अब प्लानिंग अफ़सर के मातहत रहेंगी और इस तरीके से जिलों में उन्नति का कार्य और ज्यादा तेजी के साथ हो सकेगा क्योंकि कार से प्लानिंग अफसरों को कुछ न कुछ सुविधा होती है और वह ज्यादा कार्य कर सकते हैं। उनका भत्ता भी ज्यादा हो जाता था, लेकिन अब सरकारी कार उनके पास रहने से उनके भत्ते में कमी होगी। लेकिन मैं यह समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन आफिसरों को जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया गया है वह तभी रखे जायं जब कि वाक़ई में वहां उनकी खपत हो और उनसे ऐसा कार्य लिये जाने की आवश्यकता हो और हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में ऐसे आदमियों को पंचवर्षीय योजना के लिये रखें जो किसी कार्य के लिये ज़रूरी हों। अगर जरूरत नहीं है तो मैं यह समझता हूं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी ट्रान्सफर करने से उनके जरिये से कोई लाभ नहीं होने वाला है और असल में फिर इस पोस्ट को अबालिश ही करना होगा ताकि हम कुछ रुपया बचाने में किफायत कर सकें।

मेरा यह भी ख्याल है कि हमारा देश इस समय एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चालू है और ऐसी दशा में हमको हर तरीके से सतर्क रहना है और हमको असल में हमारा जितना शासन है उसको इस निगाह से देखें कि हमको पंचवर्षीय योजना कामयाब बनानी है और उसके लिहाज से ही हमको उसका पुनःसंगठन करना है। और हमको यह देखना है कि हमारे जो कर्मचारी हैं वह पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये उचित हैं या नहीं? वह हमारे योग्य हैं या नहीं? और जो आदमी इसके योग्य नहीं हैं तो उसको हमें उन जगहों पर नहीं रखना है और उनको वहां से अलग करना है। ऐसे अफ़सरों को रखना है जो इस कार्य को ठीक रूप से करें और सुचारु रूप से चला सकते हों उनको ही हमें रखना है। इसके लिये बहुत हायर इन्टेग्रिटी की जरूरत है ताकि जनता के विश्वास से कार्य किया जा सके और उसमें किसी किस्म की बेईमानी पैदा न हो। उसमें जनता का रुपया बेकार तथा नष्ट न होगा। और लगन के साथ काम होगा। ऐसे अफसर जो जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जो पुरानी शेखी में नहीं रहते हैं, बल्कि अपने को जनता का सेवक समझते हैं, जनता से मिलजुल कर काम करना जानते हैं उन्हीं को असिल में हमें वहां रखना है और उनके द्वारा ही यह काम चलाना है और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पंचवर्षीय योजना कामयाब नहीं हो सकती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कृपा करके इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यह तो सही है कि हमारे जो सुपीरियर अफ़सरान हैं उनकी इन्टेग्रिटी के बारे में मैं आम तौर पर कोई खास शिकायत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनको भी एक बात की इन्सट्रक्शन्स जरूर होनी चाहिये कि वह अपने सबार्डिनेट्स की तरफ कड़ी निगाह रखें। आमतौर पर शिकायत नीचे के सबार्डिनेट्स के बारे में ही रहती है लेकिन अफसरान के बारे में भी एक शिकायत जरूर आती है कि वह खुशामद में आकर तरह दे दिया करते हैं। इसलिये इस तरह से जो तरह दी जाती है उसकी रोकथाम भी होनी चाहिये और किसी अफसर का रिकार्ड तभी अच्छा समझा जाना चाहिये जब कि वह अपने सबार्डिनेट्स को काबू में रख सकता हो और उसके यहां सब में इन्टेग्रिटी पाई जाय। अगर इस तरह की जिम्मेदारी अफसरान की ठहराई जायगी तो वह किसी की सिफ़ारिश या खुशामद में न आयेंगे और अपने सबार्डिनेट्स की इन्टेग्रिटी को वह ऊंचा रख सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का स्वागत करता हूं।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा शासन चलाने के लिये यह आवश्यक है कि शासन को चलाने वाली मेशीन अपना काम सही सही करे।

यह मशीन तभी ठीक काम कर सकती है जब कि उस के दोनों पहलुओं को सही तरीके से रखा जाय। एक तो यह कि शासन चलाने की मशीन यानी राज्य के कर्मचारीगण की कन्डीशन आफ सर्विस ऐसी हों जिन से वह संतुष्ट रह सकें। दूसरे यह कि वह अपने फ़रायज़ को ठीक से अंजाम देते हों और वह जनता के पैसे का और पब्लिक की दी हुई ताकत का दुरुपयोग न कर सकें, यह बहुत ही जरूरी चीज है। यह भी जरूरी चीज है कि राज्य के कर्मचारियों का मान होना चाहिये, उनकी इज्जत हो और पब्लिक उनको अपना मित्र समझे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कुछ ऐसी अवस्था हो गई है कि राज्य के कर्मचारी पब्लिक में दोस्त की तरह नहीं देखे जाते, या तो पब्लिक उनसे बहुत खफा है, डरती है और कहीं पर आंतकित भी होती है और मित्रता के भाव का बिलकुल अभाव है।

दूसरी बात जो शासन चलाने के लिये बहुत आवश्यक है वह यह है कि सरकार की जो भी बातें हैं उन का अमल ठीक तरह से हो। मसलन सरकार किसी चीज की घोषणा करे कि फलां काम हम करना चाहते हैं तो उसको उसकी पाबन्दी करना चाहिये। जैसे सन् ४९ ई० में हमने एनाउन्स किया कि हम लोकल बाडीज के एलेक्शन्स करायेंगे, लेकिन सन् ५०–५२ सब खत्म हो गये और ५३ भी आ गया पर वह इलेक्शन्स नहीं हुये। वार्ड भी बने, सब चीजें हुई लेकिन कुछ कम पूरा न हुआ। इस बात से नतीजा यह होता है कि सरकारी बातों में जनता का विश्वास कम हो जाता है। यह चीज अच्छा शासन चलाने के लिये मुनासिब नहीं है। सरकार द्वारा फैसले जल्दी हों यह भी अच्छा शासन चलाने के लिये जरूरी चीज है। यह फसले अगर जल्दी नहीं होते हैं तो इससे संबंधित आदमी की मानसिक हालत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और खास तौर से सरकारी कर्मचारियों के मसले में।

नियुक्तियां जो होती हैं, अगर कोई खाली जगह होने के बाद या रिटायर होने के बाद कोई आदमी उस पर नियुक्त किया जाय तो उसकी नियुक्ति पहले से हो जानी चाहिये। नहीं तो नतीजा यह होता है कि दौड़ धूप शुरू हो जाती है और आखिर तक उसकी कोशिश होती रहती है। इससे राज्य के काम अच्छे तरीके से चलने में दिक्कत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति आज चार छः महीने हो गये लेकिन अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट के जजों की भी कुछ जगहें खाली हैं। लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई।

सरकारी कर्मचारियों के जाती मामले जो होते हैं और उन की सुनवाई जल्दी नहीं होती तो उसका सरकारी कर्मचारियों की मानसिक हालत पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इस तरह के फ़ैसले जल्दी हो जायं तो इससे जनता भी संतुष्ट रहेगी और जिस कर्मचारी से उसका संबंध है वह भी, चाहे उसके हक में फसला हो या खिलाफ़, संतुष्ट रहेगा। डाल रखने से उसकी मानसिक हालत खराब होती है।

श्रीमन्, अभी हाल में सिविल सेक्रेटेरिएट में कुछ इम्तहान हुये जिससे कुछ आदमी चुनाव में लिये गये। इसमें उन्होंने यह रखा था कि पचास फीसदी वैभागीय उम्मीदवार और ५० फीसदी जगहें बाहर वालों के लिये। नवम्बर में यह इम्तहान हुआ और फ़रवरी में इसके नतीजे की घोषणा की गयी। तो जो बाहर के उम्मीदवार थे वह तो नियुक्त हो गये। लेकिन जो वैभागीय उम्मीदवार थे और टेम्पोरेरी हैन्ड्स में से ज्यादातर थे, उनमें से केवल चार-पांच आदमी ऐसे थे जो क्वालीफ़ाई कर सके। यह हालत है जब साल डेढ़ साल जनता के पैसे पर इसी सचिवालय के अन्दर उन्होंने ट्रेनिंग पायी। यह बहुत गलत चीज है। अगर टेम्पोरेरी हैन्ड्स भी हमें रखने हैं तो हम उन्हीं में से रक्खें जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हमने आदमी ले लेने के बाद, मेरिट के क्रम से जो उम्मीदवार बचते हैं उन को टेम्पोरेरी अप्वाइंटमेंटस् में रखें। यह नहीं है कि टेम्पोरेरी अप्वाइन्टमेंट्स हम कहीं भी हेबेजर्ड रख लें। इससे कर्मचारियों के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और बाज वक्त उन का ऐसा भी ख्याल हो जाता है कि उन को इंसाफ की आशा नहीं है। इसलिये मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि टेम्पोरेरी अप्वाइन्टमेंट्स इस तरीके से कतई न किये जायं।

[श्री भगवान सहाय]

एक बात और बहुत अहम है वह यह है कि हमारे सरकारी विभागों में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो साल ब साल टेम्पोरेरी तरीके से चले आ रहे हैं हैं। ३१ मार्च को उनको नोटिस दे दिया जाता है कि उनकी नौकरी खत्म है और पहली तारीख को फिर रख लिया जाता है। अगर हम यह समझते हैं कि कुछ जगहें आवश्यक हैं तब हम उनको मुस्तकिल तौर से रखें और अगर हमें जरूरत नहीं है तो फिर हम टेम्पोरेरी तरीके से न रखें। क्योंकि आप उसकी मानसिक हालत को सोचिये जिसकी नौकरी दो चार महीने के बाद खत्म होने वाली हो। काम करने में उसको क्या दिलचस्पी होगी ?

अन्त में मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में यह साफ़ तौर से दिया हुआ है कि हमारे इस सदन के सामने हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पेश की जायगी। और जहां पर सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं किया है वहां पर सरकार की अपनी रिपोर्ट होगी कि उन्होंने क्यों नहीं इत्तफ़ाक किया है। मुझे बड़ा दुख है कि यह रिपोर्ट इस सदन के सामने आज दो साल हुये, अभी तक नहीं आई है।

अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी बातों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाय।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी ने जो अपना कटौती का प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अगर इस प्रदेश की तरफ देखा जाय तो सन् १९४७ में जब स्वराज्य मिला उसके पहले सन् ४६ में हमारे सरकारी मुलाजमान की जो तादाद थी आज की तादाद से अगर मुकाबला करें तो जमीन आसमान का फर्क हमें मालूम होता है। करीब चौगुनी और अठगुनी वह संख्या होती जाती है। और ७८ करोड़ रुपया जो इस बजट में रखा गया है उसका एक तिहाई हिस्सा उन सरकारी नौकरियों पर या उनके आफिसेज के मुताल्लिक खर्च किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट्स तो हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गये, काम भी ज्यादा हो गया लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जो हम एफ़िशियेंसी पाते थे आज उसके बजाय इनएफ़िशियेंसी बराबर बढ़ती चली जा रही है। इतना ही नहीं, एक चीज यह भी हम देखते हैं कि अगर पब्लिक में हम जायं वहां भी असंतोष मिलता है, गवर्नमेंट सरवेंट्स में भी असंतोष मिलता है और सरकार भी परेशान है। इस चीज को हमें देखना है कि यह गड़बड़ी, जिस की वजह से यह परेशानी हर वर्ग, हर समाज और हर जगह हम पाते हैं वह क्यों है, यह हमें सोचना है। अगर पुलिस की तरफ हम देखते हैं तो वहां कहा जाता है कि क्राइम्स बहुत कम होते हैं। लेकिन रियलिटी की बात दूसरी है। वहां तो क्राइम जितना होता है उसका बहुत कम हिस्सा दिखाया जाता है। अगर पंचायतों को आप साथ में लें तो वह क्राइम की तादाद जो पुलिस के जरिये कहा जाता है कि क्राइम कम हो रहा है, वह पंचायतों को शामिल कर देने से दूनी चौगुनी मालूम होती है।

आज जो इतने विभाग दिखाई देते हैं इसकी वजह से कमजोरियों का मुश्किल से पता लग सकता है। आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं कि वाकई प्रदेश की परिस्थिति क्या है और नतीजा यह हुआ कि इसकी वजह से असंतोष ज्यादा पैदा हो रहा है

इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि गांधी जी ने जब यह आन्दोलन छेड़ा उस वक्त वह अकेले थे। लेकिन उनका जो भाव था और प्रोग्राम इतना सुन्दर था कि देश की पूरी जनता उनके साथ हुई और नतीजा यह हुआ कि स्वराज्य की जो मनोकामना हमारे प्रदेश की थी वह हासिल हुई। लेकिन आज हम देख रहेहैं कि जिस जनता को लेकर गांधी जी ने इतना जबरदस्त मोर्चा अंग्रेजों के साथ लेकर कामयाबी हासिल की वह जनता हम से दूर होती जा रही है।

इतना ही नहीं बल्कि उस जनता में भी हम यह देखते हैं कि अगर देहात की तरफ आप जायं तो रामराज्य की जो कल्पना देख रहे थे कि स्वराज्य होगा और हर एक में प्रेमभाव होगा, खाने कपड़े की कमी नहीं होगी, वह बात हम नहीं देखते हैं। सोशल लाइफ हम लोगों की इतनी खराब होती जा रही है कि हर एक परेशान है। इतना ही नहीं, जातीयता, आपस में जो कठिनाइयां और झगड़े फसाद इतने बढ़ रहे हैं कि देहात में रहना लोगों का मुश्किल हो गया है। अगर जेलों की तरफ भी हम देखें तो वहां का जीवन हमें देहात के जीवन से ज्यादा अच्छा मालूम होता है और उसकी वजह यह है कि जेलों में हमें काम और पैसा मिलता है। मैं समझता हूं कि वह परिस्थिति जिसमें मजबूर होकर कोई आदमी क्राइम करता है वह जब जेल में जाता तो उसे ऐश व आराम बहुत ज्यादा मिलता है। नतीजा यह होता है कि क्राइम की ओर मनोवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है क्योंकि जेल से जब हम वापस आते हैं तो जिन परिस्थितियों में मजबूर होकर जुर्म करना पड़ता है वह परिस्थितियां जैसी पहले थीं वैसी ही आज भी बनी हुई पाते हैं और नतीजा यह हो रहा है कि हम जेल से बाहर आते हैं और फिर उसी परिस्थिति से मजबूर होते हैं कि क्राइम करें और जेल जायं। इस तरीके पर हम देखते हैं कि हमारी समस्या जो है वह उलटे बढ़ती ही जा रही है। हमारे सामने जो बजट है और यह जो प्रोग्राम गवर्नमेंट का है उसमें हमें एक भी चीज ऐसी नहीं मिली कि हमारी बेकारी की समस्या दूर हो या काम वगैरह न मिलने की जो परेशानी है वह परेशानी दूर हो। हमने पंचवर्षीय योजना को भी देखा है। हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन काम करने की तमन्ना तो उसमें आती है पर बेकार आदमियों के पेट भरने की समस्या का हल नहीं होता। हमारे आदमी मजबूर किये जाते हैं काम करने के लिये लेकिन सवाल यह है कि उनके पेट भरने के लिये भी हमें कोई उपाय करना चाहिये। वह उपाय हमारे सामने नहीं है। प्लानिंग वगैरह के मुताल्लिक हम पढ़ते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और यह बताया जा रहा है कि वह देहातों में जायं, लोगों की कठिनाइयां जो हैं उनको अपने सामने रखें और उनकी कठिनाइयों को दूर करें, लेकिन मैं देखता हूं कि कोई ठोस काम इन चीजों के साथ वहां जो ट्रेनिंग दी जा रही है वह नहीं किये जाते जिससे कि वे पब्लिक की कठिनाइयों को दूर कर सकें और जनता का प्रेम अपनी तरफ खींच सकें।

अब जहां तक अदालतों का संबंध है हम यह कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन दूर हो। चारों तरफ करप्शन की भरमार हो रही है, लेकिन साथ ही हम यह देखें कि इन करप्शंस का फैसला कौन करने वाला है? इन करप्शन्स का फैसला अदालतों से मिलता है। अदालत में मैजिस्ट्रेट वहां बैठता है, वहीं पेशकार और उसके कर्मचारी बैठते हैं और अदालत के सामने वह पेशकार और कर्मचारी पैसा लेते हैं, उसके लिये कोई रोकथाम नहीं है। आप सोचिये कि वह आफिसर जिसके कि सामने पैसे लिये जायं, अगर वह उस चीज़ को बन्द नहीं कर सकता तो वह करप्शन जो कि उसके लिमिट के बाहर हो रहा है उसको वह कैसे रोक सकता है? यह एक गैरमुमकिन चीज है और मैं समझता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। ऐंटी करप्शन कमेटियां हर जिले में मौजूद हैं। वहां हर तरह के जुर्मों की बात होती है। होता क्या है कि अदालत में जहां पर कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहता है, वहीं उसके इजलास में करप्शन होता है और वह उसको रोक नहीं सकता। फिर उससे हम क्या उम्मीद करें कि बाहर के लोगों का जो करप्शन है उनके करप्शन को वह रोक सकेगा। अब जहां तक इंफारमेशन के डिपार्टमेंट की बात है, इंफारमेशन डिपार्टमेंट की बड़ी तारीफ लोगों ने की है और मैं तो यह समझता हूं कि यह वह डिपार्टमेंट है जिसे कि अप–टू–डेट इंफारमेशन रखनी चाहिये। पर अगर आज हम किसी डिपार्टमेंट के बारे में पूछते हैं तो उसकी नालेज और पूरा ज्ञान इस डिपार्टमेंट को होना चाहिये। लेकिन अगर हम कोई बात किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में पूछें तो उसके लिये एक रास्ता है कि वह लिख देगा कि फलां डिपार्टमेंट से पूछिये। यही चीज है जो कि हम इस डिपार्टमेंट से हासिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इंफारमेशन डिपार्टमेंट का ही इन्क्वायरी आफिस भी एक भाग है। इंफारमेशन डिपार्टमेंट में मैं समझता हूं कि जैसा कि और देशों में होता है, हम लोगों ने सिनेमा आदि बड़ी

[श्री कमला सिंह]

अच्छी-अच्छी चीजें रखी हैं जिनसे कि देहातों में मैजिक लैन्टर्न वगैरह के जरिये जाकर प्रचार कर सकते हैं और पंचवर्षीय योजनायें जो हैं उनको कार्यरूप में परणित कर सकते हैं। यह हमारा बेस्ट मीडियम हो सकता है। लेकिन आज हम यह देखते हैं कि यह डिपार्टमेंट जिससे हम इतनी आशा रखते थे वह बिलकुल टोटल फ़ेल्योर हो रहा है और मैं समझता हूं कि अगर इसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो यह शायद हमको रसातल में भी ले जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे इस यू० पी० में प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी है। वहां पर यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट्स होते हैं। उनकी तरफ से पैनल एक बना हुआ है जिसके लिये नाम यह लोग बराबर चुनकर भेजते रहे। तो जब कि खुद उनको चुनने का अधिकार था वह खत्म किया जा रहा है। अब नतीजा यह हो रहा है कि गवर्नमेंट खुद नामजदगी कर रही है। इससे प्रेस के लोग जो अपना संरक्षण कर सकते थे आज उनका संरक्षण दूर हो रहा है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस पर भी ख्याल करना चाहिये ताकि प्रेस वालों का जो गवर्नमेंट का संबंध है वह उसी हद तक बना रहे जैसा कि पहले था। अब जहां तक टेम्पोरेरी सर्विसेज का ताल्लुक है उनके बारे में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया है। लेकिन एक खास जी० ओ० २७ फरवरी को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने निकाला है। उसके मुताबिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने भी आफ़िसर हैं ३१ मार्च, १९५३ को उनकी सर्विसेज टरमिनेट हो जाती हैं। जैसा कि अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया कि इस तरह टेम्पोरेरी सर्विस होने से हर तरह का असंतोष पब्लिक में ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों में भी होता है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय और जैसे सुझाव हैं, तो सुन्दर होगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री गेंदासिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये बहुत शुक्रगुजार हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वन विभाग पर बोलते हुये अपने भाषण में कम्युनलिज्म को दूर करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश से ही नहीं बल्कि भारतवर्ष से कम्युनलिज्म को जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। मैं उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त जब मैं यह देखता हूं कि दूसरे मंत्रिगण जब यह कहते हैं कि पुलिस विभाग में या किसी दूसरे विभाग में एक दूसरे के साथ खाने पीने में डिस्पिलिन में फर्क आयेगा तो मैं समझता हूं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी जातीयता का नाश नहीं होगा। यह हमारा पुराना रोग है हम इसी में फंसे रहेंगे। हिन्दुस्तान में फिरकापरस्ती की जो ज्वाला थी और मुसीबत थी उसी में फंसे रहेंगे। मैं समझता हूं कि किसी तरीके से जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जातीयता दूर नहीं की गई है बल्कि इसमें पक्षपात को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसी ही चीजें मैंने देखी हैं। अगर आप प्रदेश के ५२ जिलों पर नजर दौड़ायें तो एक एक जिले में आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफर होता है और किस तरह से नियुक्ति होती है। यह बहुत देखने में मिलता है कि एक डिपार्टमेंट में एक जाति के ही सब आफिसर होते हैं और वे हर एक की पोस्ट में विद्यमान हैं। अब यह कहना पड़ेगा कि अगर यह जातियता नहीं है तो क्या है। उनके नीचे जितनी छोटी मोटी नौकरियां होती हैं उन पर इसी तरह से नियुक्ति की जाती है तो हम कैसे कम्युनलिज्म को दूर कर सकते हैं? हम ने देखा कि इसी तरीके से हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी है उसमें शुद्धि की जरूरत है। जहां जहां इस तरीके की चीजें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। यह सही है और उनमें हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री ट्रांसफर करते हैं और स्वयं नियुक्ति करते हैं। लेकिन जब हम जिलों में नजर डालते हैं तो वहां का नक्शा दूसरी प्रकार का होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब प्लानिंग की स्कीम आई और मोबलाइजिंग की स्कीम जगह जगह पर लागू कर के सड़कें बनायी गईं मैं १८ फ़रवरी, १९५३ का वाक़या बयान करता हूं। मैं जैतपुर गांव में था, वहां यह कहा गया कि जो सड़क बनाने नहीं आयेगा उस पर १० रुपया जुर्माना किया जायेगा। मैं कहता हूं कि जो मजदूर रोजमर्रा मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करता है अगर वह नहीं जायेगा तो वहां के ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी कहता है कि जुर्माना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर हमारी स्कीम

काम करें तो न उसमें स्वतंत्रता है और न किसी तरीके से काम होगा। हम किसी तरह से उन पुराने ढंग को अपनायें और अपने देश के खातिर काम करें। मैं समझता हूं कि उनमें खास तौर से इनसेन्टिव पैदा नहीं होगा, वह सब बेकारी के तरीके से कर सकते हैं जैसा कि पिछले दिनों हुआ है। तो इस तरीके से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना नहीं है। क्योंकि गरीब जनता जो भी है वह पीछे रह गई है और वह आगे नहीं बढ़ सकी है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से जिलों के ऐडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और डिपार्टमेंट्स में भी इस तरीके की और चीजें हुआ करती हैं। मैंने यह देखा है कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दो हरिजन लोग बाहरी देशों से शिक्षा प्राप्त करके आये और उनमें से एक तो खुशकिस्मती से यहां इस हाउस का सदस्य है, लेकिन जो दूसरा वहां से आया है उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है और उसको डिपार्टमेंट से निकालने की कोशिश की जा रही है। वे चाहते हैं कि वह किसी तरह से निकल जाय, तो इसका क्या कारण है? एक स्थान डाक्टर सीताराम का भी खाली है, लेकिन उसको दबाकर रखा गया है। उसको क्यों भरा नहीं जाता है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने वह चीज जाती है और उसमें करना यह है कि यदि वह अयोग्य भी है और यदि दूसरे के मुकाबिले में उसके नम्बर में भी कमी है तो उसके लिये यह बात नहीं होनी चाहिये। तो उसके विपरीत जो कुछ किया जाता है वह देखा नहीं जा सकता है। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह कहें कि ७८ करोड़ रुपये में जो काम हो सकता है हम उससे भी फायदा उठा सकते हैं तो उसको हम पुलिस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दूसरे जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनमें खर्च करते हैं तो हम देखेंगे कि हरिजनों को काम मिलेंगे और वह इसलिये नहीं मिलेंगे कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा पक्षपात इस तरह से हो जाता हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने सरकारी नौकरों को सत्ता और अधिकार दिये जाते हैं और समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा भी होती है तो अगर हम अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की इसके लिये पक्षपात की भावना नहीं रखनी चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं तो हमें आज निष्पक्ष भावना को लेकर काम करने की जरूरत है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यहां की सरकार के पास शिकायतें आती हैं कि फलां जगह की जमीन हमको दी जाय तो आप उसको दे दें और खास कर गरीब और मजदूरों के लिये आपको उचित कार्य-वाही करनी चाहिये। गरीबों और मजदूरों के बाबत मैं इस बात की ओर भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहां उन लोगों के कल्याण के लिये और हित के लिये जो कुछ हो सकता है वह करना चाहिये। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पालिसी जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में है, जो खराबियां इस समय चली आ रही हैं, तो उसके लिये आशा है कि भविष्य में उसका इन्तजाम जरूर अच्छा होगा। अगर उसका इन्तजाम अच्छा हो गया, तो मैं समझता हूं कि हमारी स्टेट जरूर एक वेलफेयर स्टेट बन जायेगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा परम सौभाग्य रहा है कि जब हमारे प्रदेश में अन्न का संकट और दुर्भिक्ष और दूसरी तरह की मुसीबतें गुजर रही थीं, उस समय इस प्रान्त की बागडोर हमारे मुख्य मंत्री जी के हाथ में रही है, जिनका मस्तिष्क हिमालय की स्वच्छ चोटी के समान हर क्षेत्र में प्रकाशित होता नजर आता है। उनकी परिष्कृति बुद्धि की प्रतिभा की स्वर्णिम रश्मियों के किलोल ने इस प्रदेश की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संभाले रखा और यहां शान्ति कायम रखी गई। वे इन सब बातों के लिये उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से बधाई के पात्र हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी कमियां भी हैं जिन कमियों को दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि उन्नति के पथ पर अग्रहर हों, अगर हमारे कदम के अन्दर दृढ़ता की जरूरत है, तो यह जरूर है कि हमें परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

और जमाने की पुकार को हमें सुनना होगा, उसको नजरअन्दाज हम कर नहीं सकते। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऐडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी जो कि ब्रिटिश मेक है, जो मशीनरी इस देश के अन्दर दोहरे शोषण के लिये बनाई गयी थी और जिसका मुख्य ध्येय बरतानिया हुकूमत की जड़ों को इस देश में मजबूत करना था, वही मशीनरी आज भी इस देश के शोषण को चालू किये हुये है। यह इनहैरेंट कमी है और उस समय तक बनी रहेगी जब तक उस मशीनरी को तब्दील नहीं किया जाता। जितनी कमियां आज बताई जाती हैं उनके बताने का इस सदन में मौका नहीं मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री जी को बखूबी मालूम है कि आज पीड़ित जनता उस दोहरे शोषण के कारण बहुत दुःखी है और उस पीड़ा को बताने का अगर मौका नहीं मिलता है तो हमें इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिये कि हमारे देश के अन्दर बहुत बड़ी शांति है और हमने ऐश्वर्य और समृद्धि को हासिल कर लिया है। आज अगर हम इस देश का निर्माण सही तरीके पर करना चाहते हैं तो हमें उस नौकरशाही की ओर देखना पड़ेगा जिसकी एक बहुत बड़ी आर्मी अंग्रेजों के जमाने से छोटी २ तनख्वाहों पर मुकर्रर है और जिसको यह खुली छूट दी गई थी कि वह खुले आम जनता का शोषण करे और जो तनख्वाह के अतिरिक्त ऊपरी आमदनी कही जाती है और प्लैन्स में यह मशहूर है कि जब पढ़े लिखों की कहीं शादियां होती हैं तो यह कहा जाता है कि सरकार की ओर से तनख्वाह छोटी है लेकिन ऊपरी आमदनी ५ सौ से लेकर एक हजार तक माहवार है। वे ऊपरी आमदनियां आज भी देश के अन्दर जैसी की तैसी बनी हुई हैं। यह किसी का दोष नहीं है, सरकार का भी दोष नहीं है लेकिन यह उस शासन-प्रणाली का दोष है जो आज भी जैसी की तैसी बनी हुई है। हमें इसके अन्दर फंडामेंटल चेंज लाने की जरूरत है और जब तक यह फंडामेंटल चेंज इस शासन-प्रणाली में नहीं किया जायगा तब तक हमारे देश को उस दोहरे शोषण से निजात मिल नहीं सकती। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अभी बहुत से पुराने दस्तूरात और दूसरी चीजें जैसी की तैसी बनी हुई हैं। कहा जाता है कि टैक्सेज बढ़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्सेज बढ़े हैं और हमें टैक्सेज के बढ़ने से कोई गिला नहीं है बशर्ते कि सरकार उस दोहरे शोषण को खत्म कर दे। आज भी पी० डब्ल्यू० डी० में ५ प्रतिशत, जो कि नाजायज है, जायज रकम के रूप में वसूल किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के शोषण को खत्म करने की बड़ी भारी जरूरत है।

दूसरे मैं यह बताना चाहता हूं कि लड़ाई के जमाने में जिस प्रकार वार मैटीरियल वार क्वालिटी का पैदा किया गया, उसी वार के जमाने में उसी वार क्वालिटी के आफिसर मैन्यूफैक्चर किये गये और इन जापानी अफसरों का वार प्रोडक्शन उसी लड़ाई के जमाने में हुआ है। ये आफिसर बहुत छोटी तबियत के और छोटे चरित्र के लोग हैं जिनके अन्दर उदारता नहीं है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का कितना ऊंचा और विस्तृत दृष्टिकोण है। जब विरोधी बौछार करते हैं और आलोचना की बाढ़ आती है तब उनके उस ऊंचे दृष्टिकोण में वह बाढ़ उसी प्रकार समा जाती है जिस प्रकार बड़ी से बड़ी बाढ़ समुद्र में विलीन हो जाया करती है। मैंने देखा कि हमारे सरकारी आफिसर अपने चपरासियों से निजी काम लेते हैं, लेकिन उनकी उदारता को देखो, बरतन मलाते हैं लेकिन उनको एक रोटी तक नहीं देते और जो रोटी देते हैं वह उनकी तनख्वाह में से काट देते हैं। अगर उनकी तनख्वाह ४७ रु० १५ आने है तो उसको सिर्फ तीस रुपया दिया जाता है। बाकी रुपया उसका खाने में काट दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसे छोटी तबियत के लोगों को ऐडमिनिस्ट्रेशन में रखना, यह मुल्क के लिये खतरे से खाली नहीं है। आपने देखा कि गुजिश्ता जमाने में बड़े २ लोग हुआ करते थे, ऊंचे दिमाग के, उनके पीछे बहुत से नौकरों की परवरिश हुआ करती थी।

आज हमारे सामने यह प्राबलम है कि जिनके यहां बहुत से नौकर हुआ करते थे उनके यहां दो भी नौकर नहीं हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि चुनाव करता है, इन अफसरों का रेकरूटमेंट करता है उसकी ओर इस सरकार का और इस सदन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले नौकरियों में वही लोग लिये जाते थे जिनके अन्दर नेशनलिज्म का थोड़ा भी माद्दा नहीं पाया जाता था। मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन मुझे दुःख है और महान् दुःख है कि समय कम है। आज जबकि गढ़वाल के लिये ये हर तहसील को उनके मुकदमों को सुनने की सुविधायें दी गईं, मुझे दुःख है कि आज भी हमारी कांस्टीटुएन्सी में एक चमोली तहसील है उस तहसील में लिटीगेन्ट्स को अपनी अपीलों की सुनवाई के लिये ७० व ८० मील दूर रानीखेत अल्मोड़ा जिले में जाना पड़ता है। मैं मानता हूं कि वहां मकानात की व्यवस्था न हो परन्तु मैं समझता हूं कि क्या उन लोगों को फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती हैं, जब कि पी० डब्ल्यू० डी० के डीसेंट बंगले वहां मौजूद हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज जा करके दस १५ रोज में वहां के केसेज डिस्पोज आफ नहीं कर सकते ह ? मैं समझता हूं कि सरकार इसकी ओर अवश्य ध्यान देगी।

इतना ही नहीं बल्कि मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर और भी जितनी बातें हैं जैसे पब्लिक इन्फारमेशन है यह बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। मैं चाहता था कि यह डिपार्टमेंट उस तरह काम करता तो हमारा देश बहुत ऊंची प्रगति पर उठ सकता था। लिट्रेचर बहुत तैयार किया जाता है परन्तु वह बांटा नहीं जाता और वह दफ्तरों में पड़ा रहता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपको आज विशेष रूप से धन्यवाद देना है क्योंकि आपने मुझे इस जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि सदन में मुसलिम लीगी विचार जो लोग रखते हैं और उसका प्रचार किया जाता है, यह अनुचित है। मैं आज प्रत्येक सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति हमारी वह संस्कृति है जिसको अगर देखना है तो आज कल शिवाजी खेल लगा हुआ है। शिवाजी ने क्या आदर्श उपस्थित किया हमारे सामने। जब बीजापुर के पठानों ने दरख्वास्त की कि हमें नौकर रखिये तो शिवाजी ने कहा कि हम नौकर रखेंगे। (कुछ आवाजें) जरा आप शान्त रहिये उपाध्याय जी, मैं रूस का शुभचिन्तक नहीं हूं, मैं अपने देश का शुभचिन्तक हूं। मैं लाल टोपी नहीं रखता, मैं सफेद टोपी रखता हूं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर ला रहा हूं कि सन् ३७ से लेकर आज तक हमारी मिनिस्ट्री रही है और गार्जियन अखबार ने हमारे मुख्य मंत्री जी की जो प्रशंसा की है उससे सब सदस्य वाक़िफ़ हैं। उनके ऐडिमिनिस्ट्रेशन में सबको लिबर्टी और फ्रीडम का अवसर मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर में, वन में, जहां देखिये वहीं क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं आपको सन् ४२ की उस मूवमेंट की ओर ले जाना चाहता हूं जब कि लोग कांग्रेस की टोपी को छिपा लिया करते थे। सन् ४२ में एक लाख आदमी जेलों में गये थे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—टीचर भी गये थे।

श्री शिवनारायण— जी हां, वे भी गये थे और यह भी गये थे जो आपके गुरू हैं और हमको गर्व है कि हम आपके गुरू को यहां बिठाये हुये हैं।

मुझे अब यह कहना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो इम्तहान होता है उसमें प्रैक्टिल न हो, केवल थ्योरी हो और थ्योरी में जो भी निकल जाय उसे ले लेना चाहिये। मैं कहता हूं कि अगर हमारे लड़के बेस्ट निकलें तो आ जावें। प्रैक्टिकल

[श्री शिवनारायण]

में हमारे लड़के को पीट दिया जाता है। मैं जानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री ने अभी कहा है कि हम भारत का उत्थान चाहते हैं। मैं उनके इस विचार को वैलकम करता हूं। उनकी दया जरूर हम पर है। पिछली गवर्नमेंट में हम २० थे और अब ८४ हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि हर विभाग में ८४ करने की कृपा करें। शिकायत करना आसान है लेकिन अमल करना कठिन है। मैं उपाध्याय जी से कहूंगा कि वे अमल करके दिखावें। उस पार से रोज एतराज किया जाता है। सुबह आपने कहा कि आपको दुःख है कि पहाड़ के मुख्य मंत्री हैं। आपको तो गर्व से फूला नहीं समाना चाहिये था कि पहाड़ के मुख्य मंत्री हैं और आप अफसोस करते हैं। हम सबको आप पर गर्व है मैदान वालों को भी और पहाड़वालों को भी। मुझे काफी समय नहीं है नहीं तो मैं उस समय आपको बड़ा करारा जवाब दिये होता। जैसा आपने परसों कहा कि भारतीय सरकार आज आपको तलब करती है कि हमारे यहां फाइनेंस डिपार्टमेंट का आकर चार्ज लीजिये। हम लोगों को दुःख है कि अगर हमारे मुख्य मंत्री हमसे छीन लिये गये तो हम लोग पछतावेंगे। लेकिन आपको तो अपने घर के आदमी पर दुःख है, मुझे उपाध्याय जी से कहना है।

कंट्रोल के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि वह समाप्त-प्राय है। नमक और तेल सब स्थानों पर मिलता है। कोई रुकावट नहीं है। साधारण रूप से नियंत्रण रखा है। अगर जरूरत पड़ेगी जैसा मैंने परसों इतवार को देखा आपके डिप्टी लीडर साहेब वहां मौजूद थे और अगर यही इनडिस्पिलिन का रवैया रहा तो खुदा हाफ़िज़, नहीं मालूम जिस दिन आप यहां आवेंगे क्या हो जायगा।

माननीय उपाध्याय जी को मैं बताना चाहता हूं कि हर कंट्री को जिसे ऊपर आना है बराबर डिस्पिलिन में रहना है। अगर आप इनडिस्पिलिन में रहे तो याद रखिये कि आपका खुदा हाफ़िज़। आपको क़ौम को बनाना है। अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी ने दो शब्द कहे थे क्विटइंडिया और उस पर हमारी क़ौम ने अमल किया। उसके प्रताप से आज हमारे देश को अवसर मिला कि शासन हमारे मुख्य मंत्री के हाथ में है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, उपाध्याय जी, आप आइये। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूं कि देश के आप भी एक सिपाही हैं। जैसे सुबह मल्ल जी ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से तो मैं भी कहना चाहता हूं कि चाहे कोई सोशलिस्ट हो या कोई भी हो, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये और उन्हें कुछ देना चाहिये।

दूसरी बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अध्यापक बन्धु जो हड़ताल में हैं उनका सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिये। अगर वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नौकर हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सरकार प्रेस करे। कहीं कोई बोर्ड १३ रुपया महंगाई देता है तो कोई ९ रुपया ही देता है यह गड़बड़ी है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस पर वह विचार करे। मेरा कर्तव्य है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के समय में अपने मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर लाऊं।

मैं फिर आपका ध्यान हरिजन भाइयों की ओर लाना चाहता हूं। हमारे कुछ भाई यहां आते हैं और कुछ कह जाते हैं लेकिन मैं सरकार का ध्यान अदब के साथ इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। आप हमें ५ दें, २ दें, इसकी हमें शिकायत नहीं है। जो आप दें वह दीजिये तो सही प्रैक्टिकल तरीक़े से। मकान के लिये आप रुपया रखते हैं लेकिन हमको नहीं मिलता। अगर १०० या २०० रुपया मिला तो उसमें से पहले १० या ५ रिश्वत में दे देना पड़ता है। मैं सिंचाई मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हमारे किसान ५ रु० यदि सिंचाई का देंगे तो १० रुपया उन्हें रिश्वत का देना पड़ता है। उसे सरकार रोके। हमारे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हमारी सरकार

की मशीनरी के साथ कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे थे, हमारे यहां के कलेक्टर थे, वे रिश्वत बन्द करने के लिये ही कार खींची और हरैया पहुंच गये। जब कि तलाशी ली और बन्द कर देते थे। रिश्वत हमेशा रहती है लेकिन कम और ज्यादा का सवाल है। दुनिया में ऐब सब जगह और हमेशा रहा है परन्तु कहीं अधिक और कहीं कम। मैं चाहूंगा कि हमारी नौकरों की मशीनरी टाइट की जाय। उन्होंने कहा कि अगर ऊपर के देखने वाले सतर्क रहेंगे तो सब ठीक हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय बहुत गम्भीर है। आप ने ध्यान दिया होगा कि कोई भी ऐसा भाषण नहीं रहा जो विरोधी दल की तरह का न रहा हो। कम से कम एक बात की ओर मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह यह न समझें कि विरोधी दल ही क्रिटिसिज्म करता है। आज के भाषण से वह समझ लें कि ख़राबी कहां है। जैसा श्री गेंदा सिंह जी ने निवेदन किया था, हमारी मिनिस्ट्रियों को एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये लेकिन आज मुख्य मंत्री एक दलदल में फंसे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो जा–बेजा हर तरह के काम कराने के लिये उन पर दबाव डालते हैं और दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों की एक विशाल सेना है जो कि उनके मक़सद और सिद्धान्तों के प्रतिकूल काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो शब्द मैं उनके लिये सहानुभूति के, जो वे दलदल में फंसे हुये हैं, इस समय प्रकट करना चाहता हूं।

जहां तक इस सामान्य प्रशासन का सवाल है माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का फख्र है कि वे बराबर सरकारी कर्मचारियों की तादाद बढ़ाते गये हैं और साथ ही साथ उनका वेतन भी बढ़ाते गये हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी जमाने में सरकारी कर्मचारियों का वेतन ६ करोड़ था, १९४६–४७ में ११ करोड़ हुआ, १९५०–५१ में २२ करोड़ हुआ और अब १९५२–५३ में २५ करोड़ ९० लाख हुआ। इस प्रकार बजट का एक तिहाई खर्चा जो है वह सरकारी कर्मचारियों पर व्यय होता है। इस अनुभव के आधार पर जो इस थोड़े अरसे में विधान सभा में रह कर ऐडमिनिस्ट्रेशन को अध्ययन करने का प्रयत्न किया है मेरी निजी राय यह है कि जितने सरकारी कर्मचारी आज हैं उनसे २५ फीसदी कम संख्या कर देने पर भी ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाया जा सकता है।

(इस समय ठीक चार बजे माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

सेक्रेटेरियट का जो रिआर्गनाइजेशन हुआ उसमें ही क्या हुआ। आज जो आफिस में असिस्टेंट रहते हैं उसको डेढ़ सौ रुपये अगर्चे मिलते हैं लेकिन वह दिन भर में सिर्फ तीन चिट्ठियों को डील करते हैं तो पूरे ऐडमिनिस्ट्रेशन को छोड़िये, सेक्रेटेरियट में ही काफी सुधार किया जा सकता है। इस कांग्रेस हुकूमत को ६ वर्ष ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाते हो गये लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली मरतबे बड़े जोर–शोर से कहा था कि हम जो डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की तादाद बढ़ा रहे हैं वह इसलिये है कि रेडटैपिज्म में कमी हो। लेकिन क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उसमें कितनी कमी हुई। मैं समझता हूं कि उससे पेट्रोल पर तो खर्चा ज्यादा हुआ, रेडटैपिज्म में इजाफा ही हुआ है। तो यह जो २५ आदमियों की एक बड़ी संख्या डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की हमारे सर पर लाद दी गई है इससे क्या फायदा हुआ।

हमारी मुख्य मंत्री से बराबर यही शिकायत रही है और विरोधी दल तो कहता है सरकारी तरफ के लोग भी कहते हैं कि हमने हमेशा यह मांग की थी कि सरकारी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कर्मचारियों में आप करप्शन तभी रोक सकते हैं जब बुनियादी बात जो है वह ठीक की जाय कि उनका फाइवइयरली स्टेट आफ फायनेंसेज का पता लगाया जाय। यह देखा जाय कि पांच साल पहले उनकी इन्कम क्या थी और अब क्या हो गई और अगर किसी की स्टेट आफ फायनेंसेज में एनार्मस फर्क पड़ता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और आदर्श के तौर पर माननीय मुख्य मंत्री, मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स के सिलसिले में भी यही कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी का यह दावा है कि उन्होंने करप्शन को फाइट किया है। लेकिन मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि ३ तारीख के बिजिल में मैंने पढ़ा कि किस तरह से यू० पी० सरकार ने करप्शन फाइट किया। एक रामदयाल नाम का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिसने गत चार सालों से लगातार इस गवर्नमेंट के सामने यह रखा है कि वह फाइल पेश कर सकता है और उसका दावा है कि अगर उसकी बात गलत हो तो उसको सजा दी जा सकती है और उसका कहना है कि दो तीन ऊंचे स्तर के एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के आफिसर्स हैं जिनके खिलाफ उसके पास सबूत हैं और अगर वे गलत साबित हो जायं तो उसे सजा दे दी जाय। उसके बारे में २५ कांग्रेसमैनों ने जिसमें बाबा राघवदास ऐसे लोग भी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनसे एक लफ्ज में कह दिया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आप लोगों को दखल नहीं देना चाहिये। तो इस तरह से कैसे आदर्श उपस्थित हो सकता है। आपने एन्क्वायरी कराई होती और वह अगर चार्जेज सब्स्टैन्शियेट न कर पाता तो उसको सजा दी जाती। लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। उसने २१ दिन का आमरण अनशन भी किया लेकिन ३ साल के लिये उसकी तरक्की रोक दी गई। यह तो मुख्य मंत्री आदर्श उपस्थित कर रहे हैं।

जहां तक करप्शन का सवाल है हमारे शिक्षा विभाग के जरिये से कुछ टेक्स्टबुक्स छपवाई गई हैं। उन टेक्स्टबुक्स की आमदनी सरकार लेती है। ३ टैक्स्ट बुक्स से आमदनी ८ लाख हुई। तो अगर जितनी किताबें हैं वे सब विभाग की ओर से छपाई जायं तो तीन-चार करोड़ रुपये बढ़ाये जा सकते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि एक किताब है "अ आ ओ देखें"। यह जेनरल साइन्स की किताब है जो ६वें और ७वें क्लास में पढ़ाई जाती है। वह बहुत बड़ी संख्या में चोरी से बम्बई में छपवाई गई। तमाम स्कूलों में उसको बेंच भी दिया गया लेकिन हमारी सरकार उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। हूबहू उसकी नक़ल करके डेढ़ लाख किताबें बम्बई में छपवाई गईं। उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई, हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन पब्लीकेशन्स के बारे में अजीब लुत्फ है कि जो रजिस्टर्ड पब्लिशर्स हैं उनको न देकर वजीफे बांटे जाते हैं जो कांग्रेस के खास-खास लोग हैं उनसे कह दिया गया है कि दस हजार आप छपवा लीजिये, १५ हजार आप छपवा लीजिये अगर इस तरह से सरकार कार्यवाही करेगी तो वह सिविलेज के ऊपर क्या असर डाल सकती है।

इस सचिवालय में मिनिस्टर्स के कमरे के बाहर तख्तियां लगी हुई हैं और उन पर हर मिनिस्टर का पब्लिक से मिलने का समय और माननीय सदस्यों से मिलने का समय लिखा रहता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि जांच की जाय तो मालूम होगा कि ९० प्रतिशत समय की पाबन्दी नहीं होती है। लोग बड़ी-बड़ी दूर से आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। जब मिनिस्टरों की यह हालत है तो फिर हमारे सेक्रेटरीज वगैरह भी केवल टालू मिक्सचर पिला दिया करते हैं और कुछ काम की बात नहीं करते। एक तरफ तो सरकार करप्शन की बात करें और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में सर्विसेज को दुरुस्त करने की बात करे और दूसरी तरफ उनके सामने कोई आदर्श उपस्थित न करे तो क्या हो सकता है।

तनख्वाहों के काटने के सम्बन्ध में बार-बार कहा जाता है। सोशलिस्ट पार्टी की जो एक हजार रुपये अधिक से अधिक प्रतिमास वाली बात है अगर उसको मान लिया जाय तो कोई बहुत बड़ी रक़म नहीं बचेगी। क्योंकि बड़े आफिसर्स की तादाद बहुत थोड़ी है। अगर गवर्नर से लेकर मंत्री महोदय और सेक्रेटरीज वग़ैरा की तनख्वाहों में कटौती की जाय और गवर्नर की एक हजार रुपया तनख्वाह रख दी जाय और लोगों को दौरों के भत्ते का कंट्रोल कर लिया जाय तो ज्यादा रक़म न बचे लेकिन कम से कम इतनी रकम तो बच सकती है और कम से कम ७२ लाख रुपये बच सकते हैं जिससे अध्यापकों को कम से कम २० रुपया महीना प्रति अध्यापक डियरनेस अलाउंस के दिये जा सकते हैं। उन लोगों के वेतन में कटौती करने से इन ८५ हजार अध्यापकों का फायदा हो सकता है।

एक तरफ तो कहा जाता है कि फ्रीडम आफ स्पीच है और दूसरी तरफ हालत यह है कि कल सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक मीटिंग थी जिसमें यह ऐलान कर दिया गया था कि यह मीटिंग अध्यापकों की सहानुभूति में है। माननीय मुख्य मंत्री जी, होम सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात करने के बावजूद यह कहा गया कि आप मीटिंग कर सकते हैं लेकिन लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है। हम बोल सकते हैं लेकिन जोर से नहीं बोल सकते। एक एक्नलिज्ड पार्टी के लिये भी सरकार यह न करे, तो यह कहां का न्याय है। अन्त में मैं गवर्नर महोदय की बात कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं। पहले गवर्नर के यहां कोई डिस्पेंसरी नहीं थी लेकिन अब गवर्नर के यहां Deep Diathermic plant लगाया गया है और एक डिस्पेंसरी खोली गई है अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज गवर्नर मेडिकल कालेज में दवा के लिये जाते थे और हमारे गवर्नर महोदय जो कि सर्विसेज के लिये और जनता के लिये आदर्श उपस्थित करने का उपदेश देते हैं, उनके लिये डिस्पेंसरी खोली जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार अपने आदर्शों से सर्विसेज को इम्प्रेस नहीं करेगी तब तक करप्शन दूर नहीं हो सकता है और न एफीशियेन्सी ही बढ़ सकती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुज़फ्फ़रनगर)----माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे यह कहने में भी बड़ी खुशी है कि जिस समय से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हमारा प्रदेश स्वतंत्र हुआ है उस समय से हमारे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में काफी एफीशियेंसी आई है और काफी सुधार हुआ है और जनता में इस एफीशियेंन्सी के नाते काफी विश्वास भी है और जिसके ऊपर हम सब लोग गौरवन्वित हो सकते हैं। कोई आदमी नुक्ताचीनी की दृष्टि से कुछ भी कहे लेकिन वास्तविकता को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है। यह सब कुछ होते हुये भी इतनी एफीशियेन्सी आई है और इतना सुधार भी हुआ है लेकिन हमारे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर आज जो खर्चा हो रहा है वह हमारे बजट का एक तिहाई भाग खर्च हो रहा है। इससे भी हमें अपनी आंखें बन्द नहीं कर लेना चाहिये।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे देश का बजट एक अमीर देश का बजट है। जैसे एक अमीर देश में खर्चा होता है उसी प्रकार से हमारे देश में खर्चा होता है, जिस प्रकार से एक अमीर देश में तनख्वाहें दी जाती है उसी प्रकार से हमारे यहां दी जाती हैं और जिस प्रकार से एक अमीर देश में शासन को रखा जाता है उसी प्रकार से हमारे देश में शासन को रखा जा रहा है और चलाया जा रहा है। गो हमारी असेम्बली का कोई विशेष संबंध नहीं है किन्तु यह देख कर कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय पर ५ लाख ८१ हजार रुपये सालाना खर्च होता है कोई शोभा की बात नजर नहीं आती, खास तौर से उस देश के लिये जिस देश की जनता गरीब है, जिस देश में हमारे मास्टरान और अन्य कर्मचारियों जैसे चपरासियों आदि का जीवन स्तर बहुत नीचा है और

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

जिनको वेतन मुश्किल से उनका पेट भरने के लिये मिलता हो। कहां दूसरे देशों में दस और बीस का अन्तर छोटी और बड़ी तनख्वाहों के रेशियो में होता है लेकिन हमारे देश में सौ, दो सौ और तीन सौ का अन्तर छोटी और बड़ी तनख्वाहों में मिलेगा।

हमारे सामने एक मिसाल पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने रक्खी है। इससे हमें कुछ सबक लेना चाहिये। अपने देश की परिस्थिति को देखते हुये और अपनी आमदनी को मद्देनजर रखते हुये खर्चे को कम करने की कोशिश की है। जितने वहां मिनिस्टर थे उनकी १,५०० रुपये के स्थान पर १,००० रुपये तनख्वाह कर दी है। साढे ७ सौ रुपये से लेकर ऊपर वालों के डीयरनेस एलाउन्स को समाप्त कर दिया है। लेजिस्लेटिव कौंसिल जो पब्लिक मनी का वेस्टेज है उसको समाप्त करने के लिये पंजाब और साथ ही साथ बम्बई ने भी प्रस्ताव पास किये हैं। आज यहां तीन लाख रुपया लेजिस्लेटिव कौंसिल पर खर्च किया जाता है और एक लाख से अधिक उसके कर्मचारियों पर खर्च होता है सबको मैं वेस्टेज समझता हूं। इस प्रकार से सरकार उज्ज्वल सिंह से जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने जो मिसाल हमारे सामने रक्खी है हमें सबक लेना चाहिये। ५०० रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले हमारे जितने कर्मचारी हैं और जो आई० सी० एस० हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिये कि वे अपनी तनख्वाहों में वालेंटरी कट्स करें। इससे हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में इकोनामी आ सकती है। गो इकोनामी बहुत कुछ की भी गई है लेकिन अब भी अगर हमारी सरकार विचार करे तो बहुत कुछ इकोनामी और की जा सकती है और खर्चे को घटाया जा सकता है अगर उस खर्च को घटाने के लिये हमारी विल हो।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारी लेजिस्लेटिव असेम्बली में सदस्यों के ट्रेवलिंग एलाउन्स और डी० ए० पर ७ लाख खर्च होता है। देश हमारा गरीब है और उसे गरीबी को देखते हुये अपने बजट और भविष्य की डेवलपमेंट स्कीम्स को देखते हुये मेरा तो इस सदन के सामने यह सुझाव है कि अगर हम ५ घंटे के बजाय ६ घंटे बैठने लगें तो भी हम लोग कुछ एकनामी कर सकते हैं और खर्च को भी घटा सकेंगे। अगर ६ घंटे से भी ज्यादा बैठना पड़े तो उसके लिये भी हमें तैयार होना चाहिये। जब कि रातदिन किसान और मजदूर अपने खेतों में काम करते हैं ताकि पैदावार ज्यादा बढ़े, कारखानों के मजदूरों से हम यह आशा करते हैं कि वे देश की पैदावार बढ़ायें तो फिर देश की जनता ने जो जिम्मेदारी का काम हमारे ऊपर डाला है उसमें अधिक समय दे कर कम खर्च के साथ हमें उसे सम्पादित करना चाहिये ताकि व्यय में कमी हो सके। इसके साथ ही साथ मैं अदब से अपना यह भी सुझाव रखा चाहता हूं कि अपने देश की गरीबी को और अपने प्रदेश की आय को देखते हुये अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर भी विचार कर सकें कि हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की संख्या को कुछ घटा दें तो मेरे ख्याल से कोई अनुचित बात न होगी। ये सारी बातें इस कारण हैं क्योंकि हम अपने देश को एक गरीब देश समझते हैं और इसका कारण भी है कि हमारे जितने जराय टैक्सेज के थे वे सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं और इस का कारण भी मैं समझता हूं कि हमें जिस भविष्य को उज्ज्वल बनाना है उस उज्ज्वल भविष्य के लिये भी हमें कुछ त्याग अपनी तरफ करना पड़ेगा और प्रयत्न और परिश्रम भी हम लोगों को काफी करना पड़ेगा और उस प्रयत्न और परिश्रम के लिये हमें अपने बजट में डेवलपमेंट्स के लिये ज्यादा धन की जहां आवश्यकता हो वहां उसको इस खर्चे को कम कर के डेवलपमेंट की तरफ में लगा सकते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

ऐसे ही इन्फारमेशन डाइरेक्टोरेट का प्रश्न है। अगर ये दोनों मदें १२ और १३ एक ही साथ ली जाती तो संभवतः मैं कुछ सुझाव जिससे कि हमारे प्रदेश में ऐडमिनिस्ट्रेशन में एकोनामी की जा सकती है देता। लेकिन चूंकि उसका आधा हिस्सा आज है और आधा कल लिया जायगा इसलिये उसके ऊपर जिक्र न करते हुये यह सुझाव भी मैं माननीय मुख्य

मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इन्फारमेशन डाइरेक्टोरेट की या खासतौर से जिलों में जो इन्फारमेशन आफिसर्स हैं उनकी कोई विशेष यूटिलिटी हमको नजर नहीं आ रही है। इस दशा में उनके ऊपर जो भी खर्च हो रहा है उसे हम एक वेस्टेज समझते हैं और खासतौर से उस समय जब कि हमारे सामने डेवलपमेंट की बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं और वे डेवलपमेंट की स्कीमें रुकी पड़ी हैं या कम हो पा रही हैं इसलिये कि बजट में रुपये की कमी है और साथ ही यह भी देखते हुये कि विदेशों से धन लेने की हमें आवश्यकता पड़ती है। इन तमाम बातों से इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि हम एकोनामी करें और अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में खर्च की कमी करें जिसमें हमारे बजट का एक तिहाई खर्च हो रहा है। तो ये मेरे छोटे-मोटे सुझाव थे जिनके आधार पर मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से खासतौर से कि हमें अपने देश के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिये, अपने देश की एकोनामी को ठीक करने के लिये इस ओर अपने कदम उठाने चाहिये। कोई भी छोटा मोटा कदम से हमारी वे बड़ी समस्यायें हल न हो सकेंगी जिन समस्याओं को हल करने का इस सदन के हर सदस्य का कर्त्तव्य है और जिसके लिये चुनकर आज वे यहां उपस्थित हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव समस्त सदन से है कि हमें गम्भीरता के साथ इन सब प्रश्नों पर विचार करना है और ज्यादा से ज्यादा एकोनामी और एफिशेंसी को ध्यान में रखते हुये जहां तक हम अपनी एफिशेंसी को मेनटेन कर सकते हैं हमें एकोनामी करना है उस ऐडमिनिस्ट्रेशन को जिसके ऊपर हमारे बजट का कोई एक तिहाई खर्च हो रहा है। हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर उसी रेशयो से खर्च होना चाहिये जिस रेशियो पर हमारे देश की गरीबी का तकाजा है। मैं तो आपके सामने यह भी बता देना चाहता हूं कि आज ८ आने मील अफसर टी० ए० लेते हैं और जितना उनको वेतन मिलता है बहुत से उससे ज्यादा टी० ए० में हासिल कर लेते हैं। ऐसी दशा में हम लोगों को उसमें भी कमी करनी है और हर तरह से अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में एकोनामी करनी है जिससे हम अपने गरीब देश का भला कर सकें जिस गरीब देश की जनता की आशाओं की पूर्ति के लिये हम सब लोग यहां पर आये हैं। भले ही ऐसा करने से थोड़े ही आदमियों की तनख्वाह और भत्ते में कमी हो लेकिन फिर भी वह एक कमी होगी और उसका एक साइकोलोजिकल असर पड़ेगा। थोड़े आदमी कम होंगे या २ या ४ फीसदी की ही बचत होगी तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा हमें नहीं सोचना होगा। वह २, ४ या ३३७ ही ५०० रुपये वेतन पाने वाले क्यों न हों फिर भी एक साइकोलोजिकल असर तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं तो अपने एम० एल० ए० साहबान से भी यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे आगे आयें और इसके लिये अपना उदाहरण पेश करें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं। जो कोई भी सदस्य यहां बोले हैं उन्होंने अपने विचारों को बड़ी छानबीन के बाद बहुत सरल ढंग से सदन के सामने रक्खा है और हमारे विवाद का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, कटुता उसमें से निकल चुकी है और हम सब इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे हम ऐसा सुधार कर सकें, इस तरीके से अपने यहां की शासन की प्रणाली को ढाल सकें जिससे अधिकांश जनता को लाभ हो और फिजूलखर्ची कम हो तथा सरकारी कर्मचारी जनता के अच्छे सेवक बन सकें। जनता के हाथ में उनके संचालन का भार आ गया है तो वह भी अपने कर्त्तव्य को पूरा कर सकें। मैं सदन के सभी सदस्यों का जो बोले हैं उनका ऋणी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

वास्तव में हमारे शासन में त्रुटियां हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। हमने एक चलती हुई मशीनरी को अपने हाथ में लिया और उसको लेकर उसमें यथासंभव समयानुकूल परिवर्तनों को करते हुये देश के कामों को पूरा करने का उद्योग किया। हमने किसी एक खाली स्लेट पर लिखना शुरू नहीं किया बल्कि जो एक बनी बनाई कार्यशैली थी उसको अपने हाथ में लेकर समय के परिवर्तनों को देखते हुये, देश की आवश्यकताओं को देखते हुये, उनसे जिस तरह भी हो, काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। मैं बड़ी दृढ़ता से यह कह सकता हूं कि इसमें हमारे प्रदेश को बहुत हद तक सफलता मिली है। जिन लोगों के हाथ में पहिले

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

अधिकार था, सारी पूंजी उनके ही हाथ में रहती थी, हिन्दुस्तानियों को शासन के संचालन करने का वास्तविक कोई मौका नहीं मिलता था, परन्तु एक बारगी सारी जिम्मेदारी हमारे कर्मचारियों पर आ गयी। बहुत से नौसिखिये जो अनुभवहीन थे उनको भी बड़े बोझ को संभालना पड़ा। मैं कह सकता हूं कि जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उससे हम आगे बढ़े हैं और एक नया वायुमंडल पैदा होने लगा है और उसका अंकुर कुछ-कुछ उगने लगा है। यह हमें जानना चाहिये कि ऐसी स्थिति में हमको प्रयत्नशील रहना है। किसी साहब ने कहा और ठीक ही कहा कि हम में कांप्लीसेंसी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये, कहीं पर हम उदासीन न हों बल्कि हर समय सजग रह कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। इसी के साथ-साथ आगे के मसलों को ध्यान में रखना है और साहस से, हिम्मत से, आशा से, विश्वास से काम लेना है और जो अब तक हुआ है, उसमें जो कुछ सफलता हुई है उसे भी बिसराने से कोई फायदा नहीं है, उसकी अत्युक्ति करने से कोई लाभ नहीं है परन्तु जहां सही नक्शा हो, सही चित्र हो उसको सामने रख कर जहां भी कालापन हो, उसको निकाल कर, जहां पर कोई एक अंग बेडौल हुआ हो उसे सुडौल करने का प्रयत्न करते हुये सही चित्र को बनाने में अपनी शक्ति को लगाना है। मैं समझता हूं कि हमारे शासन में काफी अन्तर हुआ है और मेरा यह ख्याल है कि पहले के मुकाबले में हमारी एफिसियंसी बढ़ी है। बीच में एफिसियंसी गिर गयी थी परन्तु मैं समझता हूं कि आज के दिन कार्यक्षमता पहले से बढ़ी है। मैं अब यह समझता हूं कि हमारे उच्च अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं उनमें सेवा का भाव पहले से अधिक मात्रा में है और वे देश-सेवा से प्रेरित होकर अपने काम को करने का प्रयत्न करते हैं और पहले से कुछ न कुछ इस तरफ भी अन्तर होता जा रहा है। मैं मुकाबिले की बात कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी नहीं है परन्तु जितना हुआ है उससे हमारी आशा बढ़ी है कि हम आगे बढ़ कर और भी अच्छे काम करने में सफल हो सकेंगे। हमारे कर्मचारी भी समय को देखते हुये देश की आवश्यकता को देख कर चल रहे हैं वे भी तो आखिर इसी देश के रहने वाले हैं। हममें से जो लोग भी इस सदन के सदस्य हैं उनमें से बहुतों के रिश्तेदार ही नौकरियों में हैं। शायद उनमें कोई अध्यापक भी हो, शायद कोई पुलिस सर्विस में भी हो, कोई सदन में भी हो और कोई बड़ा अधिकारी भी हो। यानी एक तरह से हमारा एक ही परिवार है और उस परिवार के हम सभी लोग अन्त में तो एक ही जगह पर खड़े हो सकते हैं। इसलिये एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध की मात्रा को बना कर, एक दूसरे के प्रति विश्वास और आदर को बढ़ा कर हम अपने देश के कामों को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे।

यहां पर जो आलोचनायें की गयीं, मैं उनके संबंध में कुछ थोड़ी सी बातें कह देना चाहता हूं। श्री गेंदा सिंह जी ने शुरू में टेम्पोरेरी आदमियों को पक्का करने के बारे में कहा, उन्होंने जिस नीति को बतलाया वह ठीक नीति है। यथासंभव जो कि कच्चे काम में होते हैं उनको पक्का कर देना अच्छा है। यदि वे बजट को देखते तो उनको मालूम होता और संभव है उन्होंने देखा हो कि हमने इस सिद्धांत को मान लिया है। इसी अनुदान के सिलसिले में अगर वे देखेंगे तो सिविल सेक्रेटेरियट के बारे में मसलन मेमोरेंडम के पेज ९९ में लिखा है :

"It is proposed to convert certain existing temporary posts of assistants and stenographers into permanent ones, but this has not affected the estimates, as the cost is being met by making a corresponding reduction in the provision under "Temporary Establishment".

फिर उसके बाद डाइरेक्टोरेट इनफारमेशन के बारे में है :

"It is proposed to convert two-thirds of the existing temporary posts of the Department into permanent ones, involving no extra expenditure in the budget year".

फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आता है जिसमें लिखा है :

"It is proposed to make temporary posts of one Inspector of Offices and his clerk and orderly peon permanent in the budget year, but this

involves no extra cost as a corresponding reduction has been made in the provision under "Temporary Establishment".

इस तरह से जनरल इस्टेबलिशमेंट के बारे और सबके बारे में इस तरह की बहुत सी बातें मिलती हैं। हमने अबकी बार बजट बनाते वक्त यह निश्चय किया था कि जहां तक हो सके जो टेम्पोरेरी पोस्ट्स हैं उनको परमानेंट करना है। मगर इसमें कुछ दिक्कतें हैं जिनको कि सामने रखना है। एक तो यह है कि रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है वह पक्का नहीं है और वह एक चन्द रोजा डिपार्टमेंट समझा जाता है। इसी तरह से सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है जो पक्का नहीं है। उसमें भी लोगों को पक्का करना कठिन है क्योंकि वह डिपार्टमेंट कब तक रहेगा इसको ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता है और कुछ काम जमींदारी अबालिशन की वजह से और दूसरी बातों की वजह से ह कि जिनकी अनिश्चित अवस्था हैं और कब तक वह रहेंगे इसका ठीक अन्दाजा न हो जाय पक्का नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से हम प्रयत्न कर रहे हैं, अपने सामाजिक संगठन का परिवर्तन कर रहे हैं उसके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इस बात को समझकर उन जगहों को अभी पक्का नहीं किया जा सकता है। मगर जहां तक सिद्धांत की बात है वह सही है और उसे करना चाहिये जहां पर गुंजायश हो।

जो नोटिस देने की बात कही गयी उसके बारे में जो हमारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कमेटी बनी थी उसने यह तय किया था कि टैम्पोरेरी पोस्ट के बारे में आइन्दा के लिये यह तय हो जाना चाहिये कि हर शख्स को यह अधिकार होगा कि वह एक महीने की नोटिस देकर चला जा सकता है या गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह एक महीने की नोटिस देकर कि उसकी जरूरत नहीं रही है उसको अलग कर सकती है। इस तरीके से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कमेटी ने ऐसा रखा है कि यदि ऐसा समझा जाय तो उसको नोटिस दिया जाय। उन सबको नोटिस दिया गया और फिर बाद में उस सूरत के मुताबिक करते हुये उनको रखा गया। सम्भवतः किसी टैक्निकल बात को दूर करने के लिये यह जरूरी समझा गया हो कि नोटिस देकर यह कार्यवाही की जाय। मैं यह समझता हूं कि यह जो नीति बरती गयी है यह इस सदन के मत के अनुसार है और मुझे इसकी खुशी है।

गेंदा सिंह जी ने राज्यपाल जी के खर्चे का जिकर किया और खासकर उन्होंने एक मद फर्नीशिंग के बारे में कहा। उसमें यदि वे देखेंगे तो मालूम होगा कि "Maintenance and renewal of furnishings" के अन्तर्गत ४७,६०० रुपये की रक़म रखी गयी थी। उसमें से २७,६०० रुपया खर्च हुआ और २१ हजार रुपया बाक़ी रहा। जो इसके बारे में क़ायदा है उनमें यह है कि एक साल में जो बाक़ी रहता है दूसरे साल के लिये उसको जोड़ देना चाहिये। वह फिर दूसरे साल क लिये हासिल होगा। इसके मुताबिक़ यह चीज उसमें बढ़ गयी जो कि नियम गवर्नर जनरल या प्रेसीडेंट के बनाये हुये हैं उनके अनुसार यह कार्यवाही हुई। इसके अतिरिक्त और कोई विशेष कारण नहीं है।

उन्होंने कुछ मिनिस्टर्स की तनख्वाह के बारे में भी कहा, मुझे खेद है कि उनको इस बारे में भ्रम हुआ और वह भ्रम अभी तक चला आता है। जो बजट बनता है वह तो इस सदन में जो कानून बनाया हुआ है उसके अनुसार बनता है। उस कानून के मुताबिक़ १,२०० रुपये अलावा इन्कमटैक्स कबूल किये गये हैं। अगर उसको आप देखें तो नतीजा क्या है? हर मिनिस्टर के बारे में इसमें सालाना रक़म १४,४०० रुपये तनख्वाह के बैठते हैं। १,०५० रुपया इन्कम टैक्स का बैठता है जिसके माने यह हैं कि हर मिनिस्टर के वेतन का पूरा खर्चा १५,४५० रुपया होगा। अगर एक मिनिस्टर को १,५०० रुपया तनख्वाह के मिलते तो उसको १८,००० रुपये साल भर में मिलते। अब उन्होंने ढाई हजार रुपया कम कर दिया। यह कमी कोई ऐसी नहीं है जो कि बिलकुल नगण्य समझी जाय। यह क़रीब १५ फीसदी की कमी हुई बेहतर होता कि और भी कमी हो सकती तो अच्छा था मगर आप को जिनसे काम लेना है उनके लिये इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे वह अपना तमाम समय अपने काम में दे सकें और उसके लिये जो यह

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

शैली बरती गयी है वह कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें यह खर्चा बहुत फिजूल मालूम हो मगर जो खास बात मुझे कहना है वह इतनी ही है कि १,५०० रुपये के मुक़ाबले में जो १,२०० रुपये लिये जा रहे हैं वह कोई बुरी बात नहीं है। उस हद तक जो कमी होती है जो इन्कम टैक्स और तनख्वाह मिलाकर जितना होता उस सबको मिलाकर जो वैसे १,५०० रुपये के हिसाब से तनख्वाह होती उससे बहुत काफ़ी कमी हुई है, इसलिये कोई शिकायत की गुंजायश नहीं और इससे जो कुछ भी प्राविंशियल एक्सचेकर पर असर हुआ है वह बचत ही हुई है कोई बोझ बढ़ा नहीं है। पिछले साल के बजट में डिप्टी मिनिस्टर्स की तनख्वाह १० महीने की थी और अब वह १२ महीने की है, लेकिन फिर भी कुल खर्चे में पिछले साल से कमी हुई है और १८,००० रुपये की इस मद में भी कमी हुई है। इस तरह से खर्चे को घटाने की कोशिश की जाती है।

कुछ बातें यहां पर प्रेरणा वगैरह बढ़ाने की कही गईं। उसके लिये बहुत कुछ कहने की बात नहीं और हमारा सब का उद्योग सही काम करने का होना चाहिये और ऐसा काम हम सबको करना चाहिये जिसका अच्छा प्रभाव पड़े, लेकिन हमें किसी को अनटचेबिल न समझना चाहिये और खास कर गवर्नमेंट के कर्मचारियों और जनसेवकों का तो यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह सब को साथ लेकर काम करें और किसी का परिष्कार करना जिससे उसको व्यर्थ की व्यथा पहुंचे यह कोई लाभदायक बात नहीं है, इसके मानी यह नहीं कि जो कोई ग़लत बात करता हो उस को भी उससे प्रोत्साहन मिले जिससे ग़लत बात की तरफ आदमी रुजू हो, लेकिन ऐसा समझना कि वह तो मारल लीपर है, उसके साथ किसी को मिलना न चाहिये यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमको तो अपनी दीनता के साथ सेवा करने के आचरण से चलने का उद्योग करना चाहिये जिससे हम दूसरों के लिये कोई बुरा उदाहरण न रख सकें। दूसरों से अपने को शुद्ध समझ-कर दूसरों को अशुद्ध समझना यह भी किसी के लिये हितकर नहीं हो सकता। बहुत सी बातें ऐसे ही सुधर सकती हैं।

बेकारी और अनएम्पलायमेंट को दूर करने की बात भी यहां कही गयी। यह बिलकुल सही है कि मुल्क से बेकारी दूर होना चाहिये और सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिये। यह जो कहा गया कि इंडस्ट्रियल लेबर से बेकारी दूर करने की कोशिश नहीं की जाती इससे तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने यह बात पूरी हालत को बगैर समझे हुये ही कह दी, मैं नहीं जानता कि लेबर के बजट के वक्त इस बात की चर्चा हुई या नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि रेशनेलाइजेशन के तरीक़े अमल में आयें और मजदूरों की मजदूरी बढ़े, जो खाली हैं उनको काम मिले और कोई बेकार न रहे और जितनी हमारी डेवलपमेंट की और पैदावार बढ़ाने की स्कीम हैं वह सब ही बेरोजगारी को घटाती हैं। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होती तब तक किसी मुल्क का मसला हल नहीं हो सकता और जब तक हर कन्ज्यूमर प्रोड्यूसर न होगा और हर कन्ज्यूमर काम न करेगा तब तक अनएम्पलायमेंट दूर नहीं हो सकता, हर कन्ज्यूमर को प्रोड्यूसर बनाया जाय, हर आदमी के लिये एम्पलायमेंट हो, इस सबके लिये एक प्रयत्न की जरूरत है। इस काम के लिये हमने सबसे पहली बार एक छोटी सी दस लाख की रक़म रखी है जिससे अनएम्पलायमेंट को दूर करने के साधनों को अमल में लाने की कोशिश की जायगी। यह चीज बजट में पहली बार लाने का उद्योग किया गया है।

बोर्ड आफ़ रेवेन्यू और कमिश्नरों को खत्म करने की बात भी कही गई। अब बोर्ड आफ़ रेवेन्यू में केवल एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर है और उसका रखना जरूरी है क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जिनकी देख-रेख के लिये कोई न कोई अफ़सर सिरे पर होना चाहिये और उसके लिये सिर्फ एक ऐडमिनिस्ट्रेशन आफिसर है। बाक़ी बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के मेम्बर हैं जो मुक़दमें करते हैं अगर आप बोर्ड के मेम्बर न कहें तो हाई कोर्ट के जज बनाने पड़ेंगे और कोई ऊंचे अफ़सर रखने पड़ेंगे। उनको शायद वेतन ज्यादा देना पड़े और उनसे काम भी जितनी सरलता से आज होता है उससे ज्यादा सरलता से न हो सके। इसलिये जो प्रथा है उससे हानि नहीं है।

सिर्फ उसका नाम बोर्ड का मेम्बर है। मगर ढांचा सारा का सारा बदल गया। सिर्फ नाम ही नाम बाक़ी रह गया है। इसलिये अब इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इसी तरह से कमिश्नरों का सारा ढांचा बदला जा रहा है। सिर्फ तीन कमिश्नर रह गये हैं। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं सबमें रीजनल आफिसर्स मौजूद हैं। अगर आप पुलिस को देखें तो वहां डी० आई० जी० रेंजेज के हैं। मगर एग्रीकल्चर को देखें तो उसमें भी मिलेंगे। अगर पी० डब्ल्यू० डी० और इर्रीगेशन को देखें तो चीफ़ इंजीनियर के नीचे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मिलेंगे। यहां तो हमने बड़ा परिवर्तन कर दिया है। गवर्नमेंट का सीधा काम डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स से होता है और उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी रख दी गयी है। लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो कि कमिश्नरों को ही करने पड़ते हैं। कई हमारे ऐसे कानून हैं जिसमें कमिश्नर को ही अधिकार होता है। इसके लिये भी कमिश्नर की जरूरत है कि इंतजाम करने वाले हाकिमों के ऊपर एक आडिटर की तरह एफीशेंसी आडिट कर सके और इंडेपेंडेंट आडिट करके अपने रिपोर्ट, अपना इंस्पेक्शन नोट, अपना रेव्यु भेज सके। इसलिये कई तरह की जरूरतें ह। कोई पुराने कमिश्नर नहीं हैं। चाहे हम उनको एफीशेंसी आफिसर्स कह दें या इंस्पेक्टिंग रीजनल आफिसर्स कह दें। जो चीज पुरानी थी वह अब नहीं रही। जिस तरह से हर एकाउंट को आडिट करने की जरूरत होती है उसी तरह से इस बात की जरूरत है कि इंडेपेंडेंट एफीशेंसी आडिट करने वाले आफिसर्स हों और इस तरह का काम खासकर कमिश्नरों को करना पड़ता है। इस तरह से इंडेपेंडेंट लोग जिनका ताल्लुक़ ऐडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है उनको अपनी रिपोर्ट देनी है जिसकी बुनियाद पर यह राय क़ायम करनी है कि उन लोगों की आइन्दा तरक्क़ी का ख्याल कितना किया जाय। उसमें मदद मिल सकती है। लिहाजा यह बिलकुल दूसरी चीज है जिसको ऐडमिनिस्ट्रेशन की भलाई के लिये जितना अब है उतना रखना बांछनीय है। हालत बदलने पर उसमें भी बदलाव हो जायगा। यह मुमकिन है।

इसके अलावा यहां काउंसिल को खत्म करने के बारे में कहा गया। यह तो इस सदन की राय के ऊपर निर्भर है। इस सदन को विधान के अनुसार यह अधिकार है कि वह इस बारे में अपना प्रस्ताव चाहे तो पास करे कि काउंसिल हमारे प्रदेश में न रहे। पर जब वह ऐसा करे तब पार्लियामेंट इसके बारे में कानून बना सकती है। इस विषय में जैसा सदन चाहे वैसा कर सकता है।

जहां तक इन्फारमेशन डाइरेक्टरेट का संबंध है, वहां अफसरों के बारे में काफी बदलाव किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेशन आफिसर्स, इन्फारमेशन डाइरेक्टरेट के काम में नहीं, बल्कि प्लानिंग के काम में लग जायंगे और अगर वह वहां माकूल साबित नहीं हुये तो मुमकिन है कि जो अच्छे साबित न हों वह न रहें। इसलिये जैसी इस सदन की राय है कि उनको रचनात्मक कार्य करने को दिये जायं वैसा ही होने जा रहा है।

यहां पर कुछ जिक्र पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किये जाने के बारे में किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन १० जनवरी से ६१ दिन की छुट्टी में गये हैं। वह रिटायर भी हुये। वह ६१ दिन की छुट्टी कल खत्म होगी। इस वक्त वहां के जो सीनियर मेम्बर हैं वह आफिशियेट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द इसके बारे में हुक्म हो जायगा। ऐसी हालत में आप देख सकते हैं कि कोई इसमें विलम्ब नहीं हुआ है। चेयरमैन की छुट्टी तो कल खत्म होगी। यह जरूर सही है कि पहले चेयरमैन जरूर रिटायर हो रहे हैं और इस संबंध में कुछ बातों को देखना जरूरी था। मैं आशा करता हूं कि अब देरी नहीं होगी।

कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश न करने के बारे में भी कहा गया। मैंने अभी देखा कि पारसाल जो रिपोर्ट सन् १९४९–५० की थी वह ७ मार्च को पेश हुई थी। अब की भी हमारी रिपोर्ट तैयार है और इसी सेशन में हम उसे पेश करना चाहते हैं, जब भी मौका मिले। ऐसी हालत में कोई बहुत ज्यादा नाराजी की गुंजायश नहीं मालूम होती। पारसाल तो

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

हमको यहां २५ जनवरी से सदन के सामने रिपोर्ट रखनी थी, लेकिन वह सारे साल की रिपोर्ट रखी गयी और अब भी सारे साल की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जायगी और उसमें जो भी बातें सदन कहना चाहेगा कह सकेगा। लिहाजा उस बारे में भी जो रवैया रहा है उसी के मुताबिक़ काम होने जा रहा है। खामख्वाह शंका करने से कोई खास लाभ नहीं होता।

दीनदयालु जी ने कुछ बातें यहां के कौंसिलर्स रेजिडेंस के बारे में कहीं। मैं समझता हूं कि जिस लहजे में उन्होंने बातें कहीं वह उनको शोभा नहीं देता। यह बात दूसरी है कि उन कमरों का किराया क्या हो और क्या न हो, लेकिन जो बात अच्छी तरह से सोच समझकर तै की गयी उसके बारे में इस ढंग से कहना कि मानो कोई चीज़ थोपी जा रही है, यह सही तरीका नहीं है। यह जो ४ रुपये का तरीका रखा गया है वह इसलिये रखा गया है कि हमारे पास कमरे कम हैं और चाहते हैं कि हर सदस्य को वहां रहने की गुंजायश हो और वह तभी हो सकता है जब दो दो एक कमरे में रहें। यह कहना दीनदयालु जी का कि अपनी जोड़ी का इन ४३० और ५०० आदमियों में मिलता ही नहीं तो इससे मालूम होता है कि वह एक बड़ी अनूठी तबि-यत के आदमी हैं। कहीं तो जोड़ी आदमी की मिल सकती है। एक भी न मिले यह तो खुद अनूठे-पन को ज़ाहिर करता है। मैं तो समझता हूं, वह ऐसे विकट आदमी हैं नहीं, जितना कि अपने को समझते हैं और उनको ज़रूर कोई न कोई साथी मिल जायगा और उसके साथ वह खुश रहेंगे।

जहां तक उन्होंने डिप्टी मिनिस्टर्स वगैरा के बारे में कहा कि उनसे भी किराया यही लेना चाहिये, इसके बारे में जहां तक मुझे मालूम हुआ कोई फैसला अभी तक नहीं हो रहा है और यह बात गौरतलब हो सकती है। मगर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि कोई मिनिस्टर और इस सदन के सदस्य अलग नहीं। हम भी सब मेम्बर पहले हुये और मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर बाद में हुये। तो मेम्बरी की जो बुनियाद है उसमें हमारा भी उतना ही हक़ है जितना कि और मेम्बरों का है। इसलिये उस हक़ से हमको महरूम कर देना कोई ठीक बात नहीं है और उस सिलसिले में कोई दूसरी बात समझ लेना और कर देना कोई हितकर बात नहीं होती। हम लोगों को फिर यह ख़याल करना है कि कुछ आदमियों को निरन्तर यहां रहना है और एक काम करना है जिसको आप यहां सौंपें। आप सोचें कि आप तकलीफ़ उठा कर घर से यहां आते हैं और सेशन के जमाने में काम करते हैं, तो जिन्हें बराबर यहां रहना है, जो आपके काम के लिये आपके द्वारा मुक़र्रर किये हुये हैं, क्योंकि जो कोई भी लोग हों चाहे किसी तरीक़े से मुक़र्रर किये जायं, हम सारे सदन द्वारा मुकर्रर किये हुये सदन के काम के लिये हैं, तो अगर कोई ऐसी कोई बात हो तो उनके आराम और तकलीफ़ और उनके काम करने की गुंजायश को सभी को सोचना चाहिये और उसे देखकर फिर उसके बारे में राय क़ायम करनी चाहिये।

जो पहले दर्जे के बजाय दूसरे दर्जे के ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बात कही गयी, यह तो सदन को अधिकार है कि जैसा चाहे तय कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह ट्रैवलिंग अलाउंस की बात तो देखी जायगी बाद में। इस सदन के सदस्यों को अगर कुछ थोड़ा सा वेतन मिलता है तो उनके ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उनको अपनी कांस्टिट्युएंसी में जाना होता है। रातदिन उनको काम करना होता है। आज एक इक्के को लेकर कोई किसी गांव में जाता है तो दो रुपया, तीन रुपया उसके खर्च होते हैं। या तो हमको मालदार आदमियों को इस सदन में लेकर काम करना है जिससे इस सदन का काम मालदारों के सुपुर्द कर दिया जाय, जिनको खर्च की ज़रूरत नहीं है या उनसे काम लेना है जिनकी कम से कम इन-सान की ज़रूरतें होती हैं वह तो पूरी हो सकें, ताकि वह अपना ध्यान दे सकें, अपनी कांस्टीटयू-यंसी में काम कर सकें और फिर यहां भी अपना काम वह कर सकें। उनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सारे प्रदेश का काम उनके जिम्मे हैं। ऐसी हालत में उनकी अवस्था ऐसी रहनी चाहिये जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों को एक मामूली ढंग से पूरा करने की गुंजाइश पा सकें नहीं तो उनके लिये बहुत कठिनाई कर देने से काम में बाधा डालना हो जाता है क्योंकि जो भी जिन्दा रहते हैं वह बग़ैर खाये-पिये तो रह नहीं सकते। इसलिये हमको उसे समझकर ऐसी बातें करना और

कहना चाहिये और जो कोई ऐसे हों जिनको जरूरत न हो या जो कम में जरूरत पूरी कर सकते हों अपने लिये हर एक तनख्वाह छोड़ सकता है, पहले दरजे के बदले में दूसरे, तीसरे दरजे का एलाउंस लेना चाहे, ले सकता है या अगर कोई न लेना चाहे तो हम यक़ीन दिलाते हैं कि उसको मजबूर नहीं करेंगे ।

यह कुछ यहां और बातें करप्शन के बारे में कही गईं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने पूरी कोशिश करप्शन के दूर करने की की है । हाल में अभी हमारी डिसिप्लिनरी ऐक्शन कमेटी हुई जिसकी रिपोर्ट गजट में भी छपी है । शायद देखी गयी होगी । उसके जरिये बहुत सी बातें की गयी हैं जिससे करप्शन दूर करने में काफी असर होना चाहिये । एक तो यह कि आगे तरक्की वगैरह जो होगी वह ईमान और इंटीग्रिटी की बुनियाद पर होगी । दूसरे यह कि आफिसर का काम होगा कि यही जरूरी नहीं है कि वह खुद ईमानदार हो, बल्कि यह भी वह देखे कि उसके मातहत जो काम करते हैं वह भी ईमानदार हैं और यह भी उसे देखना है कि कोई अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करके तो बसर नहीं कर रहा है । अगर किसी की आमदनी से ज्यादा उसका खर्च होता है तो फिर वह इस बात की जांच करे कि क्या जराये हैं उसके जिससे कि वह आमदनी से ज्यादा खर्च कर सकता है । जब कोई किसी चीज का नीलाम हो सरकारी चीज का, तो कोई सरकारी अहलकार उस नीलाम को खरीद न सके। जो भी काम हो वह एक खुले तरीक़े पर हो और जो कोई भी पार्टी वगैरह हों उनमें भी लोग कम शरीक़ हों । हर शख्स के बारे में जिनको कि इंक्रीमेंट मिलता है उनका भी पांच साल में इफीशियेंसी बार हो और यह भी देखा जाय, इंक्रीमेंट वैसे ही सालाना न मिल जाय, बल्कि उसकी ईमानदारी के बारे में क्या बातें हैं उसको देखकर फिर इंक्रीमेंट मिले । उसके अलावा सालाना इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट हर आफिसर के बारे में हो । अगर दो साल इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट ठीक न मिले तो तरक्की रोक दी जाय और तीन साल हो तो अलग कर दिया जाय । और इसके अलावा जिनकी २५ साल सर्विस हो गयी है या अगर ५० साल की उम्र हो गई है उनके बारे में कोई सुबहात हों तो उनको अलग कर दिया जाय । इस तरह से कई बातें की गयी हैं । एडिमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमारा जो है इससे और भी तरीक़े इसके बारे में तय किये गये हैं । एक वक्त मुक़र्रर कर दिया गया है कि जिस पर भी कार्यवाही हो तीन महीने, छः महीने के भीतर उसका फैसला हो जाना चाहिये और लम्बे समय तक मामले नहीं रहने चाहियें । इस ढंग से कई बातें की गई हैं । जिससे उम्मीद की जाती है कि करप्शन में कमी होगी ।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से काफ़ी कोशिश इस बात की की गयी कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं वह सजा पावें और उनको छोड़ा न जाय। सन् ४६ से ३१ दिसम्बर सन् ४६ के आखीर तक १२,५४६ आदमियों पर कार्यवाही की गयी, हमारे स्टेट के गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर । कुछ तो अदालती कार्यवाही की गयी और कुछ वैसी की गईं । ३८९ आदमियों को अदालतों से सजा हुई । १९९ आदमियों के मुकदमे अदालतों में अब भी हैं । जो लोग डिस्मिस हुये उनकी संख्या ४,७२० है । जिन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा उनकी संख्या १७४ है,। जिन लोगों को और सजायें दी गयीं उनकी संख्या ४,५५७ है और जिन लोगों के मामले पड़े हुये हैं, अभी तय नहीं हुये वह संख्या ७१० है । इस तरीके पर और छूट गये । तो केवल १२,५४६ आदमियों पर कार्यवाही की गयी जिनमें हजारों आदमियों को सजा मिली । यह मैंने आपके सामने पूरा हवाला इसका दिया है । १ अप्रैल, सन् ५२ से ३१ दिसम्बर, ५२ तक ४९ आदमियों को अदालतों से सजा हुई, जिनका मामला अदालतों में पड़ा हुआ है उनकी संख्या २०० है, जिनको डिसमिस किया गया उनकी संख्या १२९ है, जिनको और मामलों में सजा हुई उनकी संख्या २०९ है और जिनके मामले अभी पड़े हुए हैं उनकी संख्या ७१० है । इस तरीके से १ अप्रैल, ५२ से ३१ दिसम्बर, ५२ तक ३,२०८ आदमियों पर कार्यवाही की गयी और काफी आदमियों को सजा हुई तथा डिसमिस हुये हैं । इससे आप देखेंगे कि काफी चौकन्ना होने की कोशिश की जा रही है । कोई गफलत नहीं है, यह भी कहा जाता है कि अदालतों में रिश्वत दी जाती है । यह बदनसीबी है कि अदालतों

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

में अभी तक रिश्वत बन्द नहीं हुई है। हमारे यहां के जो वकला लोग हैं अगर वह इस पर तवज्जह करें तो बहुत हद तक रिश्वतखोरी बन्द हो सकती है। जब ऐसे आलिम-फाजिल लोगों के सामने इस किस्म की रिश्वत चलती है तो दूरदराज गांव में अगर कोई सिपाही ऐसा कर ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इस तरह से कोशिश करनी चाहिये कि कोई ऐसी गुंजाइश न रहे। मैं समझता हूं कि आफिसर्स और गवर्नमेंट सर्वेंटस सबको मिलकर ऐसा करना चाहिये जिससे ऐसी घिनौनी बात हमारे प्रदेश के अन्दर खत्म हो जाय। कुछ और जरूरी बातों का जिक्र किया गया है। यह भी कहा गया कि जो ज्यादा तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह कम की जाय और जो कम तनख्वाह वाले हैं उनकी बढ़ा दी जाय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर जिनकी तनख्वाहें ५ सौ से ज्यादा है उनमें ५ फीसदी की कमी की जाय तो मुश्किल से कोई ६ लाख रुपये की बचत इसमें है, यानी पूरी संख्या में कोई ५ लाख ८५ हजार है जो कि ५ फीसदी कम किया जाय तो इसमें से निकल सकेगा। अगर सबकी तनख्वाहें १०० रुपया कर दी जायं जिनकी १०० रुपये से कम है तो उसमें ११ करोड़ से भी ज्यादा खर्च बैठेगा, इसलिये सवाल इतना सरल और आसान नहीं है जितना समझा जाता है। अगर जिनको ज्यादा मिलती है उसमें ५ फीसदी की कमी की जाय तो ६ लाख की बचत होती है और जिनको १०० रुपये कम से मिलता है उनको १०० रुपया दिया जाये तो ११ करोड़ की जरूरत है। यह इसका हल नहीं है। इसका हल यह है कि किसी के ऊपर बोझा डालना होगा। हम चाहते हैं कि सबको उचित तनख्वाह मिले। आप आज किसी को भी लीजिये मैं किसी खास का हवाला देकर नहीं कहता कि वह हड़ताल करता है या नहीं, लेकिन आप किसी भी मुलाजिम को लीजिये और उस पर गौर कीजिये। आप देखिये कि गांव में रहने वाले किसान का रहन-सहन से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मुलाजिम है उसका रहन-सहन अच्छा है या नहीं। हमें आज उसके रहन-सहन को बढ़ाना होगा। आज जिस हालत में किसान है वह कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुलाजिम से बेहतर नहीं है और इसके ऊपर गौर करना जरूरी हो जाता है। आज हमारे स्कूलों को कायम रखने में वे लोग मदद देते हैं, लेकिन अपने इन स्कूलों में वे अपने खुद बच्चे नहीं भेज सकते क्योंकि उन्हें किताबें खरीदने की शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को गौर से देखे कि हमारी हमदर्दी सबके साथ है और हर कोई चाहता है कि सब सुखी हों। मगर सवाल यह नहीं है कि किसकी तनख्वाह कितनी बढ़ाई जाय। आज यह सवाल नहीं है पटवारियों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाय या कल्कों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाय या टीचरों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई जाय, परन्तु सवाल यह है कि कहां से यह रुपया लाया जाय। मैं कहता हूं कि क्या सब यह महसूस नहीं करते कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं, मगर इसके लिये रुपया कहां से लाया जाय यह सवाल आपके और हमारे सामने है। कैसे यह रुपया पैदा किया जाय जिससे कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं। इस तरीके से आज अगर कोई फैसला हो जाय, तो हम उसे करें। तो आज यह बात है और अगर हम सिर्फ यह कहें कि तनख्वाह बढ़ा दी जाय, तो इससे मसला हल नहीं हो सकता है। आखिर इस समय कमी है और इसके लिये कोई साधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी और समय लेंगे, नहीं तो मैं कल के लिये इसे रख दूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं तो ज्यादा समय पहले भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो सवाल मेरे सामने आये, उनका जवाब देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के कर्त्तव्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये हम सबको मदद देनी होगी। यह साधारण शासन का काम, सामान्य शासन का काम वास्तव में पूरी तरह से साधारण और सामान्य नहीं है, बल्कि असाधारण और असामान्य

है और उसके जरिये सारे प्रदेश के कामों की प्लानिंग में, प्रदेश को उठाने में और उसको आगे ले जाने में स्फूर्ति पैदा हो सकती है। आज हमने यह निश्चय किया है और हमारे देश के तमाम नागरिकों ने निश्चय किया है कि हम अपने प्रदेश को एक वेलफेयर स्टेट बनायेंगे। हम यहां की सब दिक्कतों को दूर करेंगे। थोड़े दिनों के लिये हर एकको दिक्कत हो सकती है, किसी को तनख्वाह की कमी की दिक्कत हो सकती है, किसी को आमदनी की कमी की दिक्कत हो सकती है, किसी को बेकारी की दिक्कत हो सकती है, पर आज इन सब बातों को छोड़ करके देश को किसी तरह से मिल करके ऊंचा उठाना है और उसमें हम किस प्रकार से विकास की योजना को सफल बना सकते हैं इस ओर ध्यान देना है। हमें ऐसे तरीके ढूंढ़ते हैं जिससे कि हमें कोई ऐसा हल मिल सके और उस तरीके को अपनाकर हम लोगों के कष्ट को दूर करें। इसके लिये आज हमें सामान्य शासन में पूरा सहयोग देना होगा और इसके लिये हमारा कर्त्तव्य होगा कि हम इसको पूरी तरह से उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें। मैं आशा करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य इसमें योग देंगे और इस योजना द्वारा हम अपने कर्त्तव्य से भारतमाता के मंदिर को आकाशचुम्बी बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, इसके लिये हमें सबके सहयोग को प्राप्त करना होगा। जिस तरह से आपने देश को स्वतंत्र करने में अपना पूरा योग दिया और उसमें अपना हाथ बढ़ाया, उसी तरह से आप अब भी इसके कल्याण के लिये योग देंगे और अपना हाथ आगे बढ़ावेंगे और इस पुण्यार्थ के कार्य में शरीक होकर अपने देश का गौरव बढ़ायेंगे।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की स्पष्टता की और उनकी मजबूत दिली की तारीफ करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी राय जाहिर की है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो अवस्था प्रदेश की दिखती है और जो आर्थिक व्यवस्था उनके सामने है, उससे वह सन्तुष्ट हैं। जब वह यह कहते हैं कि एक तरफ बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिये इसलिये नहीं जाता है कि उसके पास फीस की कमी है और दूसरी तरफ वे यह कहते हैं कि गवर्नर महोदय का जितना भी व्यय है चाहे वह सज्जा के लिये हो या चाहे वह फुलवारी के लिये हो या दौरे के लिये हो और मंत्रियों का जो खर्चा है और जो उनकी तनख्वाह है, तो इन सब बातों के लिये वे कहते हैं कि उसमें फिजूलखर्ची नहीं है और उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की जाती है। यह तो एक मजबूत दिल के आदमी का काम है और एक मामूली आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की मुख्य-मुख्य बातें सुनीं और मैं समझता हूं कि जब एक देश का निर्माता बोलता है तो देश का जो नकशा उसके दिमाग में है, वह उसको सामने रखते हुये सब बातें कहता है, तो अब हमें यह फैसला करना होगा कि वह मुनासिब होगा या नामुनासिब होगा और यह हमारा कर्त्तव्य है। मैं दो एक बातों का जिक्र और कर देना चाहता हूं। एक बात तो माननीय रामनारायण जी ने कही कि सिर्फ सरकारी अधिकारियों के और माननीय मंत्रियों के पंचवर्षीय नकशे बनवाये जायं कि उनके पास कितनी दौलत थी और कितनी दौलत हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जिस समय इस प्रकार का कोई नकशा बनाने का अवसर आये, उस समय वे माननीय रामनारायण जी को भी छोड़ न दें, यानी जितने भी असेम्बली के सदस्य हैं उनके पंचवर्षीय नकशे बनवाये जायं, कि उन्होंने पांच वर्षों में कितनी आमदनी की। यह तो मुझे उनके प्रस्ताव में संशोधन करना था।

माननीय राजकुमार जी ने यह कहा कि हमको अपने गांवों को मरुभूमि नहीं बनाना है। हमको अपने मुल्क को बहुत साज-बाज के साथ रखना है, बहुत ठिकाने के साथ उसको रखना है। मैं कहां कहता हूं कि बस्ती को उजाड़ बना दिया जाय। वे तो बस्ती के रहने वाले ही हैं, वे कब चाहेंगे कि कहीं उजाड़ हो। मैं भी चाहता हूं कि उजाड़ न हो, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भूख से मरने वालों की बात छोड़कर अब

[श्री गेंदासिंह]

भी जिस देश में भूख से पीड़ित होने के घटना हो रही है कि जो मरने के करीब तक पहुंच जाय, तो जिस मुल्क में इस तरह के लोग मौजूद हों वहां पर इस तरह से सज-धज पर, जिसे हम एक दूसरी तरह की फिजूलखर्ची कहते हैं, इतना रुपया खर्च किया जाय, यह नामुनासिब बात है और मैं राजकुमार जी से कहूंगा कि वे इन सब चीजों पर जरा गौर करें, और अपनी राय जाहिर करें।

अनकन्फर्म्ड लोगों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिस वक्त मैं बजट की कापी (मेमोरेंडम) देखूंगा, तो उसमें मुझे मिलेगा कि बहुत से लोग कनफर्म्ड कर दिये गये हैं। मैंने यह कहा था कि हमको यह मालूम करा दिया जाय कि आज सरकारी नौकरी में अनकन्फर्म्ड लोग कितने हैं। अगर उनकी संख्या हमको मालूम हो जाती तो जरा सदन को इस पर विचार करने का अवसर मिलता कि आखिर हम किस पहलू पर चल रहे हैं। मेरा अब भी कहना है कि अपने प्रदेश में अनकन्फर्म्ड सर्विसेज बहुत हैं और उन्हीं की बुनियाद पर हम चल रहे हैं और उनकी बुनियाद पर चलने से सिवाय नुकसान के फायदा नहीं है।

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही कि हम यह नहीं चाहते कि हम किसी को अनटचेबिल बनावें। हम भी बिल्कुल इसी राय के हैं, और उनके पीछे चलने वाले आदमी हैं कि किसी को अनटचेबिल न बनाया जाय और कोई अछूत इस देश में न हो, लेकिन आज अछूत हैं, देश में। कभी-कभी अध्यक्ष महोदय मुझे खलती है यह बात, जब इस सदन में जितने हरिजन लोगों की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे हरिजनों के ऊपर सवाल करते हैं। वे जब सिर्फ हरिजनों की पुकार करते हैं, तब मुझे संकोच होता है और मैं कभी सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स करने खड़ा नहीं होता हूं। परन्तु सरकार की भी तरफ से जो उनको उत्तर मिलता है, उससे भी मुझे कुछ शर्म आती है। पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उस वर्ग का कलेक्टर हम बनाने की क्यों नहीं कोशिश करते, कोशिश करें और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बात की चेष्टा करें तो मैं यह मानने के लिये कभी तैयार नहीं हूं कि फिर पिछड़े हुये भाइयों में इसके योग्य लोग न मिलें।

एक बात अन्त में मैं और कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक लखनऊ के नवाब का किस्सा है, दो मिनट में उसको समाप्त कर दूंगा। वह नवाब साहब अफीम खाते थे और उस अफीम की तल्खी को मिटाने के लिये वे कुछ मलाई खा लिया करते थे। मलाई लाने के लिये उनका एक नौकर पहले जाता था और वह उसमें से एक छंटाक मलाई खा लेता था। उन्होंने देखा कि ऐसा मालूम होता है कि एक छंटाक मलाई चोरी हो जाती है, इसलिये उन्होंने दूसरे नौकर को तैनात किया, ताकि चोरी न होने पावे। अब दो छंटाक मलाई चोरी होने लगी। फिर उन्होंने तीसरे नौकर को तैनात किया और यह सोचा कि अगर तीन नौकर हो जायेंगे तो चोरी नहीं होगी, लेकिन अब तीन छटाक मलाई की चोरी होने लगी। फिर चौथे को उन्होंने नौकर रक्खा और अब सब मलाई की चोरी होने लगी। उनमें से एक ऐसा चतुर नौकर था कि उसने यह कहा कि मैं नवाब साहब से बात कर लूंगा जब वे बात करेंगे। नवाब साहब ने कहा कि देखो आज हमको मलाई नहीं मिली, तल्खी बहुत ज्यादा आ रही थी। नौकर ने कहा कि नवाब साहब मलाई तो आपने खाई है। नवाब साहब ने कहा कि मैंने मलाई नहीं खाई है। अब फिर नौकर ने कहा कि खाई है आपने मलाई और आप जरा अपनी मूंछों पर हाथ फेरिये और यह देखिये कि आप ने मलाई खायी है, या नहीं। उन्होंने जब मूंछों पर हाथ फेरा तो कुछ मलाई के निशान उस पर मालूम हुये और उसके बाद नवाब साहब ने कहा कि हां, जरूर मलाई हमने खाई है। सदन के सदस्यों में भी कुछ लोग मोछ रखते हैं, लेकिन उनकी मोछों से मेरा मतलब नहीं है। माननीय राम नरेश जी मुझसे ऐसे सवाल कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत

अदब के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, आज अन्त में, कि आज अब दूसरे प्रकार से सोचने का वक्त आगया और अगर दूसरे प्रकार से सोचा नहीं गया तो मुल्क में जो गरीबी, बेरोजगारी और जो दूसरे प्रकार के अपराधों की मनोवृत्ति बढ़ रही है उसको हम रोक नहीं सकते। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे केवल मुख्य मंत्री ही नहीं हैं बल्कि वे देश के निर्माताओं में से हैं। जो कांग्रेस कमेटी है, जब कभी उसका कोई आर्थिक कमीशन बैठता है, उसके एक सदस्य माननीय मुख्य मंत्री जी भी रहते हैं। इसलिये उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सेल्फ कम्प्लेसेन्सी को इसमें से दूर करने के लिये इस बात की चेष्टा की जाय कि हमारे प्रदेश की क्या अवस्था है, और सही अवस्था की जानकारी करके हम उनकी मुसीबतों को दूर करने की चेष्टा करें। इस जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की चाहे जितनी हम तारीफ करते जायं कि कर्मचारी बड़े दूध के धोये हैं, यह तो आज जनता जानती है, हम भी जानते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं। लोगों की सिन्सियरटी में बिल्कुल शुबहा नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि किसी दूसरे तरीके से ही मुल्क का निर्माण हो सकता है। मैं और कुछ न कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुल्क में जो सचमुच, पैदा करने वाले हैं, और जो गांव का रहने वाला तबका है उसका सही ज्ञान माननीय मुख्य मंत्री जी को कराया जाय और इस संबंध में इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। शायद कुछ गलतफहमी हमारे मुल्क के किसानों के संबंध में हो गयी है, नहीं तो आप कभी इस बात को नहीं कहते कि सिंचाई का कर बढ़ाया जाय और ७९ करोड़ का बजट बनाया जाय। इसलिये अगर इस तरह की धारणा माननीय मुख्य मंत्री जी की बनी रही तो यह ठीक नहीं है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की धारणा बदलवाई जाय, उसी में हमारे प्रदेश का कल्याण है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत ३,१०,२२,८०० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जोतों की चकबंदी विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं—

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्ताव कर चुके हैं, आपका भाषण जारी था।

श्री चरण सिंह—भाषण शुरू ही हो पाया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि हमारा देश निर्धन है और सब की इच्छा यह है कि यह जल्द से जल्द धनवान बनाया जाय। लेकिन धनवान् किस प्रकार बने, इसके संबंध में भी वैसे आमतौर पर दो रायें नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी भ्रमवश दो रायें हो जाती हैं। सही राय और सही बात इस सिलसिले में यह है कि हमारा देश धनवान तब होगा जबकि हमारे यहां भूमि की पैदावार बढ़ जाय और हमारा जो पशुधन है उसकी नस्ल सुधर जाय, क्योंकि धन के स्रोत केवल यही दो जगह हैं पशु और भूमि। भूमि की पैदावार किस प्रकार बढ़ाई जाय। उस सिलसिले में विचार करने से यह मालूम होगा कि जहां छोटे-मोटे उपाय हैं वहां चार-पांच जो बड़े-बड़े

[श्री चरण सिंह]

उपाय खेती की पैदावार को बढ़ाने के हैं उनमें एक चकबंदी भी है। अच्छा पानी, अच्छी खाद, अच्छे बीज और किसान के दिल में यह इत्मीनान कि वह जो अपने खेत में उत्पन्न करता है, अच्छे बीज डालता है, पानी लगाता है और अच्छी खाद डालता है, उसके बाद जो खेत में पैदा होता है वह पैदावार उसके ही पास रहेगी, और उसमें से कोई दूसरा आदमी हिस्सा नहीं बांट लेगा और उसको यह भी इत्मीनान रहे कि वह खेत जिस पर वह मेहनत करता है और जिसमें तरह-तरह की उन्नति और सुधार करता है वह बराबर उसके पास रहेगा और बेदखली की तलवार उसके सिर पर नहीं लटका करेगी। यह इत्मीनान खेत की पैदावार के बढ़ाने में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन जैसा मैंने कहा इन बड़े-बड़े उपायों में जो हमारे खेत बिखरे हुये हैं, गांव के हर कोने-कोने में किसान के खेत बिखरे हुये हैं, एक-एक कोस, डेढ़-डेढ़ कोस, एक-एक मील और आध-आध मील पर जो किसानों के खेत बिखरे हुये हैं, अगर वे एक चक में हो जायं और इकट्ठा हो जायं तो इससे भी खेत की पैदावार बहुत बढ़ती है। यह निर्विवाद है और दुनियां में सभी लोग जो किसानों के मसलों से दिलचस्पी रखते हैं, वे इस बात को तसलीम करते हैं कि चकबंदी हो जाने की वजह से, खेतों के मिल जाने की वजह से जो जमीन टोलों में बिखरी हुई है वह जमीन भी किसानों के हल के नीचे आ जायगी और इस तरह से उसकी जोत का रकबा बढ़ जाता है। अनुमान यह है कि औसतन दो प्रतिशत रकबा बढ़ जाता है, अगर चकबन्दी हो जाय। फिर एक किसान का एक खेत से दूसरे खेत को जाने में समय नष्ट हो जाता है, वह भी बच जाता है। मान लीजिये एक खेत है, उस पर वह हल बैल ले कर जाता है और ८ या ९ बजे तक उसको जोत ले। अब उसके बाद अगर वह हल बैल ले कर दूसरे खेत में जाता है और इतने फासले पर पहुंचने में ११ या १२ बज जाते हैं, तो समय नहीं रहता और अगर घर जाता है तो उसका समय नष्ट हो जाता है। तो अगर उसके खेत एक जगह हो जायं तो उसको एक खेत से दूसरे खेत पर जो ट्रिप लगाने पड़ते हैं और उसमें जो समय लगता है वह बच जाय और वह ज्यादा समय उस पूरे खेत में लगा सके। इसके अतिरिक्त उसके खेत बिखरे रहने से उसकी बहुत हानि हो जाती है। चोर तो चोरी कर ही लेते हैं लेकिन उससे ज्यादा जंगली जानवरों से बड़ी हानि होती है। नीलगाय, जंगली गाय, सुअर, सान्ड या तरह-तरह के खरगोश या इस तरह से बहुत से जानवर हैं, जो खेत की फस्लों को हानि पहुंचाते रहते हैं। अब वह हर वक्त खेत में रह नहीं सकता। वह एक खेत में काम कर रहा है और दस खेत जो फासले पर खड़े हुये हैं उसकी रखवाली वह कर नहीं सकता, मौजूदा व्यवस्था के कायम रहने से। इसलिये अगर उसकी जमीन एक चक हो जाय तो वह अपने चक के एक हिस्से में मेहनत करता है तो दूसरे हिस्सों में जो फसल खड़ी हुई है उसकी रखवाली अपने आप हो जायगी।

इसके अलावा अगर एक खेत के लिये आबपाशी का इंतजाम करना चाहे तो वह एक खेत के लिये कुआं नहीं बनवा सकता और दस बीस किसानों के खेतों को इकट्ठी करके और सब मिल कर रुपया जमा करें और उनमें से कोई इकट्ठा करके और उनमें इतना सेवा-भाव रखे कि वह सब सामान इकट्ठा करे और कुयें को बनवा सके, तब हो, लेकिन उसके बाद भी ओसरेबन्दी और बारबन्दी में झगड़ा होता है, इस तरह से किसान आपस में मिल-जुल कर कुआं बेशक बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का सहयोग जब पढ़े लिखे लोगों में भी कम देखने में आता है तो फिर किसान से यह उम्मीद करना कि वह मिल-जुल कर कुआं बनायेगा, ओसरेबंदी और बारबंदी बनाकर ईमानदारी से अमल करेगा तो एक्सपैक्टेशन से ज्यादा उम्मीद करना है। इसलिये खेतों की सिंचाई का ठीक प्रबंध खेतों के बिखरे रहने से नहीं हो सकता है। अगर खेत इकट्ठे हो जायं तो किसान किसी न किसी तरह से कुआं जरूर बनवा लेगा और अगर नहर का पानी है तो वह जो जाया होता है वह जाया नहीं होगा अगर इस किस्म से खेत एक जगह पर हो जायं। इसके अतिरिक्त खेतों के बंटे रहने से आपस में झगड़े वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि

किसान को प्रत्येक खेत में बैल ले जाना होता है और फसल लाने के लिये बैलगाड़ी ले जानी होती है। अगर वह खेत में जाता है तो दूसरे के खेत की मेड़ पर होकर जाता है। दूसरे के खेत में फसल बोयी हुई है तो उसको ऐतराज होता है क्योंकि बैलगाड़ी के जाने से उसकी फसल को नुकसान पहुंचता है। इसलिये आपस में मन-मुटाव बना रहता है और अक्सर फौजदारी की नौबत आ जाती है।

यदि खेत एक जगह पर हों तो इस तरह की कठिनाइयां अगर पूर्णतया दूर नहीं होंगी तो बहुत हद तक दूर अवश्य हो जायंगी। इसलिये यह जरूरी था कि चकबंदी की जाय। इसलिये आज यह चकबंदी का विधेयक तैयार हुआ है। मुझे इस विधेयक के पेश करने में अत्यन्त खुशी होती है क्योंकि जब चकबंदी हो जायगी तो ९० प्रतिशत किसानों की समस्याओं का हल हो जायगा ऐसा मैं समझता हूं।

गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसमें बहुत से आफिसर्स थे और कुछ माननीय सदस्य भी शामिल थे। इस कमेटी के गौर करने के बाद और पूर्वी पंजाब में जो चकबंदी का काम चल रहा है उसको देखने के बाद इस कमेटी की एक रिपोर्ट तैयार हुई। उसके आधार पर मंत्रि मंडल ने एक विधेयक तैयार किया जो अब सदन के सामने प्रस्तुत है।

मैं अब थोड़े से विस्तार के साथ, जो इस विधेयक की स्कीम है वह अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से विधान सभा के सामने अर्ज करना चाहता हूं। गवर्नमेंट जहां चाहेगी जिस जिले में या किसी जिले के किसी हिस्से में, चकबंदी जहां जारी करना चाहेगी, वहां वह एक विज्ञप्ति जारी करेगी। उसके इस विज्ञप्ति जारी करने का अर्थ यह होगा कि वहां के कागजात आदि दुरुस्त करने का सारा अख्तियार कंसोलिडेशन स्टाफ को हो जायगा और जमीन के सिलसिले में जितने भी वाद होंगे वह दीवानी अदालत में तय नहीं होंगे बल्कि जो आफिसरान इस कानून के मातहत नियुक्त होंगे, उन आफिसरान को पूरे अख्तियारात हासिल होंगे। असिस्टेंट कंसोडिलेशन आफिसर मौके पर जायगा और शजरा, खसरा और खतौनी से मिलान करेगा। अगर वह यह पाता है कि शजरा खसरा और खतौनी में मुताबिकत नहीं है और बहुत अन्तर है तो लैन्ड रेवेन्यू के मातहत थारो रिवीजन किया जायगा तमाम रिकार्डस का और अगर वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि थोड़ी बहुत गलती है तो वह खुद उन गल्तियों को दुरुस्त कर देगा।

इसके बाद जब यह गल्तियां हो जायंगी तो वह एक स्टेटमेंट या एक लिस्ट तैयार करेगा जिसमें हर किसान का हर खेत दर्ज होगा, खेतों का रकबा, खेतों का खसरा नंबर और बंदोबस्त के कागजात में वह क्या हैसियत रखता है और जो हियरडेट्री रेटस पर, जो रेंट है वह और क्या मालगुजारी है और उस प्लाट पर उसका किस तरह का अख्तियार है यानी भूमिधर है, सीरदार है, अधिवासी है या आसामी है, यह दर्ज करेगा। जब यह लिस्ट फायनल हो जाय उसके बाद असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर एक स्टेटमेंट अफ प्रिन्सिपिल्स बनायेगा और जो सिद्धांत इस बिल में बखान किये गये हैं वह उसमें होंगे और जब यह ऐक्ट बन जायगा तो उसमें जो नियम बनेंगे उन नियमों के अधीन जो सिद्धांत बनाये जायं वह भी उसमें हो सकते हैं। ७, ८ सिधांन्त तो इसी बिल में दिये गये हैं। पहला तो यह होगा कि हर खातेदार को चक देने की कोशिश की जायगी उस जगह जहां कि उसका रकबा अधिकतर वाक्य है। मान लीजिये किसी किसान के पास ८० बीघा जमीन है। ४० बीघा जमीन एक तरफ है और ४० बीघा जमीन २५ टुकड़ों में बटी है तो उसूल यह रखा जायगा और कोशिश हत्तुलइमकान यह की जायगी कि उसकी ४० बीघा जमीन जहां है वहीं पर उसको ८० बीघा जमीन दे दी जाय।

दूसरा उसूल यह है कि कितने चक रक्खे जायं? मान लीजिये कि जमीन एक किस्म की है तो उस गांव की जमीन का एक चक होगा। लेकिन अगर जमीन ऐसी है कि रबी फस्ल की

[श्री चरण सिंह]

एक तरफ पैदावार होती है और दूसरी तरफ धान होता है तो उस गांव में दो चक होंगे। इसी तरह से अगर कोई गांव ऐसा है जिसके अन्दर कछार का रक़बा है तो वह तीन चक भी हो सकते हैं। तो यह असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर तय करेगा उस गांव की जमीन को देख कर कि उस गांव में कितने चक रखना जरूरी है। यह, अध्यक्ष महोदय, मैं बाद में बतलाऊंगा कि वह लिस्ट कैसे तैयार की जायगी, किस ढंग से तैयार की जायगी, किससे मशविरा ले कर वह तैयार करेगा। इस वक्त सिद्धांतों का विवरण है वह तैयार करेगा इसको मैं बतला देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—सिद्धांत पर ही रहिये तो अच्छा रहेगा। डिटेल में बाद में जब क्लाज बाई क्लाज बहस हो तब उस वक्त आप कह सकते हैं। अभी तो माननीय मंत्री अगर सिद्धांतों तक ही अपने को सीमित रक्खें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री चरण सिंह—मैं इसलिये उस योजना पर समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि उस पर ग़ैरजरूरी तक़रीरें और बहस होने से बच जाय। बिल तो बहुत लम्बा है लेकिन मैंने १५,१६ प्वाइन्ट्स रक्खे हैं। अगर अध्यक्ष महोदय मुझे आज्ञा दें तो शायद समय बच जायगा।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री चरण सिंह—तीसरा सिद्धांत यह है कि जिस किसान की जमीन जिस ब्लाक में होगी उसी चक की जमीन उसे मिलेगी। तीन-चार चक बने और उसकी जमीन दो चक में है तो उसको तीन चक नहीं दिये जायंगे बल्कि दो ही चक दिये जायंगे और अगर एक चक में जमीन पड़ती है तो उसी चक की जमीन उसको दी जायगी। एक किसान की जमीन ऐसे चक में होती है जिसमें धान पैदा होते हैं, लेकिन गेहूं पैदा नहीं होते तो उसको जमीन वही मिलेगी जिसमें धान पैदा होते होंगे यह नहीं कि धान वाले चक की भी जमीन उसको मिल जाय। या अगर ४० बीघा जमीन है २० बीघा में धान और २० बीघा में गेहूं पैदा होते हैं तो ऐसे चक में जमीन उसे मिलेगी जिसमें २० बीघा गेहूं और २० बीघे धान की जमीन हो।

चौथा सिद्धांत यह है कि जितने खातेदार हैं अगर एक ही खानदान के हैं तो कोशिश यह की जायगी कि उनको एक ही जगह चक दिये जायं और जिसके पास जमीन थोड़ी है उसके लिये कोशिश यह की जायगी कि उसको गांव की आबादी के पास जमीन दी जाय ब मुकाबले उसके पास जिसके रक़बा ज्यादा है। उसका चक चाहे गांव के फासले से ज्यादा दूर हो जाय लेकिन जिसके पास कम है उसके लिये हत्तुलइमकान कोशिश यह की जायगी कि उसकी जमीन आबादी के पास हो। इसी तरीक़े से जिस आदमी का गांव की आबादी की जिस दिशा में रहायशी मकान है उसी तरफ़ उसको चक देने की कोशिश की जायगी। मान लीजिये कि गांव बहुत बड़ा है चार-पांच हजार आबादी का और गांव के पश्चिम की ओर एक किसान का मकान है। तो कोशिश यह की जायगी कि पश्चिम की ओर ही उसको चक मिल जाय इसके कि पूर्व में मिले क्योंकि बस्ती में आने-जाने में उसका समय बहुत नष्ट होगा। इसी तरीक़े के अगर ६ एकड़ या १० बीघे पुख्ता से ज्यादा जो जमीन होगी तो कोशिश की जायगी कि उतनी एक जगह दी जाय और उसके छोटे-छोटे टुकड़े न किये जायं। इसी तरह से एक दो और प्वाइंट्स हैं जिनका जिक्र मैं इस समय छोड़े देता हूं। इसके बाद असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर एक प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा। उन प्रस्तावों में हर खातेदार का रक़बा, तादाद खेत और मालगुजारी वग़ैरह जो दी जाती है जिसकी बाबत पहले लिस्ट तैयार हो चुकी है वह मौजूद होगा और फिर उसके बदले में जो उसके खेत या चक दिये जा रहे हैं वह भी मौजूद होंगे और वजूहात भी उस स्टेटमेंट आफ़ प्रोपोजल्स में बयान की जायंगी कि इन खेतों के बजाय यह चक क्यों दिया गया और रक़बे के बजाय इतना रक़बा क्यों दिया गया। इसके साथ ही साथ अगर उसको रक़बा कम मिलता है

तो उसकी वजह से वह कितने मुआविजे का मुस्तहक़ होगा यह भी उस विवरण में असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर बयान करेगा। इसी प्रकार और किसान का कोई कुआं हो या कोई मकान बना हुआ हो और उसको जो चक मिलता हो वह ऐसी जगह मिलता हो कि वह कुआं या मकान उसके अन्दर न आता हो तो उस कुयें या मकान में उसने किसी प्रकार की उन्नति की हुई हो, उसका भी मुआविजा उसके अन्दर दर्ज किया जायगा।

एक सदस्य—बाग़ का क्या होगा?

श्री चरण सिंह—यह मैं अर्ज़ करने वाला हूं कि बाग़ या ऐसी ज़मीन जो पानी से ढकी रहती है मसलन् जहाँ सिंघाडा पैदा होता है या जो ज़मीन शिफ्टिंग भूमि हो अर्थात् ऐसी ज़मीन जिस पर जो किसान खेती करते हों वह गांव सभा के असामी होंगे, किसी खातेदार के नहीं, बल्कि गांव समाज की ज़मीन के जो असामी होंगे ऐसी ज़मीन और बाग़ात ये चकबन्दी से बाहर रखे जायंगे। इसलिये बाग़ों के मुआविज़े का सवाल उठता नहीं। इसके बाद जब इस तरह का प्रपोज़ल तैयार हो जायगा तो तीन बड़े काम असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर को करने पड़ते हैं, एक तो खातेदार की पहले से एक लिस्ट तैयार हो जाती है जिसमें कि खाते के नम्बर, उसका रक़बा, हैसियत और हेरीडेट्री रेंट, रेट और कितनी मालगुज़ारी देता है और उसमें हक़ खातेदार का किस प्रकार का है, एक तो वह और एक स्टेटमेंट आफ़ प्रिंसिपिल्स और स्टेटमेंट आफ प्रोपोज़ल्स जो कि वाकई चक बना। तो ये तीनों चीज़ें असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर तैयार करेगा, लैंड मैनेजमेंट कमेटी के मश्विरे से। वह केवल एक टेक्निकल आफ़िसर होगा मश्विरा देने वाला। लैंड मैनेजमेंट कमेटी से वह कभी मतभेद नहीं रखेगा। उस कमेटी के मश्विरे से ये तीनों स्टेटमेंट वह तैयार करेगा। लेकिन लैंड मैनेजमेंट कमेटी में और उसमें अगर मतभेद हो तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर हायर आफ़िसर्स को रेफ़र करेगा उस बात को कि लैंड मैनेजमेंट की यह राय है लेकिन मेरी राय इस प्रकार की है और मेरी राय यों सही है। क्योंकि अगर लैंड मैनेजमेंट कमेटी से अगर वह सहमत हो फिर तो हायर आफ़िसर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर मतभेद है तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर को अन्तिम फ़ैसला करने का अधिकार नहीं होगा। फिर अगर मान लीजिये कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर से सहमत है या असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसरके रिफ़रेंस से हायर अथारिटीज़ने कोई बात तय की कि यह चीज़ होगी तो तीनों की सम्मत्ति पब्लिश की जायगी अथवा लैंड मैनेजमेंट कमेटी गांव समाज की मीटिंग करके वह सुनायेगी कि किन खास सिद्धांतों से वह चीज़ की गयी है। यह चीज़ तहरीर में भी टांगी जायगी। इसके बाद हर शख्श जो इससे इफेक्ट होता है या उसमें जिसका इंटरेस्ट हो उसको यह अधिकार होगा कि वह असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर के सामने उसे जो आपत्ति हो उसको दाखिल करे। असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर उस व्यक्ति के एतराज़ पर अपनी रिपोर्ट देगा और लैंड मैनेजमेंट कमेटी की राय और अपनी राय के साथ उसे कंसोलिडेशन आफ़िसर के पास भेजेगा। वह आर्बीट्रेटर के पास भेज देगा। यह तो टाइटिल वग़ैरा के मामलों में होगा, लेकिन अगर केवल तफसील का मामला हुआ तो कंसोलिडेशन आफ़िसर उस पर अपना निर्णय देगा। इस प्रकार निर्णय असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर का नहीं होगा बल्कि कंसोलिडेशन आफ़िसर का होगा।

अगर कोई शख्श कंसोलिडेशन आफ़िसर के खिलाफ़ अपील करना चाहे तो उसकी अपील सैटिलमेंट आफिसर आफ़ कंसोलिडेशन के यहां होगी और उनका जो निर्णय होगा वह अन्तिम होगा। इसके बाद कोई अपील नहीं होगी और अगर टाइटिल के सिलसिले में कंसोलिडेशन आफ़िसर ने मामला आर्बीट्रेटर को रिफर कर दिया है तो फैसला अन्तिम होगा। आर्बीट्रेटर या जो सिविल जज होगा या तजुर्बेकार फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर, उसे गवर्नमेंट अपनी तरफ़ से मुक़र्रिर करेगी। ये अफ़सर ज़िले के होंगे। इस बिल में यह भी दिया हुआ है कि सैटिलमेंट आफ़िसर आफ़ कंसोडिलेशन किसी शहर या क़स्बे में फैसला नहीं देगा बल्कि उसके लिये यह लाज़िमी होगा कि मौक़े पर जा कर उस को देख कर फैसला करे। असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर आमतौर पर एक नायब तहसीलदार होगा। यह इस बिल के अन्दर नहीं

[श्री चरण सिंह]

है लेकिन अध्यक्ष महोदय आप की आज्ञा से मैं यह बता देना चाहता हूं कि असिस्टेंट कंसोलीडेशन आफिसर एक नायब तेहसीलदार की हैसियत का आदमी होगा तथा सैटिलमेंट आफिसर आफ कंसोलीडेशन फर्स्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर होगा।

यह विज्ञप्ति हो जाने के बाद या कंसोलिडेशन कमेटी शुरू हो जाने के बाद उस सारे रक़बे से सबंधित कोई प्रोसीडिंग्स किसी अदालत में नहीं चल सकेंगी, न रेवेन्यू अदालत में और न सिविल अदालत में। केवल टाइटिल के मामलों में आर्बीट्रेटर और मामूली अमल दरामद के मामलों में सेटिलमेंट आफिसर आफ कंसोलीडेशन का फैसला अन्तिम होगा। इसके बाद स्टेटमेंट आफ प्रिन्सिपिल और स्टेटमेंट आफ़ प्रपोजल तैयार किये जायेंगे। उसके बाद कंसोलीडेशन आफिसर उसको लागू कर देगा और लागू करने का मतलब यह होगा कि जिस रोज उसने कहा कि कंसोलिडेशन स्कीम आज से नहीं चालू होगी तो उससे अगला जो फसलीसाल है उसके बाद कब्जे का परिवर्तन होगा। कब्जे में अदला-बदली होगी और अगर सब खातेदार चाहें तो उसके पहले भी कर सकते हैं। लेकिन जो क़ानून में रखा गया है उसमें अगले फसली साल से ही क़ब्ज़ा परिवर्तन की बात कही गयी है। क्योंकि उस वक्त फ़सल खड़ी रहती है और तरह-तरह के झगड़े खड़े होते हैं ऐसा तजुर्बे ने बतलाया है। जब इस तरह के कब्जे बदल जायं तो किसान के जितने हक़ूक़, जिस प्रकार के हक़ूक़ अपनी पहली आराजी में थे वही सारे हक़ूक़ चक के अन्दर हो जायेंगे। अगर उसको कोई मार्गेज, लीज, इजक्टमेंट अर्थात् अगर उसको कोई रेहननामा, पट्टा या हक़ आसायश किसी जमीन के ऊपर था तो वह भी एटेच हो जायगा, चिपक जायगा, उसके नये चक से। इसके अन्दर जितनी भी दरख्वास्तें की जायेंगी उन पर कोई कोर्टफीस नहीं ली जायगी और किसी तरह से कोई दस्तावेज लिखने की जरूरत नहीं होगी। यह स्कीम मैंने या तो यह कहा जाय कि बहुत मोटे तौर पर या बहुत तफ़सील के साथ आप सामने मैंने अर्ज कर दी। ये जितने भी आफ़िसर हैं, असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफ़िसर, कंसोलिडेशन आफ़िसर, आर्बीट्रेटर और सेटिलमेंट आफिसर, इन चारों को वही अधिकार हासिल होंगे जो सिविल प्रोसीज्योर कोर्ट के किसी अदालत को हासिल है। अगर वे सबूत मांगना चाहें, किसी गवाह को तलब करना चाहें, या किसी जगह मौक़े पर पैमायश करना चाहें या मुआयना करना चाहें तो उनको अदालत के सब अधिकार हासिल होंगे और जो शख्स उनका कहना न मानेगा तो जो क़ैद या सजा की पाबन्दी आयत होती है किसी फरीक़ पर या गवाह पर उन पर आयद होंगी। एक डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशन भी स्टेट की तरफ से मुक़र्रर होगा और एक असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशन भी मुक़र्रर होगा जो सारे सूबे के उस काम की देख-रेख करेगा। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि आर्बीट्रेटर का फैसला अन्तिम होगा, सेटिलमेंट आफ़िसर आफ़ कंसोलिडेशन का फैसला अन्तिम होगा लेकिन सेटिलमेंट आफ़िसर आफ कंसोलिडेशन नीचे जो कंसोलिडेशन आफ़िसर होंगे, असिस्टेंट कंसोलिडेशन अफिसर होंगे, उसके सामने अगर कोई मामला आता है तो किसी मिसल या किसी कागज को अगर डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशन देखना चाहे तो उसे रिविजनरी पावर है, डाइरेक्टर को हक़ हासिल है और अगर वह चाहे तो फैसले वगैरह को देख सकता है। तो इस तरह की यह मोटी-मोटी स्कीम हुई है।

सन् १९३९ ई० में एक चकबन्दी का कानून जब कि पहला कांग्रेस मंत्रि मंडल बना था उसने बनाया था और वह कानून ७,८ जिले में लग भी गया था। लेकिन जो स्कीम उस कानून के मातहत तैयार की गयी थी वह डिफेक्टिव थी, नाकिस थी। इसके अलाव उसमें गुंजायश इस बात की भी थी कि अगर किसान ग़लती करे, या छोटे राज कर्मचारी ग़लती करें तो फिर काफी मौक़ा ग़लती करने और कराने का रहता था। फिर सबसे बड़ी रुकावट उसके अन्दर यह थी एक दर्जन क़िस्म के, खेत थे, काश्तकार थे, मुख्तलिफ हक़ूक़ के काश्तकार थे, उनके चक की अदला-बदली करने में बहुत दिक्क़त होती थी और कोई खेत ऐसा नहीं था जिसके ऊपर कम से कम तीन चार आदमियों का आमतौर पर हक़ न होता हो नहीं तो दो का तो जरूर ही हक़ होता था। एक काश्तकार और दूसरा जमींदार। काश्तकार भी कई क़िस्म के और जमींदार भी कई क़िस्म के थे। उसकी वजह से भी चकबन्दी होने में दिक्क़तें थीं। इस संबंध में बहुत सी

शिकायतें भी आयीं कि उस ऐक्ट के मातहत जो कंसोलिडेशन चल रहा है या उसको बन्द कर दिया जाय। अब जमींदारी खत्म हो गयी। जमींदारी खत्म हो जाने पर एक बहुत बड़ी रुकावट जो चकबन्दी के संबंध में थी वह हट गयी। पहले जो स्कीम तैयार की गयी थी उसमें नकायस थे, त्रुटियां थीं, जो तजुर्बे ने हमको बतलाया है। पंचायत के तजुर्बे से भी हमें मालूम हुआ है जहां पर श्री मौर्य जी तथा हमारे दो आफिसर्स भी गये थे, उनके वहां से देख कर आने के बाद जो उसमें नुक्स थे वे दूर हो गये और जिस तरह से इसमें और पाबन्दियां रखी गयी हैं उन पाबन्दियों से भी बहुत कोशिश इस बात की की गयी है कि किसी भी राज्य कर्मचारी की ओर से कोई शिकायत का मौक़ा न आवे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस गवर्नमेंट को निहायत खुशी है और उसको इस बात का गर्व है कि जहां जमींदारी उन्मूलन करके उसने एक बहुत बड़ा क़दम उठाया है और ऐसा क़दम उठाया है जिससे हमारे गांव की आर्थिक और सामाजिक क्रांति हुई उसी महत्व का क़रीब-क़रीब यह दूसरा क़दम है, जो कि चकबन्दी संबंधी बिल की पेश करके यह गवर्नमेंट उठा रही है। यह चकबन्दी हो जाय तो मुझको यह उम्मीद है कि आज जो हम प्लानिंग के जरिये बहुत सी बातों को करने की कोशिश कर रहे और उसमें तरह-तरह की रुकावटें हमारे सामने आती हैं वह रुकावट बहुत हद तक दूर हो जायगी। वैसे तो दुनियां में कोई जमाना ऐसा नहीं आया कि जब और कुछ करने को बाक़ीहन रहा हो, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जमींदारी को खत्म करने के बाद अब चकबन्दी करने से हमारे गांव के किसानों के सुख साधन बहुत हद तक, बहुत मात्रा में प्रस्तुत हो जायंगे और तभी हमारे खेतों की पैदावार और तभी हमारा देश मालदार होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रस्तुत करे। उस प्रवर समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

१. श्री द्वारका प्रसाद मौर्य
२. श्री दीनदयालु शर्मा
३. श्री वीरेन्द्र वर्मा
४. श्री नेत्र पाल सिंह
५. श्री अशरफ अली
६. श्री अब्दुल रऊफ खां
७. श्री बेनी सिंह
८. श्री नारायण दीन
९. श्री निरंजन सिंह
१०. श्री शिवराज सिंह
११. श्री देवराम
१२. श्री रमेश्वर प्रसाद
१३. श्री अंसुमान सिंह
१४. श्री देवनन्दन शुक्ल
१५. श्री रामनरेश शुक्ल
१६. श्री जयराम वर्मा
१७. श्री सुरेश प्रकाश सिंह
१८. श्री सत्य सिंह राणा
१९. श्री रामनारायण त्रिपाठी
२०. श्री बेंदा सिंह

अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिये यह संशोधन पेश करता हूं तो मेरे मस्तिष्क में यह बात है कि कांग्रेस की क्रांति के इतिहास में यह आखिरी

[श्री रामनरेश शुक्ल]

आहुति है जिसमें सब प्रतिक्रियावादी समाप्त हो जायंगे और साथ ही इस प्रांत की करोड़ों जनता हमारे वर्तमान माल मंत्री जी को उनके बहुत से कानूनों के लिये आगे आने वाले दिनों में बधाई देगी । लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि जब मैं इस बात को कहता हूं तो किसी फर्ज अदायगी की वजह से नहीं कहता हूं और न कोई पार्टी के ख्याल से बल्कि मैं उसका अनुभव और महसूस करता हूं कि यह कानून जो माल मंत्री आज प्रस्तुत कर रहे हैं इसका जो प्रभाव इस प्रांत में होगा वह इस प्रांत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा । लेकिन जहां तक मैं इस कानून के प्रभाव को समझता हूं उसके अनेक प्रभाव हो सकते हैं । इसके फायदे को जहां तक समझता हूं वह तो माल मंत्री जी ने बताया, मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये इसलिये कहता हूं कि यह एक बहुत अहमियत का कानून है और इसके आने के पहले ही इसकी चर्चा देहात में प्रारम्भ हो गई है और अध्यक्ष महोदय, मैं इस को प्रवर समिति में इसलिये भी भेजना चाहता हूं कि ऐसे कानून के लिये यह जरूरी है कि इस सदन के प्रत्येक पार्टी की पूर्ण सहमति इस कानून में हो जाय । चूंकि मुझे सूचना मिली है कि कुछ पार्टियों के लोगों ने देहात में यह प्रचार शुरू किया है कि सरकार जमीनें लेना चाहती है, उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है और इसीलिये सरकार चकबंदी कर रही है, ऐसा प्रचार कुछ विरोधी पार्टियों ने आरम्भ किया है । इसलिये यह जरूरी है कि प्रवर समिति में बैठकर पूर्ण रूप से इस पर विचार कर के प्रत्येक की सम्मति से यह पूरी शक्ल के साथ यहां आये ताकि यह सदन इस पर विचार कर सके और इतना महत्वपूर्ण कानून प्रदेश को जल्द से जल्द मिल सके । इसलिये मैं सिफारिश करता हूं कि यह बिल इस प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह का भ्रम माननीय रामनरेस जी को हो गया है वह भ्रम उनको शायद केवल प्रतापगढ़ ही से हुआ होगा और दूसरे जिलों में इस प्रकार का भ्रम करने की गुंजाइश उन्हें न होगी । मैं बिल का स्वागत करते हुये एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं और मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के इस खयाल की कद्र करते हुये भी कि वह हमारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं होते फिर भी मैं यह सोचता हूं कि मुझे उत्तर उसी प्रकार का मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि एक सत्य बात जो है उससे इनकार नहीं करना चाहिये, आज हो, कल हो, परसों हो उसको मानना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि चकबंदी से जिस तरह की धारणा माननीय राजस्व मंत्री जी की है उस में काफी हद तक उन को सफलता मिलेगी । चकबंदी करने से कुछ ऐसी संख्या खेती करने वालों की होगी कि जो संतुष्ट हो जायगी, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में अभी सदन के सामने प्रकट किया कि उससे हमारी खेती की करीब-करीब सब समस्यायें हल हो जायंगी और यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो उन्होंने ९० प्रतिशत कहा था । मेरा कहना यह है कि वह अगर इस संबंध में ऐसा विचार रखते हैं तो वह गलत है । अब तो यह बिल सैलेक्ट कमेटी में जा रहा है और सम्भवतः माननीय राजस्व मंत्री जी से और हम लोगों से विचार विनिमय का अवसर आयेगा और मेरा अनुभव यह है कि कमेटियों में कुछ बातें अधिक सुन ली जाती हैं हालांकि पिछले मर्तबे माननीय राजस्व मंत्री जी ने हमारी इस आशा को दूसरी शक्ल में बदलने की मेहरबानी जरूर की थी, लेकिन फिर भी कमेटियों में बैठने से बहुत सी त्रुटियां दूर हो जाती हैं । मैं उनकी खिदमत में एक बात पेश करना चाहता हूं कि इत्तिफाक से आज ही जो सर्वोदय सम्मेलन विनोबा जी के नेतृत्व में चांडील में हो रहा है उसकी खबर आई है और अध्यक्ष महोदय मैं आप की इजाजत से कुछ अखबार मे पढ़ देना चाहता हूं जो विनोबा जी ने कहा है । यह उद्धरण मैं 'आज' समाचार पत्र का दे रहा हूं ।

एक अखबार का रेफरेंस है । उसी का मैं उदाहरण दे रहा हूं । आपने बताया कि यदि एक प्रांत में सफलता मिली तो दूसरे प्रांतों में देखते देखते क्रांति हो जायगी और दूसरे

प्रांतों में कुछ न हो यह सम्भव नहीं। कुछ न होगा तो या तो जनता बगावत करेगी या राज्यों की ओर से कानून बना कर समस्या हल कर दी जायगी। एक जगह की अनुभूति दूसरी जगह पहुंच जायगी सर्वोदय के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करते हुये बिनोबा जी ने बतलाया है कि उत्पादन का भी विकेन्द्रीकरण चाहते हैं और विभाजन का भी।

यह उद्धरण देकर मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री केवल चकबंदी पर इतनी भारी आशा न करें। चकबंदी में तो जिन लोगों के पास भूमि है उनकी भूमि इकट्ठी हो जायगी। लेकिन जिनके पास केवल इतनी भूमि है कि वह किसी प्रकार भूमि वाले कहलाते हैं उससे उनकी जीवनवृत्ति चलाना कठिन है। एक एकड़, दो और ढाई एकड़, तक की बात लेता हूं। उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार ढाई एकड़ से कम के किसानों की संख्या ७० फीसदी है तो तीस फीसदी किसानों की समस्या चकबंदी से हल हो जायगी, इसमें शक नहीं कि जो दस, बीस, पच्चीस एकड़ वाले किसान हैं उनकी समस्या हल हो जायगी। उनके खेत दो-तीन टुकड़ों में हो जायेंगे। वहां पानी का बन्दोबस्त हो सकता है। पहरे का अच्छा बन्दोबस्त हो सकता है और एक योजना के अनुसार खेती कर सकते हैं और उससे अपनी हालत को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन जो तीस प्रतिशत है उसके लिये माननीय मंत्री जी को कुछ और सोचना पड़ेगा और उसके लिये मैं कुछ और दूसरा उपाय नहीं देखता हूं। न माननीय राजस्व मंत्री जी कोई आकाश कुसुम बनायेंगे, न हम अगर माननीय राजस्व मंत्री की जगह आ जायं तो कोई ऐसी जादूगरी कर देंगे जिससे रोजी और रोटी का मसला हल हो जायगा। हम को उसी प्रकार मसला हल करना पड़ेगा जिससे उत्पत्ति के साधनों पर अपने को अवलम्बित करके सारी जनसंख्या का प्रबंध करना पड़ेगा। हमारे पास जितनी जमीन है उसी जमीन में हम को बन्दोबस्त करना पड़ेगा। अगर छः करोड़ एकड़ जमीन हमारे पास है तो पूरी जनता खेती नहीं कर सकती। प्लाण्ड इकानोमी में जरूरत पड़ेगी की एक खासी तादाद को खेती से हटा कर उद्योग में लगायें। तभी देश की समस्या हल कर सकेंगे। लेकिन फिर भी जो लोग खेती पर रहने वाले हैं और जब तक औद्योगिक केन्द्र न खुल पायें तब तक के लिये तो हमारे लिये आवश्यक होगा कि किसी प्रकार से जो लोग आज बेरोजगार हैं उनको रोजी दें। इसलिये भूमि के बटवारे का प्रश्न जो है उसको माननीय राजस्व मंत्री जी केवल इस दृष्टि से न देखें कि हमको कोई शौक हो गया है कि वक्त बे वक्त किसी तरह की भी बात आये उसमें भूमि बटवारे की बात कर दिया करें। हम जानते हैं कि भूमि बटवारे की बात ऐसी है कि जिसके बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिये जो कि उन्होंने कहा है कि ९० प्रतिशत समस्या हल हो जायगी भूमि जोतने वालों गांव वालों की, की.....

श्री चरण सिंह—मैंने कहा, किसानों की, जो आज किसान हैं।

श्री गेंदा सिंह—ठीक है। किसानों में से ७० फीसदी किसान तो ऐसे हैं जो ढाई एकड़ वाले किसान हैं उनकी भी समस्या हल हो सकती है। ढाई एकड़ का पूरा खेत एक ही जगह होगा तो ढाई एकड़ में क्या खुशहाली कर ली जायगी और मुझसे इसमें माननीय राजस्व मंत्री जी इत्तफाक करेंगे। तो इसलिये ७० फीसदी जो किसानों का तबका है उसमें साढ़े पांच करोड़ के करीब लोग हैं और बाकी जो हिस्सा है उसमें भूमिहीन लोग भी हैं और बड़ी भारी तादाद उनकी भी है। तो फिर उनकी भी समस्या हल नहीं होती।

आज जो मेकेनाइज्ड फार्म्स हैं वह ऐसे हैं कि जो हजार, दो हजार और पांच सौ एकड़ के हैं। उन फार्मों की चकबंदी का कोई प्रश्न नहीं उठता। वह तो आज भी चकों में बने हुये हैं। उनका प्रश्न तो तभी उठता है जब हम उनकी जमीन के बटवारे की बात करें।

श्री अध्यक्ष—आप कानून के बाहर की बात कर रहे हैं। जो चकबंदी से काम नहीं होगा उस दूसरे कानून की बात कह रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—मैंने इस बात को इसलिये कह दिया कि सदन में मैंने जो बातें माननीय रामनरेश जी से और माननीय राजस्व मंत्री जी से सुनीं उनमें चकबंदी विधेयक के बाहर की भी बात आ गयी। इससे ९० प्रतिशत किसानों की समस्या हल हो जायगी और मैंने वह बात कह दी।

अब मैं इस सिलसिले में दो एक बात जरूर कहना चाहता हूं और उसके लिये मुझे राजस्व मंत्री जी क्षमा करेंगे। एक बात तो यह कि इस विधेयक में जहां पर चकबंदी होगी वहां उसके व्यय को उन्हीं किसानों से लिया जायगा। मैं यह समझता हूं कि सरकार के ऊपर अनावश्यक बोझ न पड़े, यह जरूरी है और जब कोई इस प्रकार का काम देश में हो रहा हो जिस में लाखों रुपये का सवाल उठता हो तो ऐसी हालत में अनावश्यक रूप से जो उस से लाभ न उठायें उनके ऊपर सरकार टैक्स करे यह भी मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर चाहता हूं कि सरकार के ऊपर कुछ जिम्मेदारी आती है। चकबंदी हो जाने के बाद या चकबंदी होते हुये भी, जो लोग चकबंदी से संबंध रखेंगे उनसे कुछ रुपया वसूल करने की योजना है कि रुपया वसूल किया जायगा। इस रुपये को यदि वसूल करना है तो चकबंदी जिस समय गांव में हम शुरू करें उस समय हम उनसे अपनी सारी योजना बयान कर दें। अगर हमारा यह विश्वास है कि गांव के अधिकांश लोग, गांव का बहुमत हमारे पक्ष में है, तो चकबंदी के पक्ष में होगा। तो मैं समझता हूं कि उससे हमको कत्तई डरने की बात नहीं है कि हम यदि गांव में पूछने जायेंगे तो गांव के लोग हमसे नाराज हो जायेंगे, इसके विरुद्ध राय देंगे। यह नहीं होगा कि गांव वाले समझ नहीं पाते कि हमारा लाभ है चकबंदी से। अवश्य इस पर थोड़ी देर तक सोचेंगे कि चकबंदी तो हम कराने जा रहे हैं लेकिन चकबंदी में हम से पैसा भी मांगा जा रहा है। तो मेरा तो यह खयाल है कि कोई चीज जो मुफ्त किसी को दी जाती है उसकी थोड़ी कीमत वह लगाता है और समझता है कि मालूम नहीं किस प्रचार के लिये सरकार हमको यह सामान दे रही है। जैसे किसी जमाने में मुफ्त में चाय पिलाने वाले गांव-गांव घूमे और उनका काम यह था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से चीनी के सेस से कुछ पैसा उनको देना था, इसलिये उन से कहा कि तुम जाओ और चाय पिलाने की कोशिश करो तो चीनी की खपत होगी। तो बाद में गांव वाले समझे की चाय वाले यह चाय मुफ्त में क्यों पिलाते हैं, तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि बाद को उनके मन में कोई शिकायत की भावना हो और यह शक उठे कि सरकार जो किया करती है उसके लिये हमारे ऊपर पैसे का बोझ लाद देती है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम उनकी सलाह लें।

दूसरी बात यह है कि जिनके पास थोड़ी जमीन है उनके लिये हमको इस तरह की गुंजाइश करनी पड़ेगी कि उन को गांव के करीब देने का प्रबंध करें। अगर हम उन छोटी जमीन वालों को इस तरह का प्रोत्साहन देंगे तो ज्यादातर तो छोटे खेत वाले हैं ही। जब हम उनकी मर्जी लेने की बात सोचते हैं जब ऐसी बात हम अपने कानून में रखेंगे तो फिर छोटे खाते वाले इससे बड़े होंगे और हमारी चकबंदी की योजना का स्वागत करेंगे। उसमें हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। यह दो एक चीजें मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। बाकी बातों पर इस समय मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता। सेलेक्ट कमेटी बनी हुई है। मैं उस प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं और उसी समय इन चीजों पर विचार करके फिर सदन के सामने यह आवेगा। फिर उस पर विचार करने का अवसर होगा। अन्त में मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिये और प्रांत के समस्त किसानों के लिये वह वास्तव में बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारे इस सदन के सामने चकबंदी का विधेयक मौजूद है। मैं इसके लिये अपनी कांग्रेस पार्टी के मंत्री, राजस्व मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)—प्वाइंट आफ़ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके जरा शब्दों को दुरुस्त कर दीजिये। वह कांग्रेस पार्टी के मंत्री नहीं हैं, सबके मंत्री हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—जो सत्य है वह तो मैंने कहा, लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय, आपकी ऐसी आज्ञा है, इसलिये मैं अपने मंत्री, माननीय श्री चरण सिंह जी को अपने समस्त किसानों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, इसलिये कि हम यह समझते हैं कि इस चकबंदी के बाद एक नयी व्यवस्था कायम करके हम एक नये युग में पदार्पण कर रहे हैं। माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने अपने इस लम्बे भाषण के बाद यह मत प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि इस चकबंदी से हमारे देश के ९० फीसदी लोगों का भला नहीं होगा

श्री गेंदा सिंह—यह कहां कहा मैंने ?

श्री शिवकुमार शर्मा—लेकिन उससे कुछ कम संख्या के लोगों का भला जरूर है। मैं तो इस से भी आगे बढ़ने के लिये तैयार हूं कि जमींदारी प्रथा के समाप्त हो जाने के बाद और चकबंदी के आ जाने के बाद हमारे गांवों और हमारे प्रांतों में एक नये युग का पदार्पण होगा और उसमें यही नहीं कि ९० फीसदी किसानों का भला हो बल्कि ९९ फीसदी जनता उसके बाद आराम की सांस लेने लगेगी, क्योंकि यह ऐसी चीज है कि जिसको हम आधारशिला मानकर कृषि के अन्दर बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। आज तक हमारे किसान और देहात के रहने वाले रात दिन परिश्रम करने के बाद भी, अच्छे-अच्छे बीज का इन्तजाम, अच्छी-अच्छी खाद का इंतजाम होने पर भी यदि धनवान न हो सके, यदि अच्छी पैदावार न ला सके तो इसका मुख्य कारण यही था कि उनकी जमीनें एक जगह न थीं और उनको बहुत काफी समय उसके सुपरवीजन, उसकी देखभाल, रखवाली में, व्यय करना पड़ता था। इसलिये इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने इस बीज को सामने रख कर, विधान सभा के सामने लाकर, जो सेवा इससे की है वह इतिहास में हमेशा स्मरण की जायेगी। इसके बाद मैं माननीय श्री रामनरेश शुक्ल का जिन्होंने कि इस विधेयक को सैलेक्ट कमेटी के सामने भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, अनुमोदन करता हूं और यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर जो विस्तार से जाने की बातें हैं, जो नये सुझाव आयेंगे वह सैलेक्ट कमेटी में जाने पर जो कुछ कमी रह गई है वह पूरी हो जायगी। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बातें बतलाई हैं उनमें मैं यह नहीं समझ पाया कि आया वह जो चकबंदी करने जा रहे हैं, उस चकबंदी का आधार क्या होगा। वह जमीन की क्वालिटी के ऊपर चकबंदी करने जा रहे हैं या इस प्रकार से कर देंगे कि किसानों को उससे कुछ सुविधा मिल जाय। मैं जहां तक समझता हूं कि इस बात पर सैलेक्ट कमेटी विचार करेगी। लेकिन साथ ही साथ मेरी यह भी राय है कि जब विचार करें तो जमीनों की क्वालिटी का ध्यान रख कर और उनका मूल्यांकन करने के बाद इस प्रस्ताव को सामने रखें कि हमें इस प्रकार चकबंदी करनी चाहिये, ताकि अच्छी जमीन वाले किसानों को कम से कम अपने मूल्य के आधार पर जमीनों के दाम प्राप्त हो सकें। यह न हो कि १०० बीघा वाले किसान को ऐसी जमीन मिले जो कि उस जमीन के २० फीसदी मूल्य के बराबर न हो। इसलिये चकबन्दी करते समय यह आवश्यक है कि जमीन के मूल्य के

[श्री शिवकुमार शर्मा]

आधार पर ही चकबन्दी की जाय। यदि आपने यह नहीं किया, और आप की सलेक्ट कमेटी ने भी इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर आप की चकबन्दी का कार्य पूरा नहीं होगा क्योंकि यह प्रश्न पहले से ही किसानों में आया है। जब किसानों के सामने जाने का मुझे मौका मिला तो मैंने देखा कि वे जानते हैं कि चकबन्दी का आधार क्या होगा, इसलिये मेरी राय है कि जमीन की कीमत लगा करके और उनकी श्रेणी करने के बाद ही चकबन्दी की जाय।

दूसरी बात मुझे इस संबंध में यह कहनी है कि माननीय राजस्व मंत्री ने बताया है कि इस कार्य को करने में कौन-कौन आफिसर्स होंगे उन्होंने कहा कि एक असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर होगा, फिर एक जिला कन्सोलिडेशन आफिसर होगा, उसके बाद एक सेटलमेंट आफिसर होगा और एक आर्बिट्रेटर होगा तथा इन सबके ऊपर एक डाइरेक्टर भी बतलाया है। मैं समझता हूं कि जहां तक न्याय प्राप्त करने की बात है वहां इसमें कोई शामिल नहीं है। निश्चय रूप से हमें देखना है कि किसी के साथ अन्याय न हो। असिस्टेंट कन्सोलिडेशन आफिसर के ऊपर मामला जरूर जाना चाहिये परन्तु इसमें यह देखना है कि यदि आपने जिला अधिकारी को आर्बिट्रेशन की पावर नहीं दी तो बहुत कठिनाई होगी। डाइरेक्टर के पास रिवीजन के लिये मामला जाने का मतलब है कि किसान चकबन्दी से जो लाभ उठाना चाहते थे वह लाभ नहीं उठा पायेंगे। दूसरी सलाह यह है कि सेलेक्ट कमेटी यह विचार करे कि तमाम जिलों में ही आर्बिट्रेशन का मामला तय हो जाय और यदि कोई मामला ऊपर जाना है तो उसके लिये जिला अफसरों की एक ऐसी कमेटी बना दी जाय, जो अपना अंतिम निर्णय दे, लेकिन जिलों से किसी प्रकार भी मामला ऊपर नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस संबंध में कोई भी मामला जो चकबन्दी का हो वह ज्यादा से ज्यादा जिला स्टेज तक जाय और प्रान्तीय स्टेज के किसी अधिकारी के पास भेजना ठीक नहीं है। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि सेलेक्ट कमेटी और माननीय राजस्व मंत्री बहुत उदारता पूर्वक इस पर विचार करेंगे क्योंकि चकबन्दी में हर गांव के किसान इस बात की कोशिश करेंगे कि यदि आसानी से चकबन्दी हो जाती है तो उनको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और ग्राम से लेकर जिलों तक उनकी बहुत परेशानी हल हो जाती है। तब वह खुशी खुशी चकबन्दी कर लेंगे किन्तु इसके विपरीत अनुभव हुआ और इसके बाद प्रान्त के डाइरेक्टर के पास रिवीजन करवाने के लिये जाना पड़ा तो इससे गांव की बरबादी होगी और यह उनकी बदकिस्मती होगी, बावजूद अच्छा विधेयक होने के भी उनको लाभ नहीं होगा। इन सुझाव की बातों के बाद मैं श्री राम नरेश शुक्ल को जिन्होंने इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा, हार्दिक बधाई देता हूं और माननीय राजस्व मंत्री को भी अपनी तरफ से व किसानों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि जमींदारी विनाश के बाद चकबन्दी विधेयक लाकर उन्होंने किसानों की मुक्ति का द्वार खोल दिया है। मेरा विश्वास है कि अगर किसान इससे लाभ उठायेंगे तो वह उन्नति कर सकेंगे।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मुझे चकबन्दी के महत्व के ऊपर नहीं कहना है क्योंकि बहुत कुछ जो फायदे हैं और जो इससे लाभ है वह माननीय मंत्री ने बतला दिये हैं, और अन्य साथियों ने भी बतला दिये हैं। यह बिल जो है बहुत इम्पारटेंट बिल है। इस बिल के पास होने की बहुत जरूरत है। लेकिन बिल की जो शक्ल इस वक्त है और जैसा कि यह इस वक्त आया हुआ है, अगर उसी तरह से वह पास किया जाय तो उसमें कुछ खामियां रह जायेंगी। क्योंकि इसमें खामियां और त्रुटियां हो सकती हैं इसलिये मैं श्री राम नरेश शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, कि उसको एक प्रवर समिति को भेजा जाय, उसका समर्थन करता हूं। लेकिन उन वजूहातों पर नहीं जो उन्होंने दिये हैं उन्होंने यह बात कही है कि उसको एक प्रवर समिति को भेजा जाय, इसलिये कि वे समझते हैं कि विरोधी लोग उसके विरोध में कुछ प्रचार कर रहे हैं। इस गरज से मैं इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने के सुझाव को नहीं मानता हूं। मगर वास्तविक रूप से इस बिल में कुछ त्रुटियां हैं और सेलेक्ट कमेटी में जाकर वे खामियां और त्रुटियां दूर की जा सकती हैं। बिल जब ऐक्ट बन जायेगा, तो उसके जो प्रिन्सिपिल्स हैं और जिनकी ओर माननीय मंत्री जी ने ध्यान भी आकर्षित किया है।

वह यह है कि इसमें सरकार की स्वेच्छा पर ही कार्य होगा। चकबन्दी करने में सरकार की स्वेच्छा पर ही सब निर्भर करता है कि वह जहां चाहे चकबन्दी करे, तो इसमें यह बात हो सकती है, कि अगर सरकार कहीं चकबन्दी करना चाहती है, मगर वहां के लोग चकबन्दी पसन्द नहीं करते हैं, और इसके विपरीत दूसरे स्थान में लोग जहां चकबन्दी चाहते हैं, लेकिन सरकार वहां चकबन्दी नहीं करती है, तो इसमें कोआपरेटिव प्रिन्सिपिल या सहयोगिता का स्थान बिलकुल भी नहीं रखा गया है। तो इसके लिये मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जाकर इसमें कोआपरेटिव सिद्धांत की भावना को रखा जाय ताकि जिस गांव के या स्थान के लोग चकबन्दी कराना चाहें, वहां चकबन्दी की जाय और जहां वे चकबन्दी न चाहते हों वहां यह न की जाय। और इसके लिये कोई सिद्धांत प्रिन्सिपिल भी निर्धारित हो जाय तो अच्छा हो। कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग के लिये इस तरह का प्राविजन होना चाहिये ताकि लोगों में यह भावना पैदा हो सके कि यह बिल उन पर एक दबाव नहीं डाल रहा है, बल्कि लोग स्वयं उसको अपनायें, जिससे कि उनको इसके लिये शिकायत नहीं होगी। इस तरह से सरकार ऐसे स्थानों में कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग करें जहां कि लोग चाहते हैं। और ऐसे स्थानों में न करें जहां के लोग न चाहते हों। यह दिक्कत इस तरह से दूर हो जायेगी। इसके लिये मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें कुछ साफ प्रिंसिपिल इस तरह का होना चाहिये।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये जो कन्सोलिडेशन आफिसर्स हैं, और जो उनके लिये रखे गये हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का एक क्लेयर कट प्रिंसिपिल होना चाहिये। और कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स की भी एक क्लियर पालिसी होनी चाहिये। अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने उदाहरण के लिये बतलाया है, एक आदमी की वहां जमीन कन्सालिडेट की जायेगी जहां कि उसकी सबसे ज्यादा जमीन हो और इसके लिये उन्होंने बतलाया कि जैसे ४० बीघा जमीन हो। और इसके बाद दूसरा उदाहरण उन्होंने यह भी बतलाया कि अगर मकान के नजदीक उसकी जमीन हो, तो मकान के समीप उसे भूमि मिलेगी, तो यह दोनों चीजें एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर सकती हैं और इस तरह से ओवरलैपिंग हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जैसा कि मंत्री जी ने कहा, कि अगर पूर्व की दिशा में उसका मकान है और पश्चिम की दिशा में उसकी अधिक जमीन है, तो ऐसी अवस्था में उसके लिये क्या सिद्धांत होंगे। यह सब ऐसी बातें हैं, जिनको कि वहां आफिसर तय करेगा और ऐसी हालत में यह कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स आफिसर पर निर्भर करेगा और वह उसके डिसक्रीशन पर रहेगा, और इस तरह से वह अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। तो मैं सरकार से कहता हूं कि वह इस तरह से उस आफिसर को अपनी पावर मिसयूज करने का मौका न दे।

इस बिल में एक और विशेष बात रखी गयी है और वह यह है कि इसमें अपील की पावर नहीं दी गयी है, अपील सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं रखी गयी है। माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि जो कंसोलिडेशन आफिसर्स होंगे या जो सेटिलमेंट अफिसर्स होंगे उन्हींको जुडीशल पावर होगी और उनकी प्रोसीडिंग्स जुडीशल प्रोसीडिंग्स मानी जायंगी, फिर भी उसमें खामियां मालूम होती हैं। अगर उनको जुडीशल अधिकार होंगे तो माननीय मंत्री महोदय पार्टियों के झगड़े में वकीलों को जाने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे। इस तरह का इसमें प्राविजन हो जो कि सिलेक्ट कमेटी में विचार हो सकता है ताकि पीछे यह खामियां न रह जायं।

इसके साथ आर्बिट्रेशन का प्रिंसिपिल इसमें रखा गया है और वह बहुत अच्छा है, लेकिन मंत्री जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आर्बिट्रेटर जो हो उसको गवर्नमेंट न अप्वाइन्ट करे बल्कि आर्बिट्रेटर के वास्ते ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि जिसमें दोनों पार्टीज सहमत हों। वह कोई आफिशल आदमी हो, चाहे नान आफिशल आदमी हो, चाहे कोई मंडल हो लेकिन उस पर लोगों का विश्वास होना चाहिये, क्योंकि इसमें अपील वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी है। इन वजूहातों को देखते हुये यह खामियां जो इस बिल में हैं यह सेलेक्ट

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

कमेटी में जा करके दूर हो सकती हैं। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय मैं, इस बिल के लिये माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने इस बिल को ला करके किसानों की बहुत पुरानी आशाओं को पूरा करने की कोशिश की, इसके पश्चात् मैं यह भी कह देना चाहता कि जहां किसानों की सुविधा के लिये, उत्पत्ति की बढ़ोत्तरी के लिये और कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स के ऐक्ट को बनाने के लिये यह बिल आया है, वहां पर ऐसा प्राविजन भी होना चाहिये कि देहातों में जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनकी जरूरत पूरी हो सके।

दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस बिल में एक धारा आयी है ३२, उसके अन्तर्गत जैसा कि मैं समझता हूं, ऐसा किया गया है कि अगर मेरी जमीन बीच में है और चार आदमियों की जमीन आस-पास है तो उन चार आदमियों को छोड़कर और किसी के हाथ मुझे जमीन बेचने का या रेहन रखने का हक नहीं है। उन चार आदमियों के अतिरिक्त बाहर का कोई आदमी जो खेती करना चाहता है उस जमीन को नहीं ले सकता है। ऐसी अवस्था में जो फंडामेंटल राइट्स एक आदमी के हैं वे खत्म हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे इस तरह की कोई कमी इसमें न आ जाय जिस की वजह से कोई भी व्यक्ति जो खेती करना चाहता है और तरक्की करके पैदावार बढ़ाना चाहता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस खामी को दूर किया जाय।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अपील की कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी है, वहां जिस तरीके से पिछले दिनों में हुआ वही फिर न हो। देहातों में इस तरह की गुट बन्दी चलती रही है कि उससे हमेशा गरीब आदमी पिसता रहा है। कानून के लिये सब कुछ ठीक होता है पर गरीब हमेशा पिसते ही रहते हैं और इस गुटबन्दी का वह शिकार हो जाता है। इसलिये इसमें कोई ऐसी गुंजाइश न रखी जाय कि गरीब आदमी हमेशा अपनी जमीन की खातिर पिसता रहे और उसको खराब से खराब जमीन दे दी जाय। इस बिल में यह प्राविजन किया गया है कि जिसकी जमीन जहां ज्यादा होगी वहीं पर उसको जमीन देने की कोशिश की जायगी। लेकिन ऐसा न हो करके ऐसी जमीन देने की कोशिश की जाती है, कि जो निकम्मी हो, और दूर से दूर ऐसी जगह पर हो जहां उस गरीब की थोड़ी सी जमीन हो। गरीब आदमी इस तरह से फंस जाता है। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करूंगा कि इन धाराओं के संबंध में यदि उसको अपील का हक दे दिया जाय तो मुनासिब होगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकारी कर्मचारियों का वही तरीका रहा जैसे कि पिछले जमाने में अपील की शक्ल में दरख्वास्तें दी गई, लेकिन पूरी नहीं हो सकीं लेकिन जब वह सिविल कोर्ट में चली गई तो एक महीने के अन्दर तय हो गई। तो इस तरह का रास्ता बने कि गरीब आदमी जो पिसता रहा है, वह पिस्ता रहे और उसके खिलाफ ही मुकदमा तय होता रहे। इसलिये उसको यह सुविधा देनी चाहिये कि किसी को नुक्सान न पहुंच पाये, मैं यही कहना चाहता था, इस संबंध में।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से राजस्व मंत्री जी के व्याख्यान को सुनने की कोशिश की और उन्होंने जो सिद्धांत बतलाया उसको भी समझने की कोशिश की। उन्होंने यह बतलाया है कि चक दो प्रकार के होंगे। अगर किसी गांव में एक तरफ गांव की खेती होती है, और एक तरफ रबी की फसल बोई जाती है तो यह लिहाज किया जायगा कि दोनों के अलग-अलग चक बना दिये जायं, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि धान की खेती में भी कई किस्म की जमीनें हुआ करती हैं, जैसे गोयन, मंझा की जमीन होती और पोली की जमीन होती है। तो किसान की अगर आखिरी हिस्से पर जमीन है तो और

कहीं बदलाव होगा दूसरे किसान से तो क्या उस जमीन की किस्म का लिहाज रखा जायगा या नहीं रखा जायगा। इस तरह का स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया। साथ ही साथ मुझे बहुत ही भय मालूम होता है कि यों तो कन्सोलिडेशन आफ होलडिंग्स से किसी को एतलाफ नहीं है खसूसन इस सूबे के लिये जो कि कृषि प्रधान सूबा है और स्माल होलडिंग्स हैं, इसमें सब की एक राय है कोई दो मत नहीं हैं। मगर थोड़े ही दिन हुये या चन्द साल हुये कि हमारे जिले में रिकर्ड आपरेशन हुआ था जहां पर फरजी इन्दराज हुये। जैसा कि अभी हमारे राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि असिस्टेंट साहब होंगे, सेटिलमेंट आफिसर होंगे, और आरबीट्रेटर साहब होंगे। ठीक है आपने काफी रोक-थाम की है और उस वक्त भी ऐसा ही किया था और सौभाग्य मेरा यह है कि राजस्व मंत्री जी उस समय वहां गये थे और उन्होंने देखा था कि खेत किसी का था और मेंड कोई बांध रहा था। किसी तरीके से लोग इकट्ठा हो जाते थे। यह कहा जाता था कि बताओ किसका खेत है और जो कह देगा उसी का खेत हो जायगा, डेसीशन तो आगे होगा। नतीजा यह हुआ कि हजारों आदमी इकठ्ठा होते थे खेत किसी का होता था कहने वाला कोई दूसरा होता था। न मालूम कितना रकबा गैर लोगों को मिल गया और सही लोग महरूम रहे। सही बात है कि इन्साफ बहुत सस्ता होगा, लेकिन अगर कोई आदमी नायब तहसीलदार से मिल जाय और कहे कि मुझको फलां जमीन दे दीजिये और कहीं नायब तहसीलदार भी राजी हो जाय और उसको वह जमीन देवें तो इसका इन्साफ होगा या नहीं। तो मेरी गुजारिश यह है कि कन्सोलिडेशन आफ होलडिंग्स से किसी को एतराज नहीं है, यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश होने वाला है, मैं जानता हूं कि वहां पर सुझाव होगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ मेम्बरान खुशनोदी की वजह से खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा जिला इस सूबे में सब से बड़ा है और खेती भी वहां पर होती है, बल्कि इसके अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। वहां पर सेलेक्ट कमेटी में उन्होंने बजाय इसके कि कोई माल मुहकमे का आदमी हो क्रिमनल प्रैक्टीशनर जो फर्स्ट क्लास का है उसे डाल दिया है और सही राय वे वहां पर देंगे या नहीं। मुझे हैरत है और ताज्जुब है कि जैसी हकीकत रिकर्ड आपरेशन में हुई कि लोगों के हाथ कट गये, सही आदमियों को खेत मिले नहीं, कहीं इसमें भी गड़बड़ सड़बड़ न हो जायें।

मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि हम पर रहम खावें, चूंकि हमारे पास भी चन्द बीघे हैं और हमारे मुताल्लिक अगर राय देने वाले क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हो गये तो हम महरूम हो जावेंगे। हम यहां पर बहैसियत एक सदस्य के भी हैं और इस सूबे के एक खेतिहर की हैसियत से भी। साथ ही साथ मेरे मित्र रामनरेश जी शुक्ल ने कहा कि जिस बात का प्रचार होना चाहिये वह तो होता नहीं है। प्रचार क्या हुआ कि असेम्बली में और अखबार में आगया कि साहब, यह शोरगुल हो रहा है। यह जमीन गरीब भाइयों के हाथ से छूटने वाली है। हम बहुत इन्तजार करते रहे और आज माननीय राजस्व मंत्री को बधाई देते हैं कि जहां जमींदारी उन्मूलन हुआ अब कोई तरीका निकाला जाय ताकि ९० फीसदी वे खेतिहर जिनके पास खेत हैं उनको भी कुछ अपना उत्थान करने का अवसर प्राप्त हो। हो सकता है माननीय गेंदा सिंह जी यह सोचते हों कि उनके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है जिनके पास खेत नहीं हैं उनके लिये किया जा रहा है जिनके पास वाकई एक बिसवा या एक बिस्वांसी खेत है। साथ ही साथ मेरे भाई जैपाल सिंह जी कहते हैं कि गरीबों और मुफलिसों के लिये इसमें राहत होनी चाहिये। राजस्व मंत्री जी के व्याख्यान को अगर उन्होंने गौर से सुना होता तो यह कहने की जरूरत ही नहीं होती, उन्होंने कहा कि जिनके पास कम से कम जमीन होगी और यह हरिजन भाइयों के पास हो सकती है। यह आबादी के नजदीक की जमीन होगी। वह फरटाइल रहा करती है। तो उनको तो हमने पहला प्रीफरेन्स दिया। तो यहां पर गरीब पददलित नहीं होता। जिस समय भूमि वितरण का सवाल आवेगा उस समय हम कह सकते हैं कि बड़े-बड़े फार्म्स को टुकड़े करके उन गरीब भाइयों में बांट देना चाहिये। हमको विषयांतर जाने की जरूरत नहीं है। असली प्रश्न पर आने से हमारा मतलब हल हो सकता है और राजस्व मंत्री को हम अपनी तरफ मुखातिब भी कर सकते हैं। हमें मौका है कि हम अपने बिखरे हुये

[श्री राम कुमार शास्त्री]

खेतों को एकत्र कर अपनी खेती ऊंचे दरजे पर पहुंचावें। यह न करके यदि हम यह राग अलापने लग जावें कि गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, तो मुझे तो ऐसी बात कहीं नजर नहीं आती।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारे सूबे को ऊंचे दरजे पर पहुंचाने के लिये जहां तक सम्भव हो सके, जहां तक कोशिश हो सके अपनी कोशिश में वह अग्रसर होंगे।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्व मंत्री जी को इस बिल के लाने के लिये बधाई देना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन के बाद जब हम गांव में जाते थे तो लोग यह सवाल करते हैं कि चकबन्दी कानून कब बनने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व मंत्री ने या हमारी सरकार ने एक चीज को सोचा कि खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में हैं और उनको इकट्ठा कर दिया जाय, उनकी चकबन्दी कर दी जाय। मगर इस बिल के पास हो जाने पर एक नहीं, हजारों फायदे हैं जिनमें कि करोड़ों का खर्चा होता। वह इस तरह से है कि जैसा राजस्व मंत्री जी ने ही बताया और प्लानिंग की बहुत सी स्कीमें इसके जरिये से बहुत आसानी के साथ तय हो जाती है। यही नहीं बल्कि जितने झगड़े होंगे वह भी किसी न किसी तरीके से बहुत आसानी से तय हो जायेंगे और वह अपनी उन्नति को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। मसलन् जहां ९० फीसदी गांव वाले ऐसे होते हैं। वहां दो चार फीसदी ऐसे होते हैं जो कोई तरक्की नहीं चाहते। नतीजा यह होता है जो गांव के लिये कुछ उन्नति भी करना चाहते हैं वे भी कानून की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि बिल से जाहिर होता है और जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया भी और एक बार पंचायत के प्रोग्राम में रेडियो पर भाषण करते हुये कहा था उससे यह बात स्पष्ट मालूम हुई थी कि जितनी भी दिक्कतें आज तक गांव वालों के सामने आती थी वह सारी की सारी हल हो जाती है। इसलिये हम कह सकते हैं कि दरअस्ल जमींदारी के टूट जाने के बाद और इस कानून के पास हो कर लागू हो जाने के बाद और चकबन्दी हो जाने के बाद दरअस्ल अगर गांव में कमी रह जाती है तो सिंचाई का इंतिजाम जहां नहीं है वहां तो वह मसला रह जाता है वर्ना और सारे मसले आसानी के साथ हल हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिये सारे के सारे मसले यानी तरह तरह के मुकदमें वगैर जो जायदाद और खेतों के होते हैं खत्म हो जायेंगे और लोग उससे राहत पा जाते हैं। इसलिये गांवों की तरक्की दरअस्ल तो तब होगी जब कि खेतों की चकबन्दी हो जायेगी, ऐसा मैं समझता हूं। इसके साथ ही जब कि यह बहुत बड़ी चीज हो रही है यह मैं नहीं कहता कि इसमें दोष नहीं है। सारी सृष्टि ही गुण-दोषमयी है। मैं यह नहीं कहता कि इससे किसी को असुविधा नहीं होगी, लेकिन अगर ज्यादा लोगों को सुविधा होगी तो इससे असुविधा बहुत कम लोगों को होगी। हमारे कुछ माननीय सदस्यों को ही अभी यह शक हो रहा था कि कहीं किसी को हलके खेत और किसी को अच्छे खेत मिल जायेंगे। यह हो सकता है कि किसी को अच्छे खेत मिल जायं और किसी को जरा हलके खेत मिल जायं, लेकिन उससे क्या होगा जब बहुत बड़ी खूबी की बात होने जा रही है और सारे लोगों का फायदा हो रहा है यही नहीं बल्कि उसकी खेती का भी फायदा हो रहा है और वह दो चार साल में मेहनत करके उस कमी को पूरा कर लेगा तो वह इतनी छोटी सी चीज के लिये परवाह नहीं करेगा।

इसके अतिरिक्त जो सैटिलमेंट आफिसर, असिस्टेंट कन्सोलिडेशन आफिसर आदि रखे गये हैं मैं यह नहीं कहता कि उनको इतने अधिकार नहीं देने चाहिये। लेकिन गवर्नमेंट तो महज उनका ऐप्वाइंटमेंट करेगी, ऐसे आफिसरों को नियुक्त किया जाना चाहिये जो न्यायप्रिय हों और लोगों के आपसी मतभेदों में किसी पक्ष का सहारा न लें। जो दरअस्ल किसी तरह से पक्षपात न करें, जो पक्षपात या अन्याय करते समय भगवान से डरते हैं, कम से कम ऐसे आदमियों को इतनी जिम्मेदारी काम दिया जाना चाहिये वरना जो इतना बड़ा फायदा सोच हैं उसके बजाय उल्टे नुक्सान हो सकता है। इसलिये इन तमाम चीजों का ख्याल करना चाहिये।

इसके साथ ही साथ एक चीज और मेरे दिमाग में है और वह कहीं भी साफ नहीं हुई है। पता नहीं बाद में माननीय राजस्व मंत्री उसको साफ करेंगे या नहीं। गांव में एक आदमी है उसके दस बीघे खेत हैं। एक गांव में ५ बीघे और ५-१० गांव में बाकी ५ बीघे के खेत तो बकिया जगहों पर और काश्तकार रहेंगे और उसकी होल्डिंग्स रहेगी तो उसको एक बीघे पर वह ५ बीघे मिल जायेंगे, इसके लिये क्या है, इसको तो माननीय राजस्व मंत्री जी ही साफ करेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं श्री रामनरेश जी शुक्ल के प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं क्योंकि बिल एक बेसिस पर आता है। अगर यह प्रवर समिति में चला जायगा तो इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को इसके विचार करने में काफी समय मिलेगा और सदन का समय भी बचेगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को इस हिम्मत वाले काम के लिये बार-बार बधाई दूंगा और आशा करता हूं कि वह इसको इस तरह से चलायेंगे जिससे काश्तकार का ज्यादा से ज्यादा हित होगा।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक इस भवन में प्रस्तुत है उसकी उपयोग्यता सर्व सम्मत है। इसके संबंध में हमारे मंत्री महोदय ने विस्तार के साथ बतलाया है। अब इससे यह निश्चित है कि उत्पादन भी बढ़ेगा अपने देश का और आज जो हमारे देश की बड़ी समस्या है वह उत्पादन की ही है लेकिन अब जब कि चकबन्दी होगी और उनका जो वक्तव्य हुआ उसको मैंने सुना लेकिन मैं यह नहीं जान सका कि यह मैनेजमेंट कमेटी किस तरह से प्रबन्ध करेगी। मेरा यह अनुरोध होगा कि वह सानुपात रूप से हो बाकी प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन से हो, क्योंकि गांव सभायें और पंचायतें एक बहुमत के आधार पर हैं और जो अल्पमत में है उनके खेत खराब हो जायं तो यह एक बड़ी बात होगी। इस तरह से हर एक अल्पमत का इसमें योग मिल जायगा। इस तरह से आपने कहा कि शजरा, खसरा और खतौनी के साथ वह अधिकारी जायगा लेकिन मैं यह नहीं जान सका कि आप फिर रिसर्वे करते हैं या नहीं क्योंकि आमतौर से सब खेतों का रकबा बढ़ गया। इसलिये अगर इस तरह से रिसर्वे कर लें और रिकार्ड आपरेशन भी साथ ही साथ कर लें तब ज्यादा सफलता होगी। मैं समझता हूं कि विधेयक में यदि यह है तो अच्छा है, नहीं तो हमारी प्रवर समिति इस पर विचार अवश्य करेगी और यह भी अच्छा है कि प्रवर समिति में जाय क्योंकि बहुत से किसान भी अच्छे और व्यावहारिक मत दे सकते हैं।

यह सही है जो श्री जयपाल सिंह ने कहा कि खेतिहर मजदूरों का क्या होगा। मैं भी कहता हूं कि इससे सर्वोदय होने वाला है और वही होने वाला है जो हमारे देश के लिये महात्मा गांधी जी ने इच्छा की थी। वह पूर्ण होगी। लोगों के पास जो बड़े-बड़े खेत थे और वह चारों तरफ बिखरे हुये थे और उनकी व्यवस्था करने के लिये दूसरों को देने पड़ते थे। अब चकबन्दी हो जायगी तो उन्हें किसी दूसरे को अपने देने की जरूरत नहीं रहेगी और उन किसानों से खेत भी नहीं निकलेंगे तो वह उसका स्वागत करेंगे और आने वाली सामाजिक क्रांति से भरा हुआ हमारा भारतवर्ष इसका स्वागत करेगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि इन बातों के लिये हमें बड़ा आभारी होना है। जिस तरह से हमने जमींदारी अबालीशन किया है उसी तरह से यह कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स भी होगा। जिसका परिणाम यह होगा कि सब लोग इसके स्वागत की ओर बढ़ेंगे।

एक भाई ने कहा कि किसानों के ऊपर खेतों की वजह से आज प्रेशर ज्यादा हो रहा है और वह उनका काम करते हैं और सबको जीविका नहीं दे सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था जब आयगी जब आप काम और जीविका की गारंटी देंगे तभी वह लोग अपने खेतों को छोड़ सकते हैं। इसी लिये आज इन्हीं कारणों से एक आदमी अपना एक पैर नौकरी में डाले हैं, एक खेती में फंसाये हैं और तीसरा अपना पैर पान की दुकान में लगाये हैं

[श्री रामजी सहाय]

क्योंकि गवर्नमेंट को उसकी जीविका के लिये कोई रिसपान्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट उसकी जीविका के लिये जिम्मेदार नहीं है। इसलिये मजबूर हो कर उसको यह करना पड़ता है। जब हम एक चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें उन चीजों की भी अन्ततोगत्वा प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी का विधेयक जो आज राजस्व मंत्री की तरफ से पेश किया गया है जमींदारी उन्मूलन के बाद यह एक दूसरा बड़ा क्रांतिकारी क़दम है। इससे किसानों की आर्थिक हालत में एक बड़ा भारी सुधार होगा। चाहे वह छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो उसको एक बड़ा भारी लाभ होगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि खेतों में जानवरों के साथ साथ आदमियों के जरिये भी बड़ा भारी नुक़सान होता है। हम अपने गांव में और आसपास के गांव में यह पाते हैं कि बहुत से लोग खेतों में से चारा या दूसरी चीजें काट कर ले जाते हैं। किसान अपने खेत की देखभाल नहीं कर सकता और इसलिये उसको बहुत नुक़सान उठाना पड़ता है। इसलिये एक जगह पर उसकी जमीन होने से, चकबन्दी होने से ये तमाम नुक़सान जो जानवरों से और आदमियों से होते हैं वे खत्म हो जायंगे और किसान को बहुत लाभ होगा। किसान के लिये यह भी लाभ होगा कि किसान को अलग-अलग जमींन होने से वक्त ज्यादा देना पड़ता है और वह उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी कि उसे करनी चाहिये। जब एक जगह पर उसका खेत होगा, वहीं उसकी खाद होगी वहीं मवेशी होंगे, वहां उसकी झोपड़ी होगी तो वह ज्यादा मेहनत कर सकेगा और रखवाली भी ज्यादा कर सकेगा। इस तरह से उसे तीन-चार तरह के फायदे होंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और उसकी माली हालत में काफी सुधार होगा।

इस क़ानून से आगे चल कर एक अन्देशा होता है। एक ख़तरा किसान के सामने आ सकता है और वह ख़तरा जो चकबन्दी करने वाले सरकारी कर्मचारी होंगे उनके कारण हो सकता है। बहुत से गांव में जहां पहले क़ानून के मुताबिक़ चकबन्दी हुई हैं उनमें यह देखा गया है कि बड़े झगड़े पैदा हुये हैं। उनसे किसानों में आपस में बड़ी मुक़दमेबाजी हुई है और किसानों को काफी रुपया ख़र्च करना पड़ा है। उनकी जमीन की चकबन्दी ठीक से न होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों पर है। वे लोग आमतौर से गांव में जो बड़े-बड़े जमींदार हैं या गांव का मुखिया है या जिनकी माली पोजीशन अच्छी है उनके यहां ज्यादातर ठहरते हैं, उनके पास बैठते हैं, और सलाह मशविरा करते हैं और उनकी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि जो छोटा किसान है, जो ग़रीब किसान है जिसकी पहुंच उन तक नहीं होती उसे नुक़सान होता है और ख़राब से ख़राब चक उसे दे दिया जाता है। आगे चल कर इस बात का ख़तरा अब भी उसके सामने है लेकिन इस बिल में यह कोशिश की गयी है कि कम से कम करप्शन हो, इस बिल में इस बात की कोशिश की गयी है कि छोटे किसानों को गांव के नजदीक जमींन मिल सके और काफी इस बात के ऊपर विचार किया गया है कि जहां तक हो सके छोटे किसान को अधिक से अधिक लाभ इसमें पहुंचे, लेकिन एक बात जो दिखाई देती है वह यह है कि जब चकबन्दी वहां पर शुरू होगी तो ये आफिसर वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जो बड़े जमींदार होंगे, उनसे जब उनका ताल्लुक़ पहले से है, आमतौर से दोस्ती होती है और नायब तहसीलदार और दूसरे लोग होंते हैं वह अपना ताल्लुक़ उनसे जोड़ेंगे और उसकी वजह से काफी परेशानी और दिक्क़त होगी और छोटे किसान को काफी नुक़सान होने का अन्देशा है। राजस्व मंत्री से और प्रवर समिति के सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि आगे जब सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार होगा तो वह इस बात पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और इस तरह के ताल्लुक़ात और मेल-जोल से गांव में बड़े आदमियों के यहां जा कर जो लोग ठहरते हैं जिससे किसानों को हानि होती है उस हानि से बचाने के लिये पूरी-पूरी कोशिश की जाय और खासतौर से चकबन्दी के वक्त सरकारी अफ़सरों को इस बात की हिदायत दी जाय कि किसी व्यक्ति विशेष के मकान पर जा कर न ठहरें। किसी व्यक्ति विशेष के यहां जा कर खाना न खायं, किसी व्यक्ति विशेष

से कोई चीज वह ग्रहण न करें, पंचायतघर में या चौपालों में जहां किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है अपना काम शुरू करें। ऐसा न करने से किसानों में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है। चकबन्दी के लिये किसानों में बड़ा उत्साह है, हर किसान चकबन्दी चाहता है और चाहता है कि जल्द से जल्द वह हो, लेकिन जैसा गांव के किसान कहते हैं और जैसा मैंने अपने यहां के आस-पास के इलाकों में सुना है वे इस बात से डरते हैं कि इस चकबन्दी से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचेगा तो ज्यादातर बड़े किसानों को या बड़े जमींदारों को होगा, छोटे किसानों को उससे काफ़ी नुक़सान पहुंचने का अन्देशा है।

इस संबंध में और ज्यादा न कहते हुये सिर्फ राजस्व मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चकबन्दी के विधेयक पर जब विचार किया जाय उस समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि छोटे किसान को जहां गांव के नजदीक जमीन दी जाय वहां एक बात पर और विचार किया जाय कि बड़े किसान के लिये यह कोशिश की जाय गांव से जो दूर जमीन पड़ती हो वह उसको देने की कोशिश की जाय क्योंकि बड़े किसानों के पास बड़ी जमीनें होती हैं एक एक मील तक उनके पट्टे चले जाते हैं और गांव के नजदीक से उनकी जमीन शुरू हो जाती है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि गांव में दो क़िस्म की जमीन होती है या एक ही क़िस्म की जमीन मानी जाती है, लेकिन किसी हिस्से में पानी है और दूसरे में पानी नहीं है। तो कुछ किसानों में इस तरह की भावना भी है कि वह यह चाहें कि हमें ख़राब जमीन ही चाहे दी जाय लेकिन हमारा एक चक ही हो। तो इस तरह की भी उसमें कोई चीज रखी जाय कि अगर कोई किसान यह चाहे कि वह ख़राब जमीन लेकर भी एक जगह चाहता है दो या तीन के बजाय जैसा कि इसमें कहा गया है कि दो या तीन चक हो सकते हैं तो उसके लिये इसमें एक शर्त रखी जाय कि अगर कोई किसान अपनी खुशी से चाहता हो कि चाहे मुझे ख़राब ही जमीन क्यों न मिल जाय लेकिन एक ही चक हो तो उसका एक ही चक बना दिया जाय।

इतना कहते हुये मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इससे बड़ा भारी परिवर्तन होगा किसान की आर्थिक दशा में और उनका उत्पादन बढ़ाने में और इसके साथ साथ जो आपस में झगड़े और पार्टीबन्दी होती हैं और जो सामूहिक काम करने में कठिनाइयां होती हैं उस तरफ़ भी काफी लाभ पहुंचेगा। मैं तो यह कहता हूं कि इसमें रचनात्मक काम प्लानिंग की तरफ से या सरकार की तरफ़ से किया जायगा, चकबन्दी में उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। मैं भी यह कह सकता हूं कि इससे एक नैतिक बल भी किसान में बढ़ेगा, वह अपने खेत में ज्यादा मेहनत करेगा। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी को फिर बधाई देते हुये समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर विचार किया जायगा।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ़्फ़रनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस चकबन्दी विधेयक का स्वागत करता हूं और राजस्व मंत्री जी श्री चरण सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को इस भवन के सामने प्रस्तुत किया। वास्तव में हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत बहुत ही शोचनीय है उनके खातों का जो रक़बा है वह बहुत ही सीमित है और छोटा है और अगर हम १० एकड़ की एकोनामिक होल्डिंग मानें तो ९५फीसदी खाते ऐसे हैं जो अलाभकर हैं। लेकिन अगर साढ़े छः एकड़ को लाभकर माना जाय तो ८५ फीसदी से ऊपर ऐसे किसान होंगे जिनके खाते अलाभकर होंगे। एक तरफ तो उनके खाते अलाभकर हैं और दूसरी तरफ़ उनके खेत बिखरे हुये हैं। अगर एक खेत पूर्व में है तो एक पश्चिम में, यहीं तक नहीं मुख्तलिफ गांवों में भी उनके खेत बिखरे हुये हैं। इस कारण से हमारी पैदावार में बहुत कमी हो रही है। लेकिन ७५ फीसदी हमारी जनता काश्तकारी के कामों में ही लगी हुई है। अगर कोई क़दम उनकी दशा को सुधारने को उठाया जाता है तो वह न्यायसंगत है। मैं यह नहीं मानता कि चकबन्दी से हमारे काश्तकारों की दशा ऊंची हो जायगी या उससे ऐसे खेत बन जायेंगे जिनके ऊपर काश्तकार अपने जीवन का निर्वाह कर सकेगा, लेकिन मौजूदा समय

[श्री केशव गुप्त]

में हम इन खेतों को लाभ कर नहीं बना सकते। वास्तव में यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है क्योंकि दस एकड़ की खेती को लाभ कर मानते हुये यदि हम दुबारा वितरण की समस्या को रखें तो केवल ४० लाख काश्तकारों को भूमि मिल सकेगी और जो काश्तकारों की संख्या एक करोड़ २२ लाख है उसमें से ६०,६५ लाख के क़रीब काश्तकार बिना भूमि के रह जायेंगे और बेकार हो जायेंगे। इसलिये हम समस्या को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जायेंगे। इसलिये मैं यह विश्वास करता हूं कि इस समय यह चीज संभव नहीं है और न यह सरकार ही इस योग्य हो सकेगी कि वह इस वितरण की समस्या को ले सके। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी मीटिंग में ऐग्रेरियन कमेटी बिठाई तो उस कमेटी ने भी इस बात पर जोर दिया कि दुबारा वितरण की समस्या को देखा जाय। तब भी मौजूदा समय में और मौजूदा शासन में मैं इसे संभव समझ रहा हूं लेकिन कम से कम यह खेतों की चकबन्दी कुछ न कुछ समस्या अवश्य ही हल कर सकती है और मैं आशा करता हूं कि इस चकबन्दी से काश्तकारों की कुछ न कुछ समस्या अवश्य हल होगी। लेकिन चकबन्दी के साथ साथ कुछ दिक्कतें भी हमारे सामने हैं। अगर पहले के खेतों के इतिहास को देखा जाय तो हमें यह पता चलेगा कि खेती करने का आरंभ चकों से ही हुआ, चकों में ही खेती आरंभ हुई, लेकिन बाद को जब उनका बटवारा हुआ तो एक पूर्व को गया और दूसरा पश्चिम को और तीसरा उत्तर को गया और इस प्रकार से खेत अलग अलग हो गये लेकिन उनका आरंभ चकों में ही हुआ। चकबन्दी से शुरुआत हुई लेकिन विरासत के कानून आ जाने के कारण चकबन्दी में तरमीम होती चली गयी और आज भी यही दशा हो सकती है वे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जायंगे। तो आज अगर हम चकबन्दी कर देते हैं, लेकिन हमारे दूसरे कानून ऐसे हैं जिनके द्वारा तकसीम होते होते वही दशा हो सकती है जो हमारी आज है। हमने एक भूमि व्यवस्था कानून बनाया है जिसमें काश्तकार को हिबा करने और बयनामा करने का हक़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—क्या आप अभी और ज्यादा बोलना चाहते हैं?

श्री केशव गुप्त—जी हां।

मालमंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में पहला प्रस्ताव बराबर इसको चलाने का है लेकिन मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको कल न ले कर अगर परसों जारी रखा जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, परसों हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बाहर जाने वाले हैं। इसलिये परसों से न होकर मंडे से हो तो मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति न होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं बात यह है कि क़रीब-क़रीब दो तीन आदमी ही बोलने वाले हैं। अगर आज ही समय बढ़ा दिया जाय तो क्या बात है? थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाय तो यह आज ही खत्म हो सकता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर बोलने वाले नहीं होंगे तो बहुत जल्दी हो जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशव गुप्प—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अब जब कि जमींदारी विनाश कानून के अन्दर हमने काश्तकारों को बैनामे करने का अधिकार दिया है, अभी तक वसीयत का क़ानून जारी है और अभी तक तकसीम का क़ानून भी हमने माना है हालांकि उस कानून के अन्दर सवा ६ एकड़ की सीमा तय कर दी गयी है। आज रजिस्टरी आफिसेज के अन्दर जाकर देखें तो पता चलेगा कि काश्तकार लोग धड़ाधड़ बैनामे अपनी भूमि के कर रहे हैं, जमीन एक हाथ से निकल कर दूसरे हाथ में बराबर चली जा रही है। इसलिये चकबन्दी करते हुये अगर यह कानून जारी रहा और काश्तकारों को अधिकार रहा कि वे अपने खेत बेंच सकेंगे, या वसीयत कर सकेंगे, गिफ्ट कर सकेंगे और टुकड़े टुकड़े में नीलाम करने के अधिकार रहें तो चकबन्दी करने का जो उद्देश्य है तथा जो पांच वर्ष की मेहनत से यह चीज की गयी है वह चकबन्दी बे चकबन्दी में तब्दील हो जायगी। इसलिये मैं इस बात की चेतावनी करना चाहता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे चकबन्दी के क़ानून में इस प्रकार की भी रोकथाम रखें जिससे आयन्दा जा कर यह चकबन्दी टूट न जाय और आगे चल कर उससे जो लाभ सूबे को होने वाला है वह लाभ न पहुंच सके। मैं यह भी मानता हूं कि जहां चकबन्दी में बहुत कुछ लाभ है वहां अलाभ भी है, जैसा कि हमारे माननीय श्री राम कुमार शस्त्री जी ने कहा कि मुमकिन है असिस्टेंट कलेक्टर चूंकि नायब तहसीलदार के पद के होंगे उनसे कुछ नुकसान पहुंचने की सम्भावना रहे और शायद कुछ अन्याय हो। यह भी सम्भावना है। अगर पूरा चक का चक तब्दील हो जाय तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के भी जैसा कि श्री रामकुमार जी ने कहा चकबन्दी में लाभ ही है। बावजूद इसके कि कहीं कहीं अन्याय भी होगा इस चकबन्दी से मैं समझता हूं कि सभी जनता का भला होगा, देश का भला होगा, प्रान्त का भला होगा, खेती की पैदावार बढ़ेगी, और यही कारण है कि इस क़ानून में परिवर्तन होने जा रहा है। इस लिये इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं और अन्त में फिर माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कानून को हमारे सामने पेश किया।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जमीन का बिना माकूल बटवारा किये अगर यह चकबन्दी कानून लागू किया गया तो यह सफल नहीं होगा। तो यह बुनियादी तौर पर सन्देह है कि जो कुछ कार्य यह सरकार कर रही है उससे देहात के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक बात आप देखें कि एक आदमी जो भूमि से जीविकोपार्जन करता है उसकी ५ बुनियानी मांगें होती हैं। पहले तो यह कि जमींदारी प्रथा का खात्मा हो। दूसरी यह कि खेती की चकबन्दी हो। तीसरे उसकी सिंचाई का पूरा इंतजाम हो। अच्छा बीज और अच्छे खाद का इन्तजाम हो। जहां तक जमींदारी उन्मूलन का संबंध है उसका आज विषय नहीं है और उस पर काफ़ी विवाद हो चुका है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ने जो भूमि व्यवस्था या भूमि सुधार व्यवस्था लागू की है उससे देहात से संबंधित जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसे ही रह गया है। शोषण में भी कोई बुनियादी तौरपर फर्क नहीं है। केवल उनके प्रकार, रूप और नाम में परिवर्तन हुआ है। हमारे इस देश में लाखों खेतिहर मजदूर ऐसे हैं कि जो ग़रीब किसान हैं और जिनके पास केवल नाम मात्र को जमीन है। उनके लिये यह चकबन्दी कानून क्या फ़ायदा करेगा, यह मैं माननीय मंत्री जी की स्पीच से समझ नहीं सका। यह कानून इस प्रकार का होगा कि जैसे एक लंगड़े आदमी के दरवाजे से एक बढ़िया सड़क निकाल दी जाय। यह बेचारा लालच में आकर सड़क पर सब मोटर और सवारियों को और आदमियों को चलते देखा करेगा लेकिन वह उस सड़क का प्रयोग नहीं कर सकेगा। इस कानून के लागू होने से जहां तक फायदे का संबंध है यह उसी तरह से होगा। मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूं कि इससे फायदा होगा लेकिन केवल उन लोगों के लिये फायदा होगा जिसके पास जमीन है और जिनके पास खेत है। उनके लिये इससे कोई फायदा नहीं होगा जिनके पास खेत नहीं है, जो बिना जमीन वाले किसान हैं उनके लिये इसमें कोई फायदा नहीं होगा। उनकी संख्या हमारे प्रदेशमें दो तिहाई के लगभग है।

[श्री झारखंडे राय]

दूसरी बात यह है कि इस कानून के लागू होने से एक बात जरूर है कि कानून बनाने वालों का जो इरादा है वह जरूर सिद्ध होगा। मौजूदा सरकार के जो समर्थक हैं उनका एक वर्ग देहात में पैदा हो जायगा। जो बड़े किसान हैं या जो मंझले किसानों में ऊपर के स्तर के हैं उनको इससे फायदा होगा और वह इस मौजूदा सरकार के समर्थक होंगे। उनकी पैदावार जरूर बढ़ेगी। उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी। लेकिन ऐसे लोगों की तादात देहात में बहुत कम है और उनका बहुत कम प्रतिशत है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस कानून के लागू होने से इस कानून के बनाये जाने से और हमारे प्रदेश के अन्दर लागू होने से वहां के खेतिहर मजदूरों का, गरीब किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा केवल ऊपर के स्तर के लोगों का और बड़े किसानों का होगा। इससे मौजूदा सरकार का समर्थन करने वाला एक वर्ग पैदा हो जायगा।

जहां तक इस चकबन्दी कानून के बुनियादी फायदे या लाभ का सवाल है जिसका जिकर माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में किया है उससे किसी की दो राय नहीं हो सकती हैं लेकिन उसके पहले यह जरूरी है कि एक समुचित आधार पर जमीन का बटवारा फिर से किया जाय और उसके बाद यह कानून लागू किया जाय तो देहात के रहने वाले और खेती करने वाले व्यक्तियों का लाभ हो सकता है। उनके लिये यह भी जरूरी है कि उनकी जो ५ मांगें हैं कि उनको जमीन मिले, उसके लिये सामान मिले, सिंचाई का इंतजाम हो, खेती की चकबन्दी हो, अच्छा बीज मिले और अच्छे खाद का इन्तजाम हो तो तब यह चकबन्दी कानून लागू किया जाय तो उससे लाभ हो सकता है। लेकिन लंगड़ी भूमि व्यवस्था के लागू होने के बाद और लंगड़ी चकबन्दी व्यवस्था के होने के बाद जो देहात की समस्या है वह तो जैसी आज है केवल वैसी ही रह जायगी केवल उसके प्रकार और रूप में फर्क पड़ जायगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय चेयरमैन महोदय, जहां तक कि इस कानून का संबंध है मैं अपने राजस्व मंत्री जी को उसके लिये बधाई देता हूं। जैसा कि अभी बहुत से सज्जनों ने कहा कि जब कभी भी हम चुने हुये लोग देहात में जाते हैं तो सबसे पहले वहां लोग यानी एलेक्ट्रेट पूछते हैं कि वह चकबंदी का कानून कब आ रहा है। हमारे सूबे के लिये यह बहुत अच्छा सुवर्ण अवसर है कि आज हम इस कानून को यहां देख रहे हैं। कई बातें इस कानून के संबंध में लोगों ने उठाई हैं। सब से पहली बात तो उन लोगों के बारे में कही गई कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको कोई लाभ नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि इस कानून से केवल काश्तकारों का ही लाभ न होगा बल्कि ऐसे लोगों का भी लाभ होगा कि जिनके पास भूमि नहीं है। इसके लिये एक बात इसमें बड़ी मार्मिक रखी गई है। वह यह है कि ले आउट में सारे कामों के लिये अलग जमीन का प्रबंध किया गया है। इसलिये वह आदमी जिनके पास जमीन बिलकुल नहीं है, उनके मकान के लिये, चरागाह के लिये, रास्ते के लिये, स्कूलों के लिये जमीनें मिल सकेंगी तो यह लाभ केवल उन किसानों को ही नहीं होगा जिन के पास जमीनें हैं बल्कि उनको भी होगा कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं, इसलिये उनको भी चिन्ता नहीं होनी चाहिये, जिनके पास जमीनें कम हैं या बिलकुल नहीं हैं।

दूसरी एक और थोड़ी सी कमी मैं इसमें देख रहा हूं वह यह है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको ऐसी जगह दी जायगी जो उनके लिये सब से ज्यादा लाभकर हो, जैसे गांव के पास की जमीन लेकिन मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ यह भी विचार रखना चाहिये कि इन सब छोटे छोटे काश्तकारों को जहां तक मुमकिन हो एक ही जगह जमीनें दी जायं। इसका लाभ यह होगा कि अगर उनको एक जगह ही जमीन मिलेगी तो वह सब लोग अगर इकट्ठा हो कर, अच्छे दिन आते हैं तो, खेती कर सकेंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और दूसरी बात इस में यह भी है कि आफिशियल एजेंसी द्वारा यह चकबंदी कराई जायगी। लैन्ड मैनेजमेंट कमेटियों की जो हालत है उसको देखकर तो मुझे डर सा लगता है। अगर नायब तहसीलदार के स्तर के लोग चकबंदी का काम करते हैं जो कि एक बुनियादी

काम है और शुरुआत का काम है उनके द्वारा कराना जरा खतरे की सी बात मालूम होती है। इतने छोटे स्तर के लोगों को इतना बड़ा काम देना जब कि जमीनें हमेशा के लिये इधर उधर पलटी जा रही हैं, खतरे से खाली नहीं है और खास कर ऐसी हालत में जब कि हमारे यहां भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी और प्रवर समिति के सामने यह विचार रक्खूंगा कि वह इस बात का ध्यान रक्खें। एक तरह से तकसीम की सी बात होगी जैसे लोग तकसीम में कहा करते थे कि जमीन की दोबारा खरीदारी सी होती है। उस वक्त बीच के लोग जो अमीन वगैरह होते थे वह घर भर लेते थे। ऐसा अब न होना चाहिये। इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिये और ऐसा न हो कि फिर वही चीजें चलें और बजाय नफे के और नुकसान हो जाय।

एक और कमी इस कानून के अन्दर नजर आती है वह यह है कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर किसान आपस में अपनी चकबंदी खुद करना चाहें तो इसमें उन लोगों के लिये कोई खास प्रबंध नहीं है। इस तरह की व्यवस्था होना आवश्यक है कि जो लोग अपनी चकबंदी स्वयं चाहें उनको पूरा मौका रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस से सरकार को भी लाभ होगा और उन लोगों का भी नफा होगा और तीसरी बात हालांकि वह इस कानून से संबंध नहीं रखती, मगर मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिन इलाकों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर भी जब कि वहां चकबंदी हो रही है ट्यूबवेल वगैरह की चकबंदी करे तो मैं समझता हूं कि वह दिक्कत जो कि आज हमारे सामने नजर पड़ती है कि छोटे छोटे गांव की तरफ वाली या अच्छी जमीन लेने की कोशिश करें मगर अगर ऐसी व्यवस्था कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो जाय, कुछ थोड़ा बहुत सामान या बिजली मिल जाय तो मैं समझता हूं कि बड़े बड़े काश्तकार, बड़ी जमीनों को जो वैलुएशन के हिसाब से मिलेंगी जिसको दूसरे लोग लेना कम पसंद करेंगे जिसको छोटे काश्तकार अच्छी तरह से डेवलप भी नहीं कर सकेंगे वह बड़े काश्तकार ले लेंगे। इस चीज का गवर्नमेंट को पहले से ही ख्याल रखना चाहिये जिस वक्त वह चकबंदी करने के लिये किसी इलाके में जाते ह।

एक दूसरी बात जो अभी माननीय केशव गुप्त जी ने सदन के सामने रखी है मैं समझता हूं कि वह भी एक काबिले गौर बात है कि अगर चकबंदी हम कर भी लेते हैं तो आइन्दा चल करके ऐसा समय आ सकता है कि वह चकबंदी फिर से टूट जाय। तो जब तक कि ऐसी व्यवस्था हमारे गांवों में न हो कि जो चकबंदी हमने की है वह बहुत अर्से तक स्थायी रह सके या कमसे कम उस समय तक स्थायी रहे जिस समय भाई भाइयों में या, बाप के बच्चों में जब कि वह जमीन बिरासत में मिलती है, तो चक फिर से बंट जाता है।

एक बात और है। इसमें जो बाग को चकबंदी में न आने की व्यवस्था रखी गयी है वह एक प्रकार से तो बहुत अच्छा है। मगर मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ यही व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर कोई किसान यह समझे कि मेरी जमीन तो इधर रहेगी जिधर मेरा बाग है और वह बाग को चकबंदी के साथ बदलना चाहता है। तो उसके लिये यह व्यवस्था करनी चाहिये कि अगर किसान चाहें तो बाग भी बदल सकते हैं। मैं समझता हूं कि दो चार सुझाव मैंने रखे हैं, शायद प्रवर समिति के सदस्यों को लाभकारी साबित होंगे।

मैं फिर माननीय मंत्री जी को इसके अच्छे कानून के लिये बधाई देता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज सदन के सामने चकबंदी का महत्वपूर्ण बिल पेश है। स्वाती नक्षत्र कन्यावाणी वर्षा के लिये जैसा चपीहा हर समय ध्यान रखता है और चाहता है कि वह उसी प्रकार हमारे प्रदेश के

[श्री रामदास आर्य]

क्या, सारे देश के किसान वही नजर रख रहे थे कि अब वह कन्यावाणी बारिश होगी जिससे हमें लाभ होगा।

कन्यावाणी बारिश से दो लाभ होते हैं। यदि केले में पड़ जाती है तो कपूर हो जाता है और अगर सीप में पड़ जाती है तो मोती हो जाती है, अगर यह चकबंदी की योजना सही मानों में इस्तेमाल होगी कि मोती बनेगी और सारे देश में इससे लाभ होगा। यदि दूसरी जगह पड़ जाती है तो वही हस्र होगा जैसा कि केले में पड़ कर कपूर। तो मुझे आशा है कि यदि प्रवर समिति में इस पर गम्भीर तरीके से विचार होगा तो जो कमियाँ इस बिल के अन्दर हैं वह भी दूर हो जायंगी। आज हमारे माननीय सदस्यों ने इस प्रकार अपने विचार प्रकट किये हैं, यूं तो हमारी किसी की भी दो राय नहीं कि यह बिल जो हमारे सामने है इसमें किसी भी प्रकार की देरी हो बल्कि सभी यह चाहते हैं कि यह शीघ्र लागू हो।

किसी योजना को कार्यान्वित करने में सबसे पहले जनता का सहयोग अत्यावश्यक है। पूज्य गांधी जी ने जब भी कोई स्कीम चलाई तो सबसे पहले जनता का सहयोग लिया। जनता का सहयोग और उसकी राय तो हमें यह हासिल है कि वह चाहते हैं कि चकबंदी हो। किन्तु उसमें इतना और कर दिया जाय कि जहां वह स्वयं चकबंदी कर सकें वहां उसमें सहायता दी जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में जहां चकबंदी का जिक्र है वहां यह भी जिक्र है कि ज्यादा से ज्यादा एक किसान कितनी जमीन रख सकता है। जब उस में यह है और यदि उस मिकदार से ज्यादा जमीन इस चकबंदी में आ गयी तो ऐसा मुझे संदेह है कि अभी चकबंदी के कायदे कानून के मुताबिक यदि उस में पेवस्त न हुआ, शामिल न किया गया तो कभी गड़बड़ी न बढ़ जाय। तो इस पर भी मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति अवश्य विचार करेगी।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि यहां इसमें किसानों के लाभ के लिये तो यत्न करने की कोशिश की गयी है लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, यानी आम जनता के लिये भी इसमें कुछ सुविधायें रखी गयी हैं। इसके लिये तो मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं, किन्तु उसमें कहना मुझे यह है कि जहां जितनी आबादी हो और जितनी जमीन उस गांव में हो उसी का विचार रखते हुये रहने की जमीनों का प्रबंध अवश्य किया जाय। क्योंकि गांव में अधिकतर लोगों को रहने की बहुत भारी दिक्कत और परेशानी है। मवेशियों की तरह से अभी वह गांव में रह रहे हैं। तो आपका जो प्लानिंग है जिसमें तालाबों का, रास्तों का, चरागाहों का जिक्र है वहां इसकी भी सुविधा देनी चाहिये जिससे आम जनता को अधिकतर फायदा हो और जो आबादी आगे गांव में जाय वह आदर्श गांव की तरह से बसाई जाय, यह नहीं कि जहां जिसकी मर्जी आये वहां हमको बसा दिया और जो हमारा आदर्श पंचवर्षीय योजना का है उसके प्लान में फर्क पड़े।

मुझे इस संबंध में यह भी कहना है कि इसमें जो प्रबंधक कमेटी की योजना बनी है वह मुझे दिखाई नहीं पड़ती है कि किस प्रकार की कमेटी होगी। उसके अधिकार क्या क्या होंगे, वह बन गयी है या नहीं या बनने वाली है, या उसकी शक्ल कैसी होगी और यदि वह बन चुकी है तो फिर उसमें तरमीम हो सकती है। तो मैं उसके संबंध में इतना ही विचार रखता हूं कि वह गांव की सम्मति से, गांव की राय से बने, ताकि सब लोगों की जो चकबंदी होने जा रही है, एतराज का मौका न मिल सके।

आज खुशकिस्मती है हमारे प्रदेश की कि हम अपने प्रदेश की सारी जनता और अपने किसानों की भलाई के लिये इस कानून को बनाने जा रहे हैं।

आज ऐसा कार्य जैसा कि भूमि व्यवस्था बिल का हुआ है और किसी जगह नहीं हुआ। जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था बिल के बाद आज दूसरा कानून जो माननीय राजस्व मंत्री जी बनवाने जा रहे हैं वह चकबंदी का है। सारा देश, सारा प्रदेश इसकी तारीफ करेगा यदि यह सब के लिये लाभदायक साबित हो गया। मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि इस बिल के अन्दर उन गरीबों उन भूमिहीनों लोगों को बहुत काफी इसमें सुविधायें मिलेंगी जिसके लिये वह इच्छुक रहे। और राजस्व मंत्री जी का हृदय हमेशा उदार रहा चाहे लोगों का खयाल कैसा ही रहा। लेकिन फिर भी मेरा तो पूर्ण खयाल यह है कि उन के नेतृत्व में, उन गरीबों को, उन लोगों को जो भूमिहीन हैं और गरीब हैं इस चकबंदी में स्थान मिलेगा और उनकी वह दिक्कतें और परेशानियां दूर होंगी जिनके लिये वह इच्छुक हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही जो श्री रामनरेश शुक्ल ने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को एक प्रवर समिति में भेजा जाय उस का भी समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ इस बिल पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायगा और जो विचार इस में आयेंगे उनमें से जो लाभदायक हों उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मही लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन में प्रस्तुत है उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ इतना कह देना आवश्यक समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार जमींदारी बिनाश अधिनियम बनाकर किसान वर्ग को एक शोषक वर्ग से मुक्ति दिलायी है उसी प्रकार यह विधेयक भी किसानों के लिये विशेष रूप से कल्याणकारी होगा और इसके लिये हमारे प्रांत का किसान वर्ग माननीय मंत्री महोदय का सदा आभारी रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय एक असंगत बात कहने के लिये क्षमा चाहता हूं। जहां तक प्रांत के किसानों का संबंध है वह सब का सब माननीय मंत्री महोदय की कृपा और योग्यता से पूर्ण लाभान्वित हो चुका है। परन्तु प्रदेश का भूमिहीन वर्ग जो आज गांव में रहता है वह माननीय मंत्री महोदय की ओर दया भरी दृष्टि से देख रहा है कि निकट भविष्य में ही माननीय मंत्री महोदय कोई इस प्रकार का विधेयक बनायेंगे या इस सदन द्वारा स्वीकार करायेंगे जिस से इन भूमि हीन लोगों को जो देहातों में रह कर पशुवत जीवन बिता रहे हैं, आराम होगा और वह समझेंगे कि स्वराज्य पेड़ से उतर कर नीचे आ गया है जैसा कि माननीय उप मंत्री श्री फूल सिंह जो अपने भाषण में कहा करते हैं कि अभी देहात की जनता को पूर्ण स्वराज्य नहीं मिला है और वह आकाश से गिरकर पेड़ पर टिका हुआ है। सचमुच जहां तक किसान वर्ग का संबंध है वह धीरे-धीरे स्वराज्य का आनन्द चख रहा है और स्वराज्य मिलता जा रहा है परन्तु भूमिहीन ग्रामवासी वर्ग अभी स्वराज्य से कोई लाभ नहीं उठा रहा है और यदि मैं यह भी कह दूं तो अतिशयोक्ति न होगी .....

श्री अध्यक्ष—इसका जिक्र करना ठीक नहीं है। आप अधिक इसके ऊपर न जायं।

श्री मही लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं अधिक दूर निकल गया था। जहां तक इस बिल का संबंध है, सभी माननीय सदस्यों ने इसकी मांग पर प्रकाश डाला है। इस में संदेह नहीं कि कई प्रांत के किसान यह आशा लगाये बैठे थे कि कितने शीघ्र हमारे लिये चकबंदी का विधेयक आने वाला है। एक बात तो मुझे माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना के रूप में कहनी है कि उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट नहीं किया कि पूरे प्रांत के किसान कितने समय में इससे लाभ उठा सकेंगे। विधेयक में तो इस बात का जिक्र आ नहीं सकता था परन्तु मैं ऐसा समझता था कि माननीय मंत्री महोदय यह अपने भाषण में अवश्य बतलायेंगे कि हमारी सरकार कितने समय में यह इरादा रखती है कि वह प्रांत में चकबंदी कर देगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में भी अपने विचार प्रकट करेंगे।

[श्री मही लाल]

दूसरी बात मुझे छोटे किसानों की तरफ से विशेष रूप से बधाई देने के संबंध में कहनी है। इस संबंध में जो केवल छोटे किसानों के लिये उन्होंने व्यवस्था की है उनकी ओर से ऐसी आशा थी और ऐसा ही भरोसा छोटे किसानों को उनके ऊपर रहा है कि वह उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। इसके लिये वह बहुत ही विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। यह बात मुझे इसलिये कहनी पड़ी कि हमारे माननीय सदस्य श्री गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि छोटे किसानों के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। साथ ही साथ में उन के संबंध में थोड़ा सा कह दूं जो कि नदियों के किनारे रहते हैं और जिनकी भूमि नदियों की कृपा पर निर्भर रहती है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये, मैं ऐसे ही स्थान का रहने वाला हूं जो बिल्कुल रामगंगा नदी के किनारे पर है और जहां रामगंगा नदी की बाढ़ के कारण कभी भमि गंगा के इस पार आती है और कभी उस पार जाती है। इसके कारण किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो लोग भूमि को नापते हैं उनकी, कैसे कैसे प्रत्येक से किसानों को खुशामद करनी पड़ती है और यदि मैं यह भी कह दूं कि इसके लिये उन्हें नजर और भेंट भी देनी पड़ती है तो अनुचित न होगा। अब स्थायी रूप से केवल एक ही बार अपने खेत को नपवाने का मौका मिल जायगा और आज जो हम अपने १०, ५ खेतों को बार-बार नपवाते हैं और उसके लिये भोले-भाले किसानों को बार-बार नजर और भेंट देनी पड़ती है उससे उन्हें छुटकारा मिल जायगा। इस संबंध में मैंने यह बात इसलिये और भी कही है कि भविष्य में जहां सरकार स्थानों का चुनाव करने जाय तो मैं यह मांग करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस प्रकार के स्थानों का पहले ध्यान रखा जाय।

एक बात जिसका कि इस विधेयक में जिक्र है उसके संबंध में भी मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता समझता हूं कि जहां तक खेतिहर मजदूरों का संबंध है उनके लिये भविष्य में भूमि व्यवस्था तो होगी वह जल्दी हो या देर में हो, प्रांत में क्या पूरे देश में भूमि वितरण की समस्या है और इस पर समाज को विचार करना ही है, वह चाहे अब किया जाय या कुछ दिन बाद किया जाय परन्तु नेक काम जितनी भी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। हम इस विधेयक में केवल इस प्रकार की व्यवस्था के लिये मांग करेंगे कि जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं एक घर में चार-चार कुटुम्ब रहते हैं और उनकी खाने की समस्या छोड़िये तो एक मकान की समस्या ऐसी है जो कि इस विधेयक द्वारा आसानी से हल हो जायगी। जहां भूमि का पुनः प्रबंध होगा वहां उस गांव की आबादी का हिसाब लगाते हुये और ग्राम में जो एक भूमि प्रबंधक कमेटी बनी है उसके परामर्श से उस ग्राम की आबादी के लिये कुछ भूमि रख दी जाय तो अच्छा होगा और मैं इस काम को बहुत आवश्यक और जरूरी समझकर प्रवर समिति के सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे इसे संशोधित करते समय इस बात का ध्यान रखें और इस कार्य में माननीय मंत्री महोदय को पूरा पूरा सहयोग अपनी ओर से दें।

जहां तक सहयोगी चकबंदी अधिकारियों का संबंध है, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हमारी इच्छा है कि इन पदों पर नायब तहसीलदार नियुक्त किये जायें क्योंकि वे ही लोग इस काम के लिये उपयुक्त हो सकते हैं। तो इस नियुक्ति के मामले में किसी को आपत्ति नहीं है क्योंकि व्यक्ति जो कल बेईमान था वह आज ईमानदार भी हो सकता है या जो पहले ईमानदार था वह बेईमान भी हो सकता है। फिर भी मैं यह प्रार्थना करना आवश्यक समझता हूं कि ऐसे नायब तहसीलदार जो कि पहले पटवारी या कानूनगो थे, वे उसमें न रखे जायं इन लोगों के हाथ में सरकार यह काम न दे, इसलिये कि इतनी जल्दी इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो कल तक पटवारी या कानूनगो थे अगर उनको इतनी जल्दी यह अधिकार दे दिये जायं, तो वे किसानों के लिये खराबी ही पैदा करेंगे। इसलिये इसमें विश्वास के आदमियों को माननीय मंत्री जी नियुक्त करें।

एक बात ओले गिरने के संबंध में कही गई कि इसकी भी सम्भावना है। तो मैं कहता हूं कि यह एक बिल्कुल दूसरी बात है और लोग खुद इसे देख सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि वह इस विधेयक में उन भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को जो कि गांव में रहते चले आये हैं, और जिनके पास कि जमीन जोतने के लिये नहीं है, उनका भी अवश्य कुछ प्रबंध करेगी।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रश्न है वह उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपना नाम सेलेक्ट कमेटी से वापस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसके एवज में क्या आप कोई दूसरा नाम पेश करेंगे?

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं श्री रामकुमार शास्त्री जी का नाम रखना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझे विश्वास था कि इस विधेयक का इस सदन ने बड़ा हार्दिक स्वागत किया और मुझे यह जानकर खुशी हुई। मैं यहां जो २ आपत्तियां उठाई गयी हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो भूमिहीन लोगों के सिलसिले में कही गयी कि इस विधेयक से कोई लाभ, यह जब अधिनियम बन जायेगा, नहीं होगा। यह तो बिलकुल ठीक है कि भूमि हीन लोगों को इस विधेयक या अधिनियम से कोई जमीन नहीं मिलेगी और चकबन्दी का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास आज जमीन है, उनके खातों में चकबन्दी की जायगी और जिनके पास नहीं है उनके लिये कोई सवाल ही नहीं होता। लिहाजा भूमि हीन लोगों को इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है, यह मुझे तस्लीम है। लेकिन जैसा कि माननीय मही लाल जी ने कहा कि भूमिहीन लोगों को भी जिनके पास अभी तक भूमि नहीं है, उनकी भूमि रखनी चाहिये। तो यह उनकी इच्छा है और वे लोग ऐसा कर सकते हैं लेकिन इस तरह से भूमि हीन लोगों को इस विधेयक के द्वारा कोई भूमि नहीं दी जा सकती है। इसमें दो रायें हैं। जहां उद्योग धंधे काफी होते हैं वहां लोग इसको नहीं करेंगे और उद्योग धंधों की तरफ बढ़ेंगे। उद्योगों में काम करने वाले २२ देशों के आंकड़े मंगाये गये हैं, तो इससे यह बात पता चलती है कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो उनके मुक़ाबले में उनकी आमदनी ४ गुना ज्यादा है इसलिये जिन जिलों में कारखाने हो गये हैं वहां खेतिहर मजदूर नहीं मिलते हैं क्योंकि कारखानों में ज्यादा मजदूरी मिलती है। जर्मनी के पश्चिम प्रान्त राइन लैंड में जहां इंडस्ट्रियालाइजेशन बहुत है वहां भी किसानों की खेती पर मजदूरी के तौर पर काम करने वाला कोई आदमी नहीं है। जहां कारखाने ज्यादा वहां जो लैंडलेस लोग हैं वे कारखानों में चले जाते हैं। इंगलैंड में भी यही दशा है कि जमीन खाली पड़ी हुई है, लोग फैक्ट्रियों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, उद्योगों में जाते हैं, खेती करना पसन्द नहीं करते हैं। पिछली लड़ाई के जमाने में गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की कि जो जमीन खाली पड़ी है उसमें खेती करायी जाय। इस प्रकार जितनी उनकी जरूरत थी उसका ७० फीसदी वे मीट कर पाये। लिहाजा सब लोगों को जमीन बांट दी जाय और उससे देश का हित होगा यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह ठीक है कि हर आदमी चाहता है कि जमीन मिल जाय और अगर जमीन मिल जाय तो वहां तक ठीक है, लेकिन अन्ततोगत्वा देश का इससे लाभ होगा। इसमें मेरी अपनी राय है किसी को नहीं होगा। दूसरी राय भी हो सकती है कि हर आदमी को भूमि मिले। यह हमारे आचार्य विनोबा भावे

[श्री चरण सिंह]

जी का मत है और वे इसका बड़ा प्रचार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी उनकी स्कीम है और बड़ा अच्छा यज्ञ है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन इसमें जरूर दो रायें हो सकती हैं कि अगर सभी लोगों के पास भूमि होगी तो इसमें लाभ होगा या हानि होगी? इसके अलावा मान लो कि भूमि देनी चाहिये तो जमीन है कहां? जिनके पास आज जमीन है उनके लिये माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि ७० फीसदी के पास नाकाफी जमीन है, अगर्चे उनके आंकड़े में तस्लीम नहीं करता हूं। आंकड़े यह बतलाते हैं कि हमारे यहां ४८ फीसदी किसान परिवारों के पास सवा छै एकड़ से कम भूमि है और ५२ फीसदी के पास सवा छै एकड़ से ज्यादा भूमि है। फिर भी ४८ फीसदी के पास अलाभकर जोत है, तो जमीन आये कहां से?

इसके बाद भूमि वितरण का राग अगर्चे पुराना हो गया है लेकिन जब माननीय गेंदा सिंह और माननीय झारखंडे राय जी बोलने के लिये खड़े होते हैं तो हमें पूरी उम्मीद हो जाती है कि भूमि वितरण का राग किसी न किसी रूप में जरूर अलापा जायगा। जिन लोगों के पास ज्यादा भूमि है उनसे अगर आप ले भी लें, तो भी कितनों को भूमि मिल जाती है। मैं समझता हूं कि भूमिहीनों को तब भी नहीं मिलती है क्योंकि जिनके पास लाभकर जोत है उनको देना चाहिये या सब को अलाभकर कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि ऐसा करने की किसी की भी राय नहीं होगी। फिर भी इस देश के लिये अन्ततोगत्वा यह लाभकर है या नहीं और हमारे पास भूमि है या नहीं, इन सब बातों के होते हुये भी जितना यह गवर्नमेंट कर सकती थी भूमिहीन भाइयों को लिये उतना कर दिया, और किसानों के लिये जितना हो सकता था उतना कर दिया और जो बाक़ी है उसके लिये कोशिश की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं और वह बात बिलकुल जाहिर भी है लेकिन फिर उनको दोहराना चाहता हूं कि जितना भूमि हीनों के लिये कर सकते थे उतना किया और वह यह कि आज जितनी जमीन अनकल्टीवेटेड पड़ी है उसको हमने गांव समाज को दे दिया है। जो जमीन आगे खाली होगी और पट्टे पर उठेगी वह भी गांव समाज के पास आ जायगी। इस तरह जो जमीन आज खाली है और जो जमीन आगे खाली होगी उसके लिये हमने यह रखा है कि वह पहले खेतिहर मजदूरों को दी जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा और किस प्रदेश में हुआ है। जितना मौजूदा स्थिति में मुमकिन था उतना हमने भूमिहीन भाइयों के लिये कर दिया। अगर और कोई तरकीब हो सकती हो जिससे सूबे के ओवर आल इंट्रेस्ट्स सम्पादित होते हों और मेरे दोस्त उसको रखें, तो मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट को और जिस पार्टी की यह गवर्नमेंट है उसको मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

एक बात शायद श्री सत्य सिंह राणा ने कही। वे इस वक्त हैं नहीं, शायद चले गये हैं, और वह बात यह थी कि हर जगह इस कानून को लागू नहीं करना चाहिये, बल्कि जहां किसान चाहते हों वहीं लागू करना चाहिये। तो अगर यह बात है कि किसानों की राय ली जाय कि किसी गांव के चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो इसमें मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल होगी। अगर मान लिया कि ५१ आदमी कहते हैं कि चकबन्दी होनी चाहिये और ४९ आदमी कहते हैं कि नहीं होनी चाहिये तो इससे सब का मंशा हल नहीं होता। एक बात और है कि बिल की बेसिस यह है जैसा कि हम सब लोगों को तस्लीम है कि आज किसानों की मांग है और यह उनके इन्टरेस्ट में है, आमतौर पर किसान चाहते हैं यानी ८० फीसदी चाहते हैं और २० फ़ीसदी अड़चन डालने वाले हैं और सर्वसम्मति से चकबन्दी किसानों के हित में है इसकी बाबत दो रायें नहीं हो सकतीं। इसके अलावा नुमायन्दों की राय भी है कि चकबन्दी होनी चाहिये।

तीसरी बात माननीय शिवकुमार जी ने कही कि इसकी बेसिस क्या होगी, आया रक़बा होगा या वैलुएशन होगा? स्टेटमेंट आफ प्रपोजल्स में मैंने यह अर्ज किया था कि अगर जिस वैलुएशन और रक़बे का चेक दिया गया है उस रकबे का कम वैलुएशन का चेक अगर दिया जायगा तो जितने रुपये की कमी होगी वह मुआविजे के तौर पर लगाई जायगी। इससे साफ़ जाहिर है कि वैलुएशन की बेसिस पर होगा। इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की

इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वैलुएशन की बेसिस है लेकिन साथ ही साथ कोशिश यह की जायगी कि बीस फीसदी से रक़बा कम न हो सके। मान लिया कि एक आदमी की जमीन ४० बीघा है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा ४८ बीघे जमीन हो जायगी।

चौथी बात यह है कि आरबीट्रेटर साहब अफसर न हों बल्कि जिसे गांव वाले पसन्द कर लें वह हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, वकालत करने का जिसको तजुर्बा है उनको मालूम है कि आरबीट्रेशन करने में कितनी मुश्किल होती है। एक आदमी अगर इमान्दार है उसको एक फ़रीक ने चुना तो दूसरा फ़रीक जरूर कहेगा कि यह उसका आदमी है। लिहाजा गांव का कोई आदमी आरबीट्रेटर रखना ठीक नहीं है। एक तजुर्बेकार और निष्पक्ष आफिसर जिसका कोई लगाव न हो उस को रखना ठीक होगा। वह टेक्निकल नालेज का आदमी होगा। गांव का आदमी तो सिर्फ यह बता सकता है कि कब्जा किसका है। अब सेक्शन ३२ की बात माननीय जयपाल सिंह जी ने कही थी। मैं बुद्धि पर बहुत जोर देने के बावजूद भी समझ नहीं पाया हूं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि लोगों को बैनामा करने की या जमीन बदलने की जरूरत होगी। रामकुमार जी शास्त्री ने यह फ़रमाया था कि यह तो माना कि धान का एक चक होगा और रबी की फ़सल का चक होगा या एक खादर का होगा। लेकिन जमीन की क़िस्म से चक नहीं होता, वरना तो बहुत चक हो जावेंगे। एक ही क़िस्म की जमीन एक गांव में कई जगह हो सकती है। लिहाजा क्राप्स को देखा जायगा कि रबी की और खरीफ़ की किस जगह होती है। अगर ऐसी जमीन है जहां हर खेत में हर प्रकार की हो सकती है और जहां डेफ़ीनिटली यह है कि यह धान का है और यह रबी का है तो वहां दो चक होंगे। धान की जमीन में इंटरसी डिफ़रेंसेज होते हैं, वे नहीं देखे जावेंगे, वरना चकबन्दी करना बहुत मुश्किल होगा और वह हो ही नहीं सकेगी। मेरे बहुत से मित्रों ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार का अंदेशा है। जैसी आजकल हालत है उसमें नायब तहसीलदार जैसे पद के व्यक्ति से यह आशा करना कि उस पर असरात नहीं पड़ेंगे, जिसके यहां खाना खावेगा या ठहरेगा उसके जेरअसर नहीं होगा, यह उम्मीद करना ठीक नहीं है और इस बात का लिहाज रखना चाहिये कि भ्रष्टाचार न हो। जैसा मैंने अर्ज किया था और जैसा कि साफ विधेयक में भी लिखा हुआ है उस ग़रीब नायब तहसीलदार को तो कोई अधिकार नहीं है। उसका तो तजुर्बा है जमीन का और लैंड रैकार्ड्स या ऐडमिनिस्ट्रेशन का, वह तजुर्बा लैंड मैनेजमेंट कमेटी के डिस्पोजल पर होगा। कमेटी की राय के खिलाफ़ वह कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसका कमेटी से भिन्न मत हो तब वह रैफ़रेंस करेगा तहसीलदार को। उसके बाद जो फ़ैसला होगा वह बाइंडिंग होगा। उसके बाद भी जब किसी व्यक्तिविशेष को कोई शिकायत हो तो फिर वह अपील कर सकेगा। इसलिये यह ठीक नहीं है कि केवल नायब तहसीलदार के ही होने से भ्रष्टाचार होगा। इस काम को पंजाब में अकेला कानूनगो करता है और यहां हमने उसकी जगह नायब तहसीलदार रखा है और फिर कमेटी रखी है। जहां तक जनरल करप्शन का सवाल है उसमें पंजाब से यू० पी० किसी प्रकार पीछे नहीं है। तो जब पंजाब में मौक़े पर रहते हुये क़ानूनगो से भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है तो हमारे यहां नायब तहसीलदार से, जब कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी की राय उस पर हावी होगी, यह आशा करना कि भ्रष्टाचार होगा, उचित नहीं है। फिर हर समय भ्रष्टाचार का जिक्र करना भी बहुत ज्यादा होता जाता है। मैं ऐसे नायब तहसीलदार बता सकता हूं जो अत्यन्त से अत्यन्त ईमानदार हैं। फिर कैसे हम समझ लेते हैं कि सभी आदमी बेईमान हैं? यह कहना कि जो नायब तहसीलदार होगा वही बेईमान होगा, यह भी ठीक नहीं है। इसका हर वक्त, बेवक्त और नाबवत जिक्र करने से फ़ायदा नहीं होता बल्कि हमारे आफ़िसर्स डिमोरैलाइज होते हैं। रही बात यह कि आगे क्या किया जाय, फिर क्या तहसीलदार ही अफ़सर रखा जाय? तो मुझे अन्देशा यह है कि बहुत से मित्र इस बात को कहेंगे कि नहीं तहसीलदार पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर हम क्या करें? आप मुझे मुआफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि अगर एम० एल० ए० को भी रख दिया जाय तो भी आप को यक़ीन नहीं होगा। इसके माने तो साफ़ यह हैं कि जहां हमारी मर्जी के खिलाफ़ हुआ और जो बात हमारी

[श्री चरण सिंह]

समझ में नहीं आती या हमारी इच्छा के खिलाफ़ कोई चीज हुई तो हम यह नतीजा निकाल लेते हैं कि जरूर कोई बेईमानी होगी। मैं समझता हूं कि यह दूसरों के साथ अन्याय करना होगा। कोई और तरीक़ी आप बता सकते हों तो बताइये। हम उस पर हमेशा चलने के लिये तैयार हों जो सही बात हो।

माननीय लक्ष्मी शंकर जी ने यह दरयाफ्त किया कि अगर एक किसान की जमीन एक गांव में है और कुछ जमीन उसकी पड़ोस के गांव में है तो चक जो बनेगा दोनों गांवों की जमीनों को मिला कर बनेगा या एक ही गांव की जमीन का? तो वह तो एक ही गांव की जमीन का होगा। दूसरे गांव की जमीन तो उस चक में तब आ सकती है जब वे दोनों गांव एक में माने जायं। वैसे तो मैं रेवेन्यू बजट के मौके पर यह कहना चाहता था लेकिन अब बात आ गयी है इसलिये अब यहीं इसको अर्ज किये देता हूं। हमारे यहां बहुत छोटे-छोटे गांव हैं ४० हजार के क़रीब उनकी संख्या है। उन गांवों की जिनकी आबादी ५ सौ से कम है और १३ हजार हैं और जिनकी आबादी ढाई सौ से कम है उनकी संख्या २७ हजार है। इन छोटे गांवों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये और इनमें रहने वाले लोगों के परस्तर संबंध का लिहाज रख कर बड़े गांवों में इंटिग्रेट कर दिया जाय और रेवेन्यू यूनिट दोनों का मिलाकर एक कर दिया जाय। जब ऐसा हो जायगा तो छोटे-छोटे गांवों को मिला कर उन दोनों का एक रेविन्यू यूनिट हो जायगा। हम ऐसा कर रहे हैं और क़रीब एक साल के अन्दर आशा है यह काम हो जायगा और इस तरह हमारे रेवेन्यू यूनिट्स एक हो जायेंगे और जब ऐसा हो जायगा तो उन बड़े-बड़े गांवों में छोटे २ गाँवों को मिला कर दो गांवों की एक रेवेन्यू यूनिट हो जायगी और उसकी चकबन्दी हो जायगी। अब रही रिकर्ड आपरेशंस की बात। माननीय राम जी सहाय ने कहा कि आप रिकर्ड आपरेशंस नहीं करना चाहते। ऐसी बात नहीं है। जहां काग़ज़ात और मुक़दमात में थोड़ा फ़र्क़ होगा वहां हम काग़ज़ात को दुरुस्त कर देंगे और जहां बहुत बड़ा फ़र्क होगा वहां हम रिकर्ड आपरेशंस करायेंगे तो रिकर्ड का रिवीजन होगा। माननीय केशव गुप्त जी चले गये।

श्री अध्यक्ष—आप कह दीजिये। वे बाद में सुन ही लेंगे।

श्री चरण सिंह—श्री राम कुमार जी शास्त्री उन को सुना देंगे। तो उन्होंने कहा था कि चकबन्दी से एक नुक़सान होता है। जब चकबन्दी हो जायगी तो उसमें जब ओले पड़ेंगे तो एक ही तरफ ओले पड़ते हैं तो एक किसान की सारी खेती नष्ट हो जाती है। तो यही हालत तो बारिश की भी हो सकती है। आम तौर पर ओले भी और बारिश भी पूरे गांव पर पड़ती है। तो इतने छोटे तफरकात की वजह से कोई जेनरल कन्क्लूजन नहीं निकाला जा सकता।

माननीय झारखंडे राय जी ने प्रापर्टी रिलेशंस की बात कही थी कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यह सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। कहीं से उनके दिमाग़ में यह पुरानी बात चली आ रही थी कि प्रापर्टी रिलेशंस में चेंज करना है तो उन्होंने वही पुरानी बात दुहरायी कि प्रापर्टी रिलेशंस चेंज नहीं हुये। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में सारा प्रापर्टी रिलेशंस ही तो चेंज हुआ है। काश्तकारों और जमींदारों का कोई रिलेशन था। वह मिटा या नहीं मिटा? वह मिट गया, और जमींदारी अबालिशन से कोई लाभ नहीं हुआ यह भी बात ग़लत है।

एक बात यह कही गयी कि एक क्लास पैदा होता जायगा। यह बात हो सकती है। क्लास आज भी पैदा है। हमेशा क्लास पैदा होते जाते हैं और गवर्नमेंन्ट की सहायता से मजबूत होता जायेगा। जब किसानों का हम लोग भला करेंगे तो वे गवर्नमेंट की मदद करेंगे तो क्या इस ख्याल से कि क्योंकि आप को डर है कि इससे कांग्रेस मजबूत होती जायगी हम किसानों की हालत न सुधारें। वह तो होगा। किसानों की हालत सुधारी जायगी और इससे कांग्रेस दिनोंदिन मजबूत होती जायगी। यू कैननाट हैल्प इट। कांग्रेस तो इसीलिये जीवित है और वह दिनों दिन मजबूत होती जायगी। इन शब्दों के साथ में माननीय राम नरेश शुक्ल का प्रस्ताव स्वीकार करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रस्तुत करे जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं—

१—श्री राम कुमार शास्त्री, बस्ती
२—श्री दीनदयालु शर्मा, बुलन्दशहर
३—श्री वीरेन्द्र वर्मा, मुजफ्फ़रनगर
४—श्री नेत्रपाल सिंह, अलीगढ़
५—श्री अशरफ़ अली खां, मथुरा
६—श्री अब्दुल रऊफ़ खां, फ़तेहपुर
७—श्री बेनीसिंह, कानपुर
८—श्री नारायण दीन, इलाहाबाद
९—श्री निरंजन सिंह, पीलीभीत
१०—श्री शिवराज सिंह, बदायूं
११—श्री देव राम, बलिया
१२—श्री रामेश्वर प्रसाद, रायबरेली
१३—श्री अंसमानसिंह, बस्ती
१४—श्री देव नन्दन शुक्ल, देवरिया
१५—श्री रामनरेश शुक्ल, प्रतापगढ़
१६—श्री जयराम वर्मा, फ़ैजाबाद
१७—श्री सुरेश प्रकाश सिंह, सीतापुर
१८—श्री सत्य सिंह राणा, टेहरी गढ़वाल
१९—श्री राम नारायण त्रिपाठी, फ़ैजाबाद
२०—श्री गेंदा सिंह, देवरिया

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब नियम के अनुसार मेरा यह कर्त्तव्य है कि इस प्रवर समिति का चेयरमैन मैं चुनूं। क्योंकि नियमों के अनुसार माननीय मंत्री जी भी इसके एक सदस्य रहेंगे इसलिये मैं उन को ही, (श्री चरण सिंह को) उसका अध्यक्ष नियुक्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—एक और छोटा सा ४ नवम्बर का आइटम रह गया है उसको मुख्य मंत्री पेश करने वाले थे, मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री इसको पेश करेंगे।

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३, की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज़ पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८६ पर)

श्री अध्यक्ष—९ तारीख को इसकी कापियां बट चुकी हैं कायदे के अनुसार व इसको पेश कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

(इसके बाद सदन रात्रि क ८ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ मार्च, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'क' पीछे ४८५ पृष्ठ पर)

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया।)

१९५१ का ऐक्ट ६४ — इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१, के कुछ उपबंधों की पूर्ति के लिये विधेयक,

१९५१ का ऐक्ट ६४ — इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१, के कुछ उपबंधों की पूर्ति आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारंभ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक, अधिनियम, १९५३, होगा।

(२) इस का प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) इसके विषय में यह समझा जायगा कि यह १५ दिसम्बर, १९५२, को प्रचलित हो गया।

१९५१ के ऐक्ट संख्या ६४ के विषय में यह समझा जाना कि वह राज्य विधान मंडल द्वारा बनाया गया।

२—इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१, का वह भाग जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध है जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश के लिये राज्य विधान मंडल को विधि बनाने का अधिकार है, किन्तु संसद को नहीं है, उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार प्रभावशाली और वैद्य होगा मानों वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा बनाया गया था।

अधिनियम (ऐक्ट्स) तथा व्यवहारों का वैधीकरण।

३—किसी ऐसी बात या ऐसे कार्य के विषय में (जिसके अन्तर्गत दी गयी आज्ञा, की गयी जांच, और प्रयोग में लाये गये अधिक्षेत्र भी हैं) जो इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१, के अधीन की गयी हो या किया गया हो, जहां तक वह ऐसे विषय से संबंद्ध हो जिसके संबंध में राज्य विधान मंडल को उत्तर प्रदेश के लिये विधि बनाने का अधिकार हो, किन्तु संसद को न हो, यह समझा जायगा कि विधि की दृष्टि में वह उसी प्रकार ठीक और वैध है मानों उस दिन जब उक्त बात की गयी हो या कार्य किया गया हो, धारा २ लागू थी।

उद्देश्य तथा कारण

केंद्रीय विधान मंडल द्वारा पारित इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ का सम्बन्ध मिश्रित सम्पत्तियों में विस्थापितों के स्वत्वों के विभाजन से है। संसद का उक्त अधिनियम भिन्न प्रकार के विस्थापित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में है अर्थात् उसके ऋण, भौमिक सम्पत्ति, गृह सम्पत्ति और उक्त सम्पत्तियों के ऊपर भार के विषय में स्वतः पूर्ण विधान है। तो भी वह अनुभव किया गया है कि उक्त विधान के कुछ उपबन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची २ के मद संख्या १८ और ३० के अन्तर्गत आते हैं और यह संदेह किया जाता है कि उक्त विषयों के सम्बन्ध में संसद विधि बना सकती है या नहीं।

इसके अतिरिक्त इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ में, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले अधिकारों के अवधारण के लिये विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गयी है। अतएव उक्त ऐक्ट के उन उपबंधों को वैध करने के लिये जो राज्य विधान मंडल के वैधानिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं एक छोटा विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद २४९ के शब्दों में संसद के संकल्प द्वारा संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची संख्या २ के मद १८ और ३० के अधीन १४ दिसम्बर, १९५२ तक अधिनियम बनाने का अधिकार था। मिश्रित सम्पत्तियों में विस्थापित तथा अविस्थापित स्वत्वों के विभाजन के लिये नियुक्त समर्थ अधिकारी इस राज्य में पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे हैं और इस बीच में मुक़दमों की सुनवाई भी होती रही है। अतएव यह प्रस्ताव है कि इस विधान को पूर्वानुदर्शी प्रभाव दिया जाय और इसके विषय में यह समझा जाय कि यह १५ दिसम्बर, १९५२ को प्रचलित हो गया।

गोविन्द बल्लभ पंत,
मुख्य मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश